



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230775
CG-DL-E-27102021-230775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]
No. 320]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

मामला सं. (एसएसआर) 07/2021

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 7/7/2021-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. (जिसे यहां आगे याचिकाकर्ता अथवा आवेदक अथवा घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया।

क. मामले की पृष्ठभूमि**क. मूल जांच**

2. जबकि, प्राधिकारी ने एक पाटनरोधी जांच में अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/17/2015-डीजीएडी दिनांक 30.09.2016 के द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" (विचाराधीन उत्पाद अथवा संबद्ध सामान) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29.11.2016 द्वारा लगाया गया था।

ख. प्रवंचनारोधी जांच

3. जबकि, प्राधिकारी को आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा से सूचना प्राप्त हुई थी कि सीकेडी/एसकेडी ट्रेलरों के लिए एक्सल के भाग के रूप में आयात किए जा रहे थे और उन पर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध सामानों का रूप बनाने के लिए प्रवंचना की जा रही थी तथा उसके बाद उनकी विचाराधीन उत्पाद बनाने के लिए असेंबलिंग की जा रही थी। पाटनरोधी नियमावली के नियम 26 के उप नियम 3 के अनुसार सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रदान की गई सूचना का संज्ञान लेते हुए प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं. 4/11/2020-डीजीटीआर- दिनांक 15 सितंबर, 2020 को संबद्ध सामानों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की तथाकथित धोखाधड़ी की मौजूदगी और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए तथा चीन जन. गण. से सीकेडी/एसकेडी स्तर में विचाराधीन उत्पाद के ऐसे आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश पर विचार करने के लिए, इस शर्त से चीन जन. गण. को संगत पाटनरोधी नियमावली के अनुसार शुल्क लगाए। प्राधिकारी ने अपने दिनांक 14.9.2021 के अंतिम जांच परिणाम पर अंतिम प्रवंचना पाते हुए चीन जन. गण. से सीकेडी/एसकेडी स्तर में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की है।

ग. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच

4. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाये गये पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पूर्व में न हटाए गए हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति तक प्रभावी होना बंद हो जाएंगे और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य से युक्त विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या 7/7/2020-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
6. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के बाद, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25 अगस्त, 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 46/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के परिणाम आने तक 28.01.2022 तक और सहित मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए।

ख. प्रक्रिया

7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (i) प्राधिकारी ने सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच के बारे में चीन जन. गण. के दूतावास को अधिसूचित किया।

- (ii) प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में 19 अप्रैल, 2021 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (iii) प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण. के दूतावास, भारत में सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ता एसोसिएशनों को रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी।
- (iv) प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों और प्रयोक्ता एसोसिएशनों को लिखा और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित प्रश्नावली में अपना उत्तर दायर करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को लिखित रूप में बताएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ चीन जन. गण. के दूतावास को भी भेजी गई थीं, जिसमें निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था और यदि संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य निर्यातक/उत्पादक है जो प्राधिकारी को ज्ञात नहीं है अथवा विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की गलत ई-मेल आईडी के कारण प्राधिकारी तक नहीं पहुंच पाया है, उन्हें सूचित किया जाए ताकि वे निर्धारित समय के भीतर अपना उत्तर दायर कर सकें।
- (v) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन. गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:
- क) ग्वांगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
 ख) ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कं, लिमिटेड
 ग) शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
- (vi) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर नीचे उल्लिखित निर्यातकों/उत्पादकों से उत्तर प्राप्त हुए थे
- क) ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कं, लिमिटेड (जिसे यहां आगे फूवा के रूप में भी जाना जाता है)
 ख) शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं, लिमिटेड (जिसे यहां आगे शेडोंग के रूप में भी जाना जाता है)
- (vii) यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. में एक उत्पादक/निर्यातक मैसर्स ग्वांगझौ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरर कंपनी लिमिटेड ने समय सीमा के भीतर कानूनी उत्तर दायर किए हैं। तथापि, उक्त निर्यातक ने समय सीमा के काफी बाद में अपना प्रश्नावली उत्तर दायर किया। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार चीन जन. गण. के उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक का प्रश्नावली का उत्तर स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ऐसे विलम्बित समय पर दायर उत्तर को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसमें यह उल्लेख है कि "यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है, अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उन्हें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें करें जो वे उन परिस्थितियों में उचित समझते हैं"। उपर्युक्त नियमावली पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 की प्रतिकृति है जिसमें प्राधिकारी द्वारा दिए गए उपर्युक्त समय के भीतर उनका उत्तर प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकार पर दायित्व बनता है और वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने उचित और उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने हेतु हितबद्ध पक्षकारों को उनका उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रश्नावली संलग्न करके संबद्ध जांच की शुरुआत की सूचना की तारीख से 37 दिन का समय दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि संबद्ध देश के अन्य तीन उत्पादकों/निर्यातकों को उनके प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किए हैं, तथापि मैसर्स ग्वांगझौ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरर कंपनी लिमिटेड को

उनके कानूनी अनुरोध ही प्रस्तुत करने में सक्षम था और प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया गया था। तदनुसार, चीन जन. गण. के उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक को इस जांच में असहयोगी के रूप में माना जा रहा है, जहां तक कि उन्होंने प्रश्नावली के उत्तर के रूप में डेटा/सूचना प्रस्तुत की है। तथापि, प्राधिकारी ने उनके कानूनी अनुरोधों पर उस सीमा तक विचार किया है जहां तक उन्हें संगत पाया गया है।

- (viii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावली भेजी गई थी।

क. किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी
 ख. एच.डी. ट्रेलर प्रा. लिमिटेड
 ख. सतरक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
 ग. सेफटेक ट्रेलर पार्ट्स एलएलपी
 घ. सिनर्जिक ट्रेलर और ऑटो सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड
 ङ. शिवम मोटर्स प्रा. लिमिटेड
 च. ब्लैक डायमंड मोटर्स प्रा. लिमिटेड
 छ. वंदना ट्रेलर्स एंड बांडी एमएफजी (पी) लिमिटेड
 क. एमएस ट्रेलर पार्ट्स एलएलपी

- (ix) जांच शुरू करने की अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने जांच में भाग लेने के लिए अपना हित-पत्र दायर किया, तथापि, उनमें से किसी ने भी अपना उत्तर दायर नहीं किया;

क) एच.डी. ट्रेलर प्रा. लिमिटेड
 ख) रोड ऑन एक्सल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
 ग) एचजे एक्सल इंडिया प्रा. लिमिटेड

- (x) एक आयातक, मैसर्स रोड ऑन एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने केवल कानूनी अनुरोध और एक अधूरा उत्तर दायर किया है। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, उक्त आयातक का उत्तर भी अपूर्ण होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि, उक्त आयातक द्वारा दायर किए गए कानूनी अनुरोधों पर विचार किया गया है और संगत पाए जाने तक जांच की गई है।

- (xi) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित अन्य ज्ञात उत्पादकों को भी जांच की शुरुआत की अधिसूचना भेजी गई थी;

क) टाटा मोटर्स लिमिटेड
 ख) अशोक लीलैंड लिमिटेड
 ग) जोस्ट इंडिया ऑटो कंपोनेंट प्रा. लिमिटेड
 घ) जीएस ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड

- (xii) अन्य ज्ञात उत्पादकों ने वर्तमान जांच का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।

- (xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य पक्षकारों को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का एक अगोपनीय रूपांतरण ई-मेल के माध्यम से अनुरोधों का आदान-प्रदान करने के निर्देशों के माध्यम से उपलब्ध कराया क्योंकि चल रही महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल का वास्तविक सत्यापन संभव नहीं है। जांच के दौरान सभी इच्छुक पक्षों द्वारा प्रासंगिक सीमा तक किए गए निवेदनों को इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ पर उचित रूप से संबोधित किया गया है।

- (xiv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।
- (xv) इसके अतिरिक्त, आवेदकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का सत्यापन का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- (xvi) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 माह) (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) तक की अवधि के लिए जांच की गई है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2017-18, 2018-19, 2019-2020 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।
- (xvii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि जांच की अवधि सहित पिछले चार वर्षों के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों का विवरण प्रदान किया जाए और वह प्राधिकारी को प्राप्त हो गया। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा क्षति विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों का प्रयोग किया है।
- (xviii) घरेलू उद्योग और विषय देशों में जवाबी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जो आवश्यक समझा गया है। इन अंतिम निष्कर्षों के उद्देश्य से आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा किया गया है।
- (xix) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और एनेक्सचर III द्वारा एंटी डंपिंग नियमों के आधार पर दी गई जानकारी के आधार पर भारत में विषय वस्तुओं को बेचने के लिए उत्पादन की लागत और लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य (इसके बाद 'एन. आइ. पी.' के रूप में संदर्भित किया गया है), की गणना की गयी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या डंपिंग मार्जिन से कम एंटी डंपिंग ड्यूटी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
- (xx) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 9 अगस्त, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। सभी पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं, तो उन्हें दायर करें।
- (xxi) नियमों के नियम 16 के अनुसार, 20 अक्टूबर, 2021 के प्रकटीकरण वक्तव्य के माध्यम से ज्ञात इच्छुक पक्षों को जांच के आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया था और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाली टिप्पणियों का इन अंतिम निष्कर्षों में सम्बोधन किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इच्छुक पक्षों ने उनके पहले के अधिकांश निवेदनों को पोस्ट प्रकटीकरण प्रस्तुतियों में केवल दोहराया है। हालांकि, इन अंतिम निष्कर्षों में प्रासंगिक मानी गई पोस्ट प्रकटीकरण प्रस्तुतियों की जांच की गयी है।
- (xxii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणियां रिकार्ड की हैं।
- (xxiii) इस अंतिम जाँच परिणाम में '***' गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- (xxiv) अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तन के लिए जांच की अवधि के लिए मानी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 74.99 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**ग.1 विचाराधीन उत्पाद**

8. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद है अर्थात् चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" (जिसे यहां आगे विचाराधीन उत्पाद अथवा संबद्ध सामान के रूप में भी उल्लिखित किया गया है)। यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमा प्रशुल्क 87169010 के अंतर्गत आता है।
9. संबद्ध सामानों का निर्माण और बिक्री विभिन्न प्रकारों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएँ और अंतिम प्रयोग समान रहता है और इस तरह के सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऐसे सभी प्रकार अनिवार्य रूप से तुलनीय बुनियादी विशेषताओं और समान प्रकार्यों/प्रयोगों के साथ एक समान उत्पाद का विनिर्माण करते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

10. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - (i) वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र वही रहना चाहिए जैसा कि मूल जांच में पाया गया था। किसी भी अपील में मूल परिभाषा का उल्लंघन नहीं किया गया था और निष्कर्ष अपने अंतिम रूप में पहुंच गया है।
 - (ii) मूल मामले में पाए गए विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र को फिर से देखने के लिए इस मामले में रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के साथ समर्थित कोई नया तथ्य नहीं है।
 - (iii) गुआंगज़ौ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चीन जन. गण. से आयातित सिंगल पीस एक्सल अलग-अलग उत्पाद हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्सल की समान वस्तु नहीं हैं। इस अनुरोध का कोई तथ्यात्मक अथवा कानूनी आधार नहीं है।
 - (iv) मूल जांच में भी सिंगल पीस एक्सल विचाराधीन उत्पाद का भाग रहा है। सिंगल पीस बीम अथवा वेल्डेड बीम से निर्मित ट्रेलरों के लिए एक्सल एक तुलनीय उत्पाद है और स्पष्ट रूप से भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अभिप्राय से एक दूसरे के लिए एक समान वस्तु है। सबसे अच्छा अंतर प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी में है लेकिन अंतिम प्रयोग वही रहता है और कोई तकनीकी अथवा अन्य कारक नहीं है जो उन्हें दो अलग-अलग उत्पाद बनाता है।
 - (v) सिंगल पीस एक्सल तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से वेल्डेड एक्सल के लिए एक आदर्श विकल्प है और उपभोक्ता इसका प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि असहयोगी निर्यातक का यह तर्क भी कि प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया अलग हैं, इसलिए वे अलग-अलग उत्पाद हैं, भी कोई आधार नहीं हो सकता है क्योंकि यह एटीएमए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट द्वारा पहले से ही निर्धारित आधार के कारण यह भी नहीं माना जा सकता कि दोनों उत्पादों की प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया भिन्न है कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के तहत समान वस्तु परीक्षण का विवाद करने के लिए कोई आधार नहीं हो सकता।
 - (vi) सहयोगी निर्यातक, जिसे सिंगल पीस एक्सल का निर्यात करने वाला समझा जाता है, ने विचाराधीन उत्पाद पर विवाद नहीं किया है और केवल एक असहयोगी निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर विवाद किया है जिसमें कोई तथ्यात्मक अथवा कानूनी तथ्य नहीं है और तर्कों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

ग.3 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- (i) विचाराधीन उत्पाद तुलनीय नहीं है। यॉर्क द्वारा निर्मित एक्सल 4 स्थानों पर वेल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी ओर, चीन जन. गण. से निर्यात किए गए एक्सल सिंगल पीस एक्सल हैं।

- (ii) घरेलू एक्सल कमजोर और अस्थिर हैं एवं टूटने की आशंका होती है। आयातित एक्सल मुख्य रूप से ग्वांगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड द्वारा उत्पादित एक अद्वितीय सिंगल पीस एक्सल है।
- (iii) चीनी विनिर्माण तकनीक निस्संदेह बेहतर और अधिक दक्ष है। इस तरह के अंतर को देखते हुए, ट्रेलरों के लिए आयातित एक्सल और भारत में उत्पादित एक्सल की तुलना नहीं की जा सकती है।

ग.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित से निर्णायक समीक्षा जांच है। अतः, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" भी है।
12. संबद्ध सामानों का विनिर्माण और बिक्री विभिन्न रूपों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएँ और अंतिम प्रयोग समान रहता है और इस तरह के सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऐसे सभी प्रकार अनिवार्य रूप से तुलनीय बुनियादी विशेषताओं और समान प्रकार्यों/प्रयोगों के साथ एक समान उत्पाद का विनिर्माण करते हैं।
13. संबद्ध सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमा प्रशुल्क शीर्ष 87169010 के अंतर्गत आता है। तथापि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
14. यह भी नोट किया जाता है कि 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सीकेडी (पूर्ण नॉक डाउन)/एसकेडी (सेमी नॉक डाउन) स्तर में 'ट्रेलर एक्सल के भाग' के रूप में घोषित करके आयात किया जा रहा है। प्राधिकारी ने 14.9.2021 को एक विरोधी परिधि जांच समाप्त की और सीकेडी (पूर्ण नॉक डाउन)/एसकेडी (सेमी नॉक डाउन) स्तरों में 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' के आयातों पर चीन जन. गण. से आयात पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की जिसे 'ट्रेलर एक्सल के भाग' के रूप में घोषित कर आयात किया जा रहा है।
15. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयातित सामग्री के लिए "समान वस्तु" है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद तकनीकी विशिष्टियों, प्रकार्यों एवं अंतिम प्रयोग उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन एवं सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं।
16. विरोधी पक्ष के इस तर्क के संबंध में कि यॉर्क द्वारा एक्सल का उत्पादन 4 स्थानों पर वेल्डिंग द्वारा किया जाता है और चीन जन. गण. से निर्यातित एक्सल सिंगल पीस एक्सल है, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों से नोट करते हैं कि उक्त सिंगल पीस बीम एक्सल नहीं हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद से भिन्न उत्पाद के रूप में माना जाता है। सिंगल पीस बीम अथवा वेल्डेड बीम से विनिर्मित ट्रेलरों के लिए एक्सल के समान प्रयोग होते हैं और तुलनीय उत्पाद होते हैं जिन्हें एक दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जबकि गुआनझोड हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि ग्वांगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड सिंगल पीस एक्सल का निर्यात कर रही है, विरोधी निर्यातक अर्थात् ग्वांगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड ने उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है। इसी तरह का तर्क कुछ अन्य पक्षकारों द्वारा हाल ही में समाप्त हुई प्रवंचनारोधी जांच में उठाया गया था जिसमें यह भी पाया गया था कि आयातित सिंगल पीस एक्सल और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्सल तुलनीय उत्पाद हैं।
17. इस तर्क के संबंध में कि सिंगल पीस और वेल्डेड एक्सल के उत्पादन में प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया अलग है और इसे आयातित एवं घरेलू उत्पाद में अंतर करने के लिए एक आधार के रूप में माना जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में अंतर नहीं हो सकता उत्पाद को आयातित उत्पाद के अंतिम प्रयोग के रूप में अंतर करने के लिए एक आधार के रूप में माना जाना चाहिए और घरेलू रूप से उत्पादित समान हैं और उपभोक्ता दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं।
18. इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच का क्षेत्र मूल जांच के समान ही है। अतः, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "ट्रेलरों के लिए एक्सल" है जैसा कि मूल जांच में निर्धारित किया गया था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

19. मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं;
- क. मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में ट्रेलरों के लिए एक्सल का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख उत्पादन है। यॉर्क मूल जांच में घरेलू उद्योग रहा है और अकेले यॉर्क ही घरेलू उद्योग के रूप में प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई प्रवंचनारोधी जांच में सहयोग कर रहा है।
- ख. यॉर्क ने प्राइम मूवर्स के उत्पादन से संबंधित सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम) के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो कि मूल जांच में भी उचित पाया गया था, क्योंकि अन्य व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा उत्पादन नहीं किया गया है। ज्ञात। ऐसे आंकड़ों के आधार पर संबद्ध सामानों के कुल अनुमानित भारतीय उत्पादन संबद्ध सामानों में कुल भारतीय उत्पादन में यॉर्क का पर्याप्त हिस्सा दर्शाता है।
- ग. ऑटोमोटिव एक्सल लिमिटेड नाम के एक अन्य विनिर्माता ने भी स्पष्ट रूप से याचिका का समर्थन किया है। साथ ही, यॉर्क ने जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और चीन जन. गण. में उसके संबंधित पक्षकारों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है।
- घ. यह तर्क कि यॉर्क का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। यह तर्क कि भारत में उत्पाद के अन्य उत्पादक हैं जैसे क्रॉस मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, एडीआर एक्सलस, बीपीडब्ल्यू, एचओवी, वैलेंट, जामना ऑटोमार्ट, रिलायंस फोर्ज, लेटेक आदि भी दावेदार निर्यातक के रूप में प्रमाणित नहीं हैं और उन्होंने यॉर्क के दावों पर विवाद करने के लिए कुल भारतीय उत्पादन के साथ ऐसे उत्पादकों के कोई उत्पादन ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
- ङ. यॉर्क ने सियाम से उपलब्ध तथ्यात्मक साक्ष्यों द्वारा समर्थित कुल भारतीय उत्पादन के अपने दावों को उपलब्ध कराया है और प्राधिकारी की सूचना के लिए अलग से ज्ञात अन्य उत्पादकों के नाम भी प्रदान किए हैं।
- च. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में अनुमानित और दावा किया गया कुल भारतीय उत्पादन भारत में ज्ञात उत्पादकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना कुल अनुमानित भारतीय उत्पादन है।
- छ. अन्य पक्षकारों ने याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए कुल भारतीय उत्पादन को गलत साबित अथवा विवादित नहीं किया है। केवल यह दावा कि अन्य उत्पादक अकेले हैं, यॉर्क के साथ आधार का दावा करने के लिए मंजूर नहीं कर सकते।
- ज. यॉर्क ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तृतीय-पक्षकार आंकड़ों के आधार पर कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान क्यों लगाया है, इसका कारण यह है कि भारत में संबद्ध सामानों का कुल उत्पादन सभी उत्पादकों और उत्पादक-वार ब्यौरा किसी भी आधिकारिक स्रोत से उपलब्ध नहीं है।
- झ. असहयोगी निर्यातक का यह भी तर्क रहा है कि यह दावा करना गलत है कि 10% ट्रेलर सिंगल एक्सल का प्रयोग कर रहे हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि भले ही विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तावित $1\% \times 1 + 19\% \times 2 + 80\% \times 3$ फॉर्मूला अपनाया गया हो, फिर भी यॉर्क भारतीय उत्पादन में अपने आप में **% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख अनुपात रखता है।

विवरण	मात्रा संख्या में (वार्षिक)
प्राइम मूवर सेल्स	9,918
1% सिंगल एक्सल हैं	99
19% 2 एक्सल हैं	3,769
80% 3 एक्सल हैं	23,803
कुल	27,671
भारत में कम आयात	3,230
भारतीय उत्पादकों द्वारा पूरी की गई मांग	24,441
यॉर्क का उत्पादन	***
यॉर्क का हिस्सा (रेंज)	80% से 90%

ज. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का उन्हें संबद्ध सामानों के उत्पादक के रूप में मानने का दावा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा प्रवचना परिपाटियों के लिए एचडी ट्रेलर्स जैसे आयातकों की जांच की जा रही है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;

क. भारत में उत्पाद के अन्य उत्पादक हैं जैसे क्रॉस मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, एडीआर एक्सल्स, बीपीडब्ल्यू, एचओवी, वैलेंट, जामना ऑटोमार्ट, रिलायंस फोर्ज, लेटेक आदि। यॉर्क ने प्राधिकारी के साथ ऐसे उत्पादकों का विवरण साझा नहीं किया है।

ख. यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा लि. भारत में केवल एक एक्सल असेंबली यूनिट है। यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड का भारतीय उत्पादन में कोई बड़ा हिस्सा नहीं है और याचिकाकर्ता के आधार के संबंध में दावे सही नहीं हैं। उत्पादन में बाजार हिस्सेदारी दर्शाने के लिए यॉर्क द्वारा तैयार किया गया डेटा गलत है और इसका मकसद उल्टा है।

ग. गुआंगज़ौ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरर्स कंपनी लिमिटेड का कहना है कि यह भारत में बेचे जाने वाले प्राइम मूवर्स की संख्या के संबंध में सियाम डेटा से पूरी तरह सहमत है। तथापि, अगर किसी फॉर्मूले तक पहुंचना है तो उस पर केवल आरटीओ से उनके संबंधित आरटीओ कार्यालयों द्वारा पंजीकृत ट्रेलर्स के प्रकार या सिंगल एक्सल (1), डबल एक्सल (2) और ट्रिपल एक्सल (3) ट्रेलर जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और बेचा गया। कंपनी ने कहा कि उसे विश्वास है कि निकटतम फॉर्मूला $1\% \times 1 + 19\% \times 2 + 80\% \times 3$ होगा।

घ. ऑटोमोटिव एक्सल्स लिमिटेड को वर्तमान जांच में समर्थक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपनी द्वारा कोई डेटा अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह 2018 की व्यापार सूचना संख्या 13 और 14 का उल्लंघन है जिसके लिए समर्थक को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण उत्तर प्रदान करना अपेक्षित है।

ड. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले में संबद्ध सामान के उत्पादक के रूप में माना जाना चाहिए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखितानुसार परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

22. आवेदन पत्र मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में दावों के अनुसार आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में 93% हिस्सा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के अन्य विनिर्माता हैं। तथापि, ऑटोमोटिव एक्सल्स लिमिटेड, जिन्होंने स्पष्ट रूप से याचिका का समर्थन किया है, को छोड़कर ऐसा कोई भी विनिर्माता प्राधिकारी के समक्ष नहीं आया है और न ही याचिका का समर्थन अथवा विरोध दर्ज किया है। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि भले ही आवेदक के संबद्ध देश में संबंधित पक्षकार हैं, आवेदक ने संबद्ध देश में ऐसे संबंधित पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और साथ ही संबद्ध देश में ऐसे संबंधित पक्षकारों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
23. इस तर्क के संबंध में कि याचिका में सूचीबद्ध किए गए उत्पादों के अलावा भारत में संबद्ध सामानों के कई अन्य उत्पादक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और जांच की शुरुआत करने की अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और डीजीटीआर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया था। विरोधी निर्यातक ने दावा किया है कि क्रॉस लिमिटेड, आरएसबी, एचओवी ऑटो लिमिटेड और रिलायंस फोर्ज संबद्ध सामानों का विनिर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, एडीआर एक्सल्स इंडिया प्रा. लि. और बीपीडब्ल्यू ट्रेलर उत्पाद और जमना ऑटो इंडस्ट्रीज के स्तर के विनिर्माण के लिए जाने जाते हैं। संबद्ध सामानों के एक उत्पादक को निर्यातक के लिए अज्ञात के रूप में चिह्नित किया जाता है। तथापि, ऐसे किसी भी तथाकथित अन्य उत्पादकों ने प्राधिकारी को अपनी सूचना नहीं दी है। यह भी नोट किया जाता है कि दावेदार निर्यातक और विरोधी पक्षकारों ने ऐसे तथाकथित अन्य उत्पादकों द्वारा संबद्ध सामानों के उत्पादन के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार, दावे निराधार हैं और ऐसे दावे अकेले पात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता के अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो कि सियाम की सूचना पर आधारित है।
24. प्राधिकारी आवेदक के इस खंडन को भी नोट करते हैं कि भले ही याचिकाकर्ता किसी अन्य भारतीय उत्पादकों के नामों से चूक गया हो, उसका कुल भारतीय उत्पादन के अनुमानों के आधार पर याचिकाकर्ता के दावों का हिस्सा है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया हिस्सा सियाम द्वारा प्रकाशित प्राइम मूवर्स के संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन के अनुमानों के आधार पर है और जहां संबद्ध सामानों का प्रयोग किया जाता है, उनके आधार पर है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुमानित संबद्ध सामान के कुल भारतीय उत्पादन में अन्य बातों के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया गया है चाहे उन्हें याचिका के साथ प्रदान की गई उत्पादकों की सूची में शामिल किया गया हो अथवा नहीं।
25. इस तर्क के संबंध में कि यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का भारतीय उत्पादन में कोई बड़ा हिस्सा नहीं है और याचिकाकर्ता के दावे सही नहीं हैं, प्राधिकारी अनुमानित कुल भारतीय उत्पादन से नोट करते हैं कि यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड अकेले नियम 2(ख) के तहत आवश्यक एक बड़ा अनुपात (93%) रखता है और याचिका का समर्थन एक अन्य विनिर्माता अर्थात् ऑटोमोटिव एक्सल्स लिमिटेड द्वारा भी किया गया है।
26. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए माना गया फॉर्मूला अर्थात् $10\% \times 1 + 80\% \times 2 + 19\% \times 3$ सही नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा फॉर्मूला उचित पाया गया था और मूल जांच में अपनाया गया था एवं वर्तमान जांच में एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया है। विरोधी पक्षकार ने सुझाव दिया है कि प्राइम मूवर प्रोडक्शन का एक फॉर्मूला अर्थात् $1\% \times 1 + 19\% \times 2 + 80\% \times 3$ अपनाया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि भले ही इस तरह के एक फॉर्मूले को अपनाया जाता है, याचिकाकर्ता के पास एक प्रमुख हिस्सा (**%) है जो अभी भी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए स्थायी अपेक्षाओं को पूरा करता है।
27. इस तर्क के संबंध में कि मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में केवल एक एक्सल असेंबली इकाई है, यह नोट किया जाता है कि कंपनी को मूल जांच में उचित सत्यापन के बाद एक घरेलू उद्योग के रूप में माना गया था और हाल ही में की गई प्रवंचनारोधी जांच में भी यही स्थिति पाई गई थी। यह असेंबली चरण से पूर्व बीम के शॉट ब्लास्टिंग से शुरू होने वाली लगभग 12 विनिर्माण प्रक्रियाओं को करने वाले कंपनी के मैसर्स यॉर्क द्वारा किए गए अनुरोधों से भी नोट किया जाता है जिसमें आगे की 14 प्रक्रियाएं शामिल हैं।

28. इस तर्क के संबंध में कि ऑटोमोटिव एक्सल्स लिमिटेड को वर्तमान जांच में एक समर्थक के रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कंपनी द्वारा कोई डेटा अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने उत्पादन का विवरण प्रदान करके याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है जिस पर केवल आधार के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है। तथापि, क्षति की जांच ऐसे आंकड़ों के उचित सत्यापन/तालिका अध्ययन के बाद केवल याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए संपूर्ण आंकड़ों के आधार पर की जाती है।
29. मैसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के दावे के संबंध में भारत में संबद्ध सामान के उत्पादक के रूप में मानने के लिए, हाल ही में की गई प्रवंचनारोधी जांच में यह पाया गया है कि कंपनी संबद्ध सामानों की उत्पादक नहीं है और केवल सीकेडी/एसकेडी स्तर में आयातित विचाराधीन उत्पाद का असेंबलिंग कर रही है। इस जांच में पक्षकार द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्राधिकारी को उक्त जांच परिणाम पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो। आगे यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स एचडी ट्रेलर्स ने मूल जांच में आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया था और उसके बाद उक्त आयातक ने हाल ही में की गई प्रवंचनारोधी जांच में संबद्ध सामानों के उत्पादक होने का दावा किया था, जिसमें प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला था कि उक्त आयातक आयातित उत्पाद के मूल्य का 35% से कम है। उपरोक्त सभी के अलावा, प्राधिकारी ने डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैसर्स एचडी ट्रेलर्स के अनुरोधों पर चर्चा और सत्यापन किया, जिसमें उक्त चर्चा के माध्यम से यह सामने आता है कि मैसर्स एचडी ट्रेलर्स घरेलू विनिर्माता बनने की प्रक्रिया में है और वर्तमान में वह संबद्ध सामान के घरेलू उत्पादक के बजाय एक आयातक के रूप में स्थिति बनाए हुए है।
30. रिकॉर्ड में दी गई सूचना से पता चलता है कि मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड का कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और नियम 2(ख) के अनुसार एक पात्र घरेलू उद्योग है और आगे मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता संबंधी अनुरोध

31. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- विरोधी निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) में अत्यधिक गोपनीयता अपनाई है और सीमित स्थानों पर सूचीकरण भी प्रदान किया गया है जिससे निर्यातकों के दावों को किसी भी उचित तरीके से समझना मुश्किल हो गया है।
 - प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातकों ने प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में कोई सूचीकरण अथवा श्रेणी प्रदान नहीं की है जबकि आंकड़ों की प्रकृति ऐसी है कि उनके द्वारा दायर की गई प्रमुख सूचना के लिए सूचीकरण अथवा श्रेणी स्पष्ट रूप से संभव है।
 - ऐसी सूचना संभावित पहलुओं के मूल्यांकन में संगत है और गोपनीयता के इस तरह के अत्यधिक प्रयोग ने यॉर्क द्वारा खंडन को प्रभावित किया है।
 - याचिकाकर्ता ने नियम में अनुमत लागत सहित कुछ सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है लेकिन जहां तक संभव हो सूचीकरण प्रदान किया गया था और व्यापार सूचना के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया था। वास्तव में निर्यातकों ने ही अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।

ड.2 विरोधी पक्षकारों द्वारा गोपनीयता संबंधी अनुरोध

32. गोपनीयता के संबंध में निर्यातकों/आयातकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- याचिका का अगोपनीय रूपांतरण उसमें निहित आरोपों की उचित समझ नहीं देता है।
 - याचिका नियम 7 के मानकों और 9 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1/2013 को पूरा करने में विफल है।

- (iii) याचिकाकर्ता ने वार्षिक खातों और बैलेंस शीट के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह तब होता है जब जांच की अवधि के लिए ऐसी सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होती है और शुल्क के भुगतान पर एमसीए की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
- (iv) याचिका व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 का भी उल्लंघन करती है क्योंकि याचिकाकर्ता उक्त व्यापार सूचना के आधार पर लागू वास्तविक सूचना प्रदान करने में विफल रहा है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. सूचना की गोपनीयता/प्रकटन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें निम्नानुसार हल किया गया है:

34. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

35. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे ईमेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उत्तरों/अनुरोधों के अपने अगोपनीय रूपांतरण साझा करें।

च. विविध मुद्दे

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा कुछ अन्य मुद्दों के संबंध में अनुरोध

37. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं:

- (i) गुआंगज़ौ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरर कंपनी लिमिटेड को एक गैर-सहकारी पक्षकार के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि उसने आवश्यक उत्तर दायर नहीं किए हैं और इस तरह के असहयोग के लिए इसके अनुरोध को पूरी तरह से अस्वीकार करने की आवश्यकता है। विदेशी उत्पादक/निर्यातक जो सहयोग

करना चाहते हैं, उनसे एसएसआर में निर्यातक प्रश्नावली और निर्णायक समीक्षा भाग-II प्रश्नावली दायर करने की अपेक्षा की जाती है, जो संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित है, लेकिन पक्षकार दोनों को दायर करने में विफल रहा।

- (ii) यह तर्क दिया गया है कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के जांच शुरू की गई थी। दावे का कोई औचित्य नहीं है। याचिका में वर्तमान शुरूआत और कर्तव्यों की निरंतरता को सही ठहराने के लिए साक्ष्य थे।
- (iii) यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने आयातों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया। विवाद पूरी तरह से द्वेषपूर्ण है। डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है और विचाराधीन उत्पाद के लिए आयातों की सही पहचान की गई थी।

च.2 निर्यातकों/आयातकों द्वारा कुछ अन्य मुद्दों के संबंध में अनुरोध

38. अन्य मुद्दों के संबंध में निर्यातकों/आयातकों के विचार निम्नलिखित हैं:

- (i) याचिका में निहित सूचना के आधार पर डीजीटीआर को वर्तमान जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी।
- (ii) याचिका में औचित्य को सही ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। आवश्यकता यह है कि याचिका में पाटन और क्षति की संभावना पर पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए।
- (iii) याचिकाकर्ता ने संभावना का मामला दर्शाने के लिए आयातों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. सभी हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की प्राधिकारी ने निम्नलिखितानुसार जांच की है:

- (i) याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि गुआंगझौ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को एक गैर-सहकारी पक्षकार के रूप में माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकार के अनुरोध को उस सीमा तक संगत और साक्ष्य द्वारा समर्थित पाया जाता है, जिस पर विचार किया जाता है और उस पर ध्यान दिया जाता है। इस मुद्दे को संगत पैराओं में पहले ही हल किया जा चुका है।
- (ii) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिका में वर्तमान जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मामला वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अपने डेटा और विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में संबंधित सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- (iii) इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने आयातों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है, यह नोट किया जाता है कि याचिका में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आयात शामिल हैं। प्राधिकारी ने लेनदेन के आधार पर डीजीसीआईएंडएस से एकत्र की गई आयात सूचना पर भी विश्वास किया है।

छ. पाटन का मूल्यांकन – सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की पद्धति और निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं:

- (i) याचिका में प्रदान की गई सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध सामानों का पाटन जारी है और दावा किए गए पाटन जांच की अवधि के दौरान काफी सकारात्मक रहे हैं।
- (ii) जांच की अवधि के दौरान ऐसे पाटन जब पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लागू है, इस तथ्य को दर्शाते हैं कि ऐसे पाटन केवल तभी जारी रहेंगे जब पाटन को इस समय समाप्त होने की अनुमति दी जाए।
- (iii) जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में संभावित पाटन को भी सिद्ध करता है।

- (iv) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) देश के रूप में माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों के मामले में सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। चीन जन. गण. के एनएमई व्यवहार के संबंध में निर्यातकों के तर्क निराधार हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें लगातार खारिज कर दिया गया है।
- (v) चीनी उत्पादकों को वर्तमान मामले की मूल जांच में ही एनएमई के स्तर में काम करते हुए पाया गया था। साथ ही, वर्तमान मामले में सहयोगी उत्पादकों ने लागू प्रश्नावली दायर करके एनएमई के अनुमान का खंडन नहीं किया है।

छ.2 निर्यातकों/आयातकों द्वारा अनुरोध

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित हैं:
- (i) चीन जन. गण. के निर्यातक को यह जानकारी आश्चर्य हुआ है कि भारतीय जांच प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के निर्यातकों के लिए एक अलग प्रश्नावली जारी की है जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के दावों के संबंध में बड़ी मात्रा में सूचना मांगी गई है।
- (ii) चीन जन. गण. को पूर्व में भारत द्वारा एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाता था। यह अनुरोध किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन अभिगम संबंधी नयाचार के संगत प्रावधानों के अनुसार, पाटनरोधी कार्रवाइयों में "प्रतिनिधि देश" परिपाटी में 11 दिसंबर, 2016 से बहुपक्षीय कानूनी आधार की कमी है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

क) सामान्य मूल्य

42. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।
43. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और स्वरूप में सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में उत्तर दायर किया है:
- (i) ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
- (ii) शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैन्युफैक्चरिंग कं. लिमिटेड

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था दावे

44. चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:
- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का प्रयोग करेंगे या उस पद्धति को प्रयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का प्रयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
45. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने संगत प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

46. तदनुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

47. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/सूचना के आधार पर, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद के मूल्य अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमतों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संगत सूचना न तो आवेदक अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। चूंकि अन्य देशों से भारत में कोई आयात नहीं होता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था से तीसरे देश से भारत में कीमत को सामान्य मूल्य के आधार पर मानना संभव नहीं होगा। इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जो अंतिम उपाय बचा है, वह भारत में भुगतान अथवा देय मूल्य के आधार पर है, जिसे लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है, जिसे भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए, बिक्री के लिए खर्च और उचित लाभ जोड़ने के बाद, सामान्य और प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों और भारत में भुगतान की गई अन्य लागतों पर विचार करते हुए उत्पादन की इष्टतम लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से उत्पादन लागत में उचित लाभ जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख) सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

निर्यात कीमत

i. ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड

49. ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, जो संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है, के निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने *** मी. टन निर्यात किया है, तथापि यह पाया गया है कि *** मी. टन भारत को निर्यात की गई सामग्री का *** मी. टन भारत में विचाराधीन उत्पाद/संबद्ध सामान का हिस्सा नहीं था। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन और अन्य सहायक दस्तावेजों के माध्यम से डेटा का सत्यापन किया है। उत्पादक/निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों और पत्तन प्रभारों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्रस्तावित निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उपलब्ध कराई गई है।

ii. शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड

50. शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड ने भी ईक्यूआर दायर किया जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** पीस का निर्यात किया है। तथापि, डेस्क सत्यापन के माध्यम से डेटा और सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यह सामने आया कि विचाराधीन उत्पाद के बजाए निर्यात किए गए उन सामानों का विवरण विचाराधीन उत्पाद के हिस्से-पुर्जों का था (अर्थात् हब कैप के बिना एक्सल, एक्सल बीम, एक्सल ठूब, बिना ब्रेक के एक्सल, आदि)। इसे देखते हुए, विचाराधीन उत्पाद के लिए उक्त निर्यातक की अलग निर्यात कीमत नहीं निकाली जा सकी।

ग) चीन जन. गण. में सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

51. चीन जन. गण. के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

घ) पाटन मार्जिन

52. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्रम सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य अमेरिकी/ कि. ग्रा.	निबल निर्यात कीमत अमेरिकी/ कि. ग्रा.	पाटन मार्जिन अमेरिकी/ कि. ग्रा.	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन. गण.	ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	चीन जन. गण.	क्रम सं. 1 को छोड़कर कोई अन्य	***	***	***	***	40-50

पाटन मार्जिन – मूल जांच

क्रम सं.	देश	उत्पादक	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन. गण.	मैसर्स ग्वांगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड, (उत्पादक और निर्यातक) ग्वांगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)	30-35
2	चीन जन. गण.	शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड	35-40
3	चीन जन. गण.	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	55-60

53. जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मूल जांच में पाटन मार्जिन पर्याप्त था। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, मार्जिन सकारात्मक बना हुआ है, जो इस बात की पूरी संभावना को दर्शाता है कि एक बार शुल्क हटा दिए जाने के बाद मार्जिन उसी तक बढ़ सकता है अथवा मूल जांच के स्तर से भी अधिक हो सकता है। इसी तरह का दृष्टिकोण डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा यूएस-कोरोजिन स्टील रेसिस्टेंट मामले में लिया गया था जिसमें पैनल ने देखा कि भविष्य की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के आकलन पर आधारित हैं। इसलिए, उपरोक्त तुलना से पता चलता है कि यद्यपि शुल्क लगाने से पाटन मार्जिन में कटौती करने में मदद मिली है, लेकिन वे अभी भी सकारात्मक बने हुए हैं, जिससे पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के मामले में निर्यातकों के

व्यवहार में स्पष्ट संकेत दिखाई देता है। प्रवंचनारोधी जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम सीकेडी/एसकेडी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के मामले में काफी महत्वपूर्ण पाटन दर्शाते हैं। ये सभी कारक एक साथ चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के पाटन की निरंतरता को दर्शाते हैं जो यह दर्शाता है कि मौजूदा उपायों के अभाव में पाटन की बहुत संभावना है।

ज. क्षति और क्षति के जारी रहने की संभावना की जांच

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

54. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन व क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:-

- i. योर्क द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) में यथा परिकलित है, जो कि आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के लिए पर्याप्त है।
- ii. यहां तक कि क्षति, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान सामना किया गया है, कोविड महामारी के चलते प्रतिकूल प्रभावों जैसे अन्य अस्थायी कारणों की मौजूदगी के कारण पूरी तरह से आयातों से नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो अभी भी यह दर्शाते हैं कि ऐसी क्षति के लिए पाटन एक प्रमुख कारण था और इस अवस्था में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की कोई भी समाप्ति निर्यातकों को आगे भी पाटन करने के लिए मदद करेगी, जिससे घरेलू उद्योग की क्षति की स्थिति और भी गंभीर होगी।
- iii. यद्यपि पाटनकाजारी रहना क्षति का एक स्पष्ट कारण रहा है, लेकिन शुल्क से बचने के लिए प्रवंचना की प्रक्रियाएं भी क्षति के लिए योगदान दे रही हैं और इसे भी पाटन जारीरहनेका आम भाग माना जाना चाहिए।
- iv. यदि पाटन पर बिना पाटनरोधी शुल्क के विचार किया जाता है, तो घरेलू उद्योग की कीमत कटौती पर्याप्त स्तर पर जारी रहेगी और ऐसे पाटित आयात, घरेलू उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन में गिरावट और जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त क्षति होने के कारणों में से एक कारण रहा है।
- v. संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के उत्पादक काफी निर्यात उन्मुखी हैं, और उनके पास भारी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएं, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः भारत को भेजी जाएंगी। चीन जन.गण. के पास करीब 8 लाख पीस की अप्रयुक्त क्षमता है, जबकि आधार वर्ष के दौरान पाई गई पीस कीमात्राभारतीय मांग 1 से 5 लाख पीस से अधिक नहीं थी।
- vi. चीन जन.गण. से निर्यातक और भारत में आयातक, शुल्क से बचने के लिए प्रवंचना प्रक्रियाओं में शामिल हुए हैं और ऐसी प्रक्रियाएं भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के असामान्य रुख को भी दर्शाती हैं। शुल्क की समाप्ति होने से केवल पाटित आयातों में वृद्धि होगी।
- vii. यह देखा जा सकेगा कि आयातों में आधार वर्ष में 3426 मी.टन से जांच की अवधि में 800 मी.टन तक गिरावट आई है। लेकिन साथ ही प्रवंचना केजरिए भीआयात हुए हैं।
- viii. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2016 में पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद करीब 2 वर्षों के लिए तकरीबन सभी मापदंडों के संदर्भ में अच्छा कार्य किया है। तथापि, स्थिति में पहले गिरावट आना शुरु हुआ, जब प्रवंचना शुरु हुई थी। बाद की अवधि में, खासकर जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग में कोविड महामारी के कारण और साथ ही अर्थव्यवस्थाकी धीमी प्रगति के कारण उत्पाद की मांग में गिरावट देखी गई है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यहां तक कि जब मांग में गिरावट हुई, पाटित आयात मौजूद रहे और ऐसे पाटित आयातों में भारतीय मांग में 10-15 प्रतिशत तक का पर्याप्त हिस्सा रहा।

- ix. यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क के बिना, घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव रखकर और कीमतों का दमनकारी प्रभाव रखकर कीमतों को कटौती के स्तर पर रखा गया था।
- x. ऐसे पाटित आयातों के अभाव में, घरेलू उद्योग ने मांग में कुछ गिरावट की स्थिति में भी हानियों की अधिक कीमत कटौती पर बिक्री की होती। लेकिन निरंतर और मौजूदा पाटित आयातों के कारण ऐसे अवसर से वंचित होना पड़ा। घरेलू उद्योग को ऐसे सभी कारकों के कारण मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों, दोनों के संदर्भ में पर्याप्त क्षति का सामना करना पड़ा और लाभप्रदता के मापदंड की भी जांच की अवधि के दौरान काफी नकारात्मक रहे हैं।
- xi. मांग पुनः बहाली के मजबूत पथ पर है और इस अवस्था में शुल्क की किसी भी प्रकारकीसमाप्तिको, भारतीय बाजार में अधिक सामग्री का पाटन करने के लिए निर्यातकों के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में तैयार अप्रयुक्त क्षमताएं उपलब्ध हैं।
- xii. पाटित आयातों के जारी रहने के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के कारण न्यूनतम थे। इसकी समाप्ति होने पर ऐसी स्थिति में बहुत ही सशक्त प्रभाव पड़ने की संभावना है और तथ्य इस मामले में पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाते हैं।
- xiii. शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में इसके संभावित प्रभावों को मापने के लिए नियम कोई विशिष्ट कार्य प्रणालियां प्रदान नहीं करते। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के क्लॉज (vii) के तहत अन्य के साथ-साथ ऐसे कारकों का प्रावधान है, जिन्हें विचार में लिया जाना आवश्यक है और ऐसे सभी कारक वर्तमान मामले के तथ्यों को पूरा करते हैं।
- xiv. पाटित आयात समग्र क्षति अवधि में हो रहे हैं और ऐसे पाटित आयात, यहां तक कि जब मांग में गिरावट आई थी, तब भी जारी रहे।
- xv. प्रवंचना संबंधी आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में ध्यान दिए बिना गिरावट आई है, लेकिन मांग में पाटित आयातों का हिस्सा करीब 10-15 प्रतिशत था, जो यह सुझाता है कि जब मांग की स्थिति बेहतर होगी तो आयातों में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस प्रकार, यदि वर्तमान शुल्क समाप्त होते हैं, तो मांग में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है और शुल्क लगाए जाने के बाद भी महत्वपूर्ण स्तर पर आयात जारी रहेंगे।
- xvi. चीन जन.गण. के पास संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए करीब 31 लाख पीस की क्षमता है, जिसमें से 14 लाख पीस गुआंगडोंग फुआहेवी इंडस्ट्रीज कं. लि. से संबंधित है, जैसा कि उनकी वेबसाइट में ही दर्शाया गया है। इस क्षमता की तुलना में चीन जन.गण. में निर्यात और घरेलू, दोनों में अनुमानित बिक्रियां 23.28 लाख पर रही जो यह दर्शाता है कि करीब 7.72 लाख यूनिटों की अधिक्य क्षमता है।
- xvii. यहां उल्लेखनीय बात यह है कि क्षति अवधि के दौरान भारत में सर्वाधिक मांग करीब 1 से 1.20 लाख की थी और यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो ऐसी अधिक्य क्षमता को समग्र भारतीय मांग को समाहित करने के लिए किसी भी समय अन्तरित किया जा सकता है।
- xviii. आंकड़ों में चीन जन.गण. में अत्यधिक निर्यात उन्मुखी क्षमता उपलब्ध होना दर्शाया गया है। करीब 31 लाख पीस की क्षमता की तुलना में, चीन जन.गण. के पास करीब 20 लाख की ही घरेलू मांग है, जिसका अर्थ यह हुआ कि निर्यात उन्मुखीकरण 11 लाख पीस अथवा 55 प्रतिशत रहा है जो कि काफी अधिक है। इतनी अधिक निर्यात उन्मुखी क्षमताओं से भावी निर्यातों के लिए भी भारी संभावना है।
- xix. वास्तव में, इतनी 15-20 प्रतिशत की अनुमानित अप्रयुक्त क्षमताएं भी भारत में समग्र बाजार अंश पर कब्जा कर सकती है, जो कि घरेलू उद्योग पर एक बड़ा दबाव है।
- xx. क्षति संबंधी सूचना से यह बहुत ही स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से भी कम कीमतों पर बिना पाटनरोधी शुल्क के आयात आ रहे हैं, जिसके कारण कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है, जो कि ऐसी कटौती के अभाव में, घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण के प्रभाव के कारण है और ऐसे कीमत संबंधी प्रभाव केवल तब गंभीर हो जाते हैं, जब शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है। शुल्कों के समाप्त होने से ऐसे पाटित और कटौती के स्तरों पर आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

- xxi. जांच किए जा रहे सामानों की चीन जन.गण. में वस्तुसूचियां भी काफी महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं, जबकि चीन जन.गण. में वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं हैं। करीब 7.72 लाख पीस की अप्रयुक्त क्षमता या तो काफी हद तक निष्क्रिय रही हैं या उसका अधिकांश हिस्सा उत्पादन के बाद वस्तुसूची में रहा होगा।
- xxii. प्राधिकारी तीसरे देश की कीमत और सहयोगी निर्यातकों द्वारा निर्यातों के आधार पर संभावना के पहलू पर भी जांच कर सकते हैं। चीन जन.गण. में क्षमता, बिक्रियों, वस्तुसूची इत्यादि के संबंध में समस्त मात्रा की सूचना जो संभावना के लिए संगत हैं, उचित निष्कर्षों के लिए उत्तरों के साथ उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- xxiii. याचिका में दी गई सूचना यह दर्शाती है कि मात्रात्मक मापदंड जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में जांच की अवधि तक गिरावट आई है, जो कि आंशिक रूप से यथा-स्पष्ट अन्य कारणों के कारण से हैं, तथापि, घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति के संबंध में अन्य अनेक संकेतक जैसे लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल, नकदी लाभ इत्यादि विगत वर्षों में सकारात्मक स्थिति से पुनः जांच की अवधि में नकारात्मक हो गए।
- xxiv. जब घरेलू उद्योग ने हानि उठाई, जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, उसकी समाप्ति पर हानियों और क्षति की एक गंभीर स्थिति होगी।
- xxv. यह तथ्य कि ऐसे पाटन का क्षतिकारी प्रभाव, लागू पाटनरोधी की मदद से काफी हद तक कम हो गया था, वास्तव में यह दर्शाता है कि इस समीक्षा में भी ऐसे शुल्कों को जारी रखने की जरूरत है।
- xxvi. घरेलू उद्योग ऐसे पाटित आयातों के प्रति अभी भी संवेदनशील है और संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में अभी भी एक समान स्तर स्थापित नहीं है तथा घरेलू उद्योगों को पाटित आयातों से ऐसी अनुचित प्रतिस्पर्धा के बीच संरक्षण के लिए पाटनरोधी शुल्क की मदद आवश्यक होगी।
- xxvii. याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में सकारात्मक क्षति मार्जिन का दावा किया है। तथापि, यदि प्राधिकारी द्वारा एनआईपी के निर्धारण में किसी नकारात्मक क्षति मार्जिन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्षति अथवा संभावित क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि क्षति मार्जिन, क्षति का एक मापदंड भी नहीं है।
- xxviii. पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के लिए क्षति मार्जिन आवश्यक है, जबकि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है और इस पर विचार केवल इसके विस्तार अथवा निरसन के संबंध में है।
- xxix. एक नई जांच की तरह ही एक निर्णायक समीक्षा में नकारात्मक क्षति मार्जिन, जांच का कोई समापन नहीं कर सकता। नियम 23 के अनुसार, वर्तमान क्षति आवश्यक नहीं है और उस परिस्थिति में, क्षति की अनुपस्थिति का ही शुल्कों के जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं है और शुल्कों को जारी रखना संभावित मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- xxx. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करते समय उसके ईष्टतम उपयोग को स्वीकार नहीं करना चाहिए और क्षति का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मौजूदा स्थिति के आधार पर करना चाहिए, जैसा कि निम्नो जियेन मामले में माननीय सेस्टेट द्वारा पाया गया है।
- xxxi. वास्तविक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की प्रबल संभावना है और शुल्कों का विस्तार इस मामले में काफी हद तक जरूरी है ताकि पाटनरोधी नियमावली के तहत यथा अपेक्षित पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जा सके।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन व क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. जांच की अवधि के दौरान गुआंगझोऊ हुआजिंग मशीन मैन्यूफैक्चर कं. लि. द्वारा 67,658 एक्सल यूनिट का उत्पादन किया था। कंपनी ने यह अनुरोध किया है कि इसकी क्षमता जांच की अवधि के दौरान 75,000 यूनिट तक कम हुई है।
- ii. प्राधिकारी भारत में उत्पादों के संवर्धन के लिए उनकी विस्तारित वारंटी अवधि में योर्क द्वारा पेश किए गए पुर्जों को निःशुल्क बदलने और बिक्री के पश्चातकी सेवा सहायता प्रदान करने की जांच कर सकते हैं। इसमें लाभ मार्जिन पर इसका गंभीर प्रभाव है।
- iii. योर्क का लगभग सभी क्षेत्र में बिक्री के बाद भी सेवा का व्यापक नेटवर्क है, जो भारत में बिक्री के बाद की निःशुल्क सेवा और बदलने की वारंटी की पेशकश करता है। इस अतिरिक्त सेवा की लागत योर्क द्वारा बेचे गए सभी घटकों की कीमत में शामिल है। तथापि, यह अतिरिक्त लागत चीन से विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियों में शामिल नहीं है।
- iv. योर्क संगत पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद का एक निर्यातक भी है, जिसकी कीमत के हेरफेर के लिए विशेषकर नए शामिल किए गए एसएएफ होलेंड ग्लोबल नेटवर्क के लिए जांच भी की जानी चाहिए।
- v. प्रारंभिक जांच से लेकर, विनिमय दर का भारत में आयातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय रुपए में यूएडॉलर की तुलना में 62.13 से वर्तमान दर 74.99 रु. तक 20 प्रतिशत तक मूल्यह्रास हुआ है। साथ ही, शिपिंग मालभाड़ा में स्थिति और भी प्रतिकूल हो गई है, जो प्रारंभिक जांच के दौरान प्रति कंटेनर 500-700 यूएस डॉलर से लेकर वर्तमान जांच की अवधि के दौरान 1700-2100 यूएस डॉलर तक है। अतः पाटन की धारणा पूरी तरह से गलत है।
- vi. जांच की अवधि के बाद की अवधि में इस्पात की कीमत में वृद्धि का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाना है, इससे चीन से ट्रेलर घटकों की निर्यात कीमत पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तथापि, इसी अवधि के दौरान, योर्क ने भारत में अपने अग्रणी ग्राहकों की कीमत में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा समाहित किया है। इसका मूल्यांकन भारत में योर्क के सर्वोच्च किन्हीं 3 ग्राहकों की बिक्री कीमत की जांच करके किया जा सकता है।
- vii. योर्क ने यह दावा किया है कि चीन में निर्माताओं के पास अत्यधिक क्षमता उपलब्ध है। योर्क ने चीन के निर्माता की अप्रयुक्त क्षमता की बात का प्रबल समर्थन किया है, जबकि योर्क ने सुविधानुसार शिफ्टों की संख्या कमकरके उसकी अपनी उत्पादन क्षमता में कटौती की है। यदि योर्क और चीन के निर्माता समान उत्पादों के उत्पादन को देखते हैं तो कैसे योर्क क्षमता उपयोग के लिए दोहरा मानक अपना सकता है।
- viii. यार्क द्वारा अपनी याचिका में घरेलू एक्सल विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होने पर विचार नहीं किया गया है। वह अपने आपको एक बड़ा भागीदार मानता है लेकिन वास्तव में वह क्रोस और टाटा जैसी कंपनियों के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- ix. प्राधिकारी योर्क की खाता बहियों की गहन जांच कर सकते हैं और यार्क के खिलाफ भारतीय ट्रेलर उद्योग के विकास को सीमित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।
- x. योर्क द्वारा भारत में अन्य ट्रेलर एक्सल निर्माता के प्रवेश को सीमित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग किया गया है, जिससे योर्क ने वही पद्धति अपनाई है जो उसने 2012 में अपनाई थी। उसने अपने सीबीयू (पूरी तरह से निर्मित इकाई) उत्पाद का विपणन शुरू करके घरेलू बाजार में उत्पाद एकत्र करने के लिए सीकेडी और एसकेडी की ओर धीरे-धीरे जाना और अन्तिम अवस्था में घर में सभी प्रमुख घटकों का निर्माण और उत्पादन करना शुरू किया।
- xi. सूचना यह दर्शाती है कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जांच की अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई थी। जांच के दौरान मांग कम हुई और तदनुसार आयातों में भी कमी आई है। मांग का बड़ा हिस्सा केवल घरेलू उद्योग के पास ही है, जो यह दर्शाता है कि आयातों से उसे कोई क्षति नहीं हुई।
- xii. कीमत कटौती वर्ष 2018-19 में नकारात्मक थी और जांच की अवधि के दौरान सबसे कम थी। ऐसे परिदृश्य में कोई हानि नहीं हो सकती।

- xiii. बिक्री कीमत में समग्र क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान गिरावट नहीं आई है। पहुंच कीमत में उक्त अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में कोई भी कीमत संबंधी ह्रास/न्यूनीकरण नहीं है।
- xiv. घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान मांग में तीव्र गिरावट के कारण जांच की अवधि के द्वारा कमी आई है। इस प्रकार क्षमता उपयोग सहित इन मापदंडों में गिरावट आयातों के कारण नहीं है।
- xv. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 के कारण कंपनी के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।
- xvi. यद्यपि याचिकाकर्ता ने वित्तीय हानियों का दावा किया है, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट में लाभों को दर्शाया गया है। यद्यपि रोजगार में वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में उत्पादकता में गिरावट आई है। वस्तुसूची में वृद्धि को केवल क्षति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।
- xvii. याचिका क्षति के अन्य कारणों का समाधान करने में विफल रही है। वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए ऐसे मामलों को याचिका में शामिल नहीं किया गया है। इस मामले में अन्य कारकों में कमजोर मांग, नियंत्रित कीमत परिवेश, कोरोना वायरस का प्रभाव, वसूली में असमान गिरावट, प्रतिफल स्टॉक मूल्यांकन दर, विदेशी विनिमय हानि में वृद्धि इत्यादि शामिल हो सकते हैं।
- xviii. उत्पाद के ऑटोमोटिव एक्सल लि. नामक अन्य उत्पादक ने किसी क्षति का सामना नहीं किया, जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 56. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
- 57. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के तहत यह प्रावधान है कि एक क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं।
- 58. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष या निरपेक्ष संदर्भ में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी यह जांच करते हैं कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का अन्यथा न्यूनीकरण करने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती।
- 59. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर संबंध रखने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, वस्तुसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

झ. घरेलू उद्योग पर आयातों की मात्रा प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

- 60. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है। इस प्रकार से आकलित मांग इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
चीन जन.गण.(संबद्ध देश) से आयात	मी.टन	3,426	4,352	2,228	800
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	65	23
अन्य देशों से कुल आयात	मी.टन	0	0	0	0
देश में कुल आयात	मी.टन	3,426	4,352	2,228	800
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	55	30
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	10	3
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	35	17

61. जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग गिरावट की दिशा में रही है और जांच की अवधि के दौरान तो यह सबसे निचले स्तर पर थी। याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि मांग में गिरावट महामारी के कारण से थी और साथ ही जहां विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है, वहां प्रमुख प्रयोक्ताओं के लिए मांग में कमी आने के कारण से थी। मांग में गिरावट निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए की जा रही प्रवंचना के कारण से भी है। यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के बाद बिक्रियों के आधार पर जांच की अवधि के बाद की अवधि में विकास के चलते मांग वापस आई है।
62. यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति में मांग में गिरावट के प्रभाव को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि मांग की स्थिति के साथ आयातों में बदलाव आया है और मांग में कोई भी बहाली होने से आयातों में भी वृद्धि होगी। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने यह पाया है कि विचाराधीन उत्पादों को शुल्कों की प्रवंचना के लिए ट्रेलर एक्सल के पाटर्स के रूप में सीकेडी/एसकेडी स्थिति में आयात किया जा रहा है और विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक आयात अधिक होंगे, यदि ऐसी प्रवंचना नहीं हो रही थी। यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग अभी भी बाजार में है और किसी भी पक्षकार ने इस गिरावट को नहीं दर्शाया है, जो कि स्थायी प्रकृति की है।

ख) संबद्ध देश से आयात की मात्रा

63. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की जरूरत है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष या निरपेक्ष के संदर्भ में पाटित आयातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
चीन जन.गण.(संबद्ध देश) से आयात	मी.टन	3,426	4,352	2,228	800
कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा	%	100	100	100	100
कुल आयातों में अन्य देशों का हिस्सा	%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

64. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात आधार वर्ष में 3426 मी.टन से घटकर जांच की अवधि में 800 मी.टन आ गए हैं। यह गिरावट उत्पाद के लिए मांग में गिरावट के अनुसार है। तथापि, इन संख्याओं में मौजूदा शुल्कों की प्रवंचना के लिए आयातित सीकेडी/एसकेडी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के आयात शामिल नहीं हैं। यदि हाल में संपन्न प्रवंचना रोधी जांच में स्थापित मामले की तरह का मामला होता तो वास्तविक आयात अधिक होते। विचाराधीन उत्पाद और सीकेडी/एसकेडी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के आयात इस प्रकार रहे हैं:-

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
चीन जन.गण.से आयात – विचाराधीन उत्पाद (मी.टन)	6,300	4,396	3,426	4,352	2,228	800
एक्सल पाटर्स के रूप में सीकेडी/एसकेडी स्थिति में चीन जन.गण.से विचाराधीन आयात (मी.टन)	0	1,527	3,513	5,007	1,779	1,396

ग) सापेक्ष संदर्भ में संबद्ध देश के आयात

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध देश से कुल अयात	मी.टन	3,426	4,352	2,228	800
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	35	17
घरेलू उद्योग का उत्पाद (घरेलू उद्योग)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	65	40
भारतीय खपत के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	187	136
घरेलू उद्योग के उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	100	59

65. यह नोट किया जाता है कि जबकि आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में और घरेलू उद्योग के उत्पादन के सापेक्ष संदर्भ में भी गिरावट आई है, लेकिन मांग के संदर्भ में आधार वर्ष के दौरान जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है, यद्यपि संबद्ध देश से आयातों में तत्काल पूर्व के वर्ष के दौरान जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है। ऐसा तब है, जब उत्पाद के लिए मांग, जांच की अवधि के दौरान सबसे निचले स्तर पर थी, जो यहां तक कि जब पाटनरोधी शुल्क लागू है, तब भी पाटित आयातों का काफी हिस्सा दर्शाता है।

66. वर्तमान समीक्षा की क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की मांग और मात्रात्मक प्रभावों का आकलन करते समय, प्राधिकारी पाटित आयातों के बाजार अंश और घरेलू उद्योग की मांग के संदर्भ में मूल जांच में पाई गई स्थिति को भी नोट करते हैं। वर्तमान समीक्षा के प्रसंग में इस पर विचार करते हुए, यह दर्शाया जाएगा कि पाटित आयात भारत में मांग में बदलावों के अनुसार बदलते भारतीय बाजार में निरंतर मौजूद हैं, जो एक ऐसे संभावित परिदृश्य को दर्शाता है कि पाटित आयातों के लिए मांग आगे भी जारी रह सकती है, यदि मांग में प्रत्येक वृद्धि के साथ शुल्क समाप्त हो जाते हैं। पाटित आयातों और मूल जांच में घरेलू उद्योग का बाजार अंश इस प्रकार था:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
मांग	मी.टन	16902	13923	8785	16684
चीन जन.गण. से आयात	मी.टन	4,917	4,433	3,066	6,600
घरेलू उद्योग का बाजार अंश	%	26.88	25.26	29.65	31.17

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
चीन जन.गण. का बाजार अंश	%	29.09	31.84	34.90	39.56
अन्य देशों का बाजार अंश	%	3.11	0.06	-	-
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	40.92	42.84	35.44	29.27

67. उपरोक्त तालिका से यह भी नोट किया जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान मांग में गिरावट के अनुरूप आयातों में गिरावट आई थी, जो कि मूल जांच की क्षति अवधि का भाग थी और उसके बाद में आयातों में, मूल जांच की अवधि के दौरान मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के अनुसार महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि आयात में मांग के अनुसार कोई भी गिरावट किसी संभावित आयात को नकारते हुए एक ऐसे कारके के रूप में नहीं मानी जा सकती और जब मांग की स्थिति परोपकार की रही हो और पाटित आयात मौजूद रहे हों। संग्रहित कारक यह दर्शाते हैं कि शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटित आयातों का भारतीय मांग में महत्वपूर्ण बाजार अंश होने की संभावना है।

घ) घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

68. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा न्यून करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य अवधि में हो गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

। कीमत कटौती

69. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना, संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय, सभी करों, छूटों, डिस्काउंट और कमीशन की कटौती की गई है और पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए कारखाना कीमत स्तर पर बिक्री वसूली निर्धारित की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभावों की इस प्रकार गणना की गई है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	106
पहुंच कीमत (एलवी)	रु./कि.ग्रा.	113.09	126.01	121.28	128.12
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	एलवी का %	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	5-15	-5-5	5-15	0-10

70. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम कीमत पर आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। यह भी नोट किया जाता है यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत में वर्षों के दौरान वृद्धि हुई थी, लेकिन आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के बीच अन्तर एक बार फिर वर्ष 2018-19 में नकारात्मक स्थिति से वर्ष 2019-20 के दौरान और जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक हो गया है। यह विश्लेषण यह भी स्थापित करता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लागू रहे होते तो ऐसी कीमत कटौती से घरेलू उद्योग पर अधिक कीमत के प्रभाव होते।

ii. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतें कम हो रही हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव, कीमतों का महत्वपूर्ण मात्रा में ह्रास करने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य अवधि के दौरान हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना पाटित आयातों की पहुंच कीमत को देखते हुए की गई है, जो इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	104	110	112
घरेलू बिक्री कीमत (एनएसआर)	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	106	106
बिना पाटनरोधी शुल्क के पहुंच मूल्य	र./कि.ग्रा.	113.09	126.01	121.28	128.12
	सूचीबद्ध	100	111	107	113
पाटनरोधी शुल्क के साथ पहुंच मूल्य	र./कि.ग्रा.	123.52	137.34	132.74	140.12
	सूचीबद्ध	100	111	107	113

72. यह पाया गया है कि यद्यपि उत्पादन की लागत में आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध प्वाइंट से वृद्धि हुई है, जो जांच की अवधि में 112 सूचीबद्ध प्वाइंट हो गई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 100 सूचीबद्ध प्वाइंट से जांच की अवधि तक केवल 106 सूचीबद्ध प्वाइंट तक वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम रही है। ऐसी पहुंच कीमत से लागत में वृद्धि के अनुरूप कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है। अतः यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का न्यूनीकरण हो रहा है क्योंकि विक्रियों की लागत में वृद्धि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है।
73. उपरोक्त तालिका में पाटनरोधी शुल्कों के साथ और पाटनरोधी शुल्कों के बिना पहुंच कीमत की स्थिति शामिल है। यह नोट किया जा सकता है कि लागू शुल्क के साथ पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग उच्च कीमत पर बिक्री कर पा रहा है लेकिन पहुंच कीमत से कमतर कीमत पर और साथ ही, पाई गई प्रवंचना की प्रक्रियाओं के प्रभावों से भी कीमतों का काफी ह्रास हुआ है और पूरी संभावना है कि कीमत ह्रास अधिक होता, यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं होते। प्रवंचना रोधी जांच में यह पाया गया था कि:

71. लागू पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद भारत में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) पहुंचा, जबकि जांचाधीन उत्पाद (पीयूसी) बिना पाटनरोधी शुल्कों का भुगतान किए पहुंचा था। यह नोट किया जा सकता है कि जबकि भारत में पहुंचा विचाराधीन उत्पाद 132.74 रु. प्रति कि. ग्रा. की कीमत पर है, भारत में पहुंचा जांचाधीन उत्पाद (पीयूसी) 98.79 रु. प्रति कि. ग्रा. पर है और उसके बाद करीब

***प्रतिशत के मूल्य संवर्धन पर विचार करते हुए, संकलित जांचाधीन उत्पाद की पहुंच कीमत 122.51 रु. प्रति कि.ग्रा. रही। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और जांचाधीन उत्पाद (पीयूसी) की पहुंच कीमत में इतना अंतर पाटनरोधी शुल्कों की अपवंचना के प्रभाव को दर्शाता है और लागू पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना ऐसे कीमत संबंधी अंतरों के कारण स्पष्ट है। इसके अलावा, आयातकों द्वारा ऐसी गतिविधियां किए जाने से पाटनरोधी शुल्क के उपायों की प्रभावकारिता को कम किया गया है।

74. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह नोट किया जाता है कि कीमत का हास जांच की अवधि के दौरान काफी स्पष्ट रहा है और यह भी नोट किया जाता है कि पाटित आयातों की न्यून पहुंच कीमतें और वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की अपवंचना की प्रक्रियाओं के कारण स्पष्ट रूप से ऐसे कीमत के हास के प्रभाव पड़ रहे हैं।
75. प्राधिकारी मूल जांच में कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण की स्थिति को नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं। वर्तमान क्षति अवधि में कीमत के प्रभावों के प्रसंग में ऐसे जांच परिणामों पर विचार करते हुए यह दर्शाया जाएगा कि पाटित आयातों से बाजार में कुछ समय के लिए प्रतिकूल कीमत संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं और लागू शुल्कों के बाद भी स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं आया है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	सूचीबद्ध	100	115	118	108
घरेलू बिक्री कीमत (एनएसआर)	सूचीबद्ध	100	100	98	102
पहुंच मूल्य-संबद्ध देश	रु.कि.ग्रा	95.35	105.80	110.09	109.73
	सूचीबद्ध	100	110	115	115
कीमत कटौती	रेंज	15-20	5-10	1-5	5-10

76. प्राधिकारी ने मूल जांच में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती और कीमत संबंधी हास पाया है। बिना पाटनरोधी शुल्क के कीमत कटौती और कीमत का हास वर्तमान समीक्षा में भी स्पष्ट है, यहां तक कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के तत्काल बाद बेहतर कीमतें प्राप्त की हैं और पाटनरोधी शुल्क के ऐसे प्रभाव, जैसा कि नोट किया गया है, प्रवंचना प्रक्रियाओं के कारण कम हुए हैं। इस प्रकार, पाटित कीमत अथवा परित्यक्त कीमत वृद्धियों के अनुकूल पाटित आयातों की पहुंच कीमत से भी घरेलू उद्योग की कीमतें न्यून होने की संभावना है ताकि भविष्य में भी बाजार अंश रखा जा सके क्योंकि कीमत कटौती और कीमत हास शुल्कों के बाद भी जारी है। मूल जांच में और वर्तमान समीक्षा में स्थिति का सम्मिलित पठन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्राधिकारी वर्तमान उपायों की गैर-मौजूदगी में घरेलू उद्योग के कीमत संबंधी प्रभाव के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों की पहुंच कीमत से कीमत कटौती और कीमत हास या न्यूनीकरण के प्रभावों को नजर अंदाज नहीं कर सकते।

ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

77. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के तहत यह अपेक्षा है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उपादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के तहत आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारणों और ऐसे संकेतकों जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध है, का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिनमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, लाभप्रदता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, वस्तुसूचियों, रोजगार, वेतन, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है।
78. क्षति और कारणात्मक संबंध पर अनिवार्य तथ्यों के संबंध में चर्चा करते समय, प्राधिकारी ने इस जांच में अभी तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की भी जांच की है ताकि ऐसे सभी अनुरोधों पर विचार किया जा सके।

क) उत्पादन, क्षमता, बिक्रियां और क्षमता उपयोग

79. उत्पादन, क्षमता, बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	67	67
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	65	40
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	98	60
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	55	30

80. यह नोट किया जाता है कि महत्वपूर्ण मात्रात्मक मापदंडों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान कमी आई है और जांच की अवधि के दौरान ये सबसे निचले स्तर पर थीं। तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग कम शिफ्ट में काम कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप क्षमता में गिरावट आई है, यद्यपि संस्थापित क्षमता उतनी ही रही है।
81. इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मात्रा में गिरावट मांग में गिरावट के अनुसार है। तथापि, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, पाटित आयातों के कारण मांग में इसके बाजार अंश में वृद्धि हुई है, यहां तक कि एक गिरावट के मांग परिदृश्य में भी, इस प्रकार मात्रात्मक मापदंडों में गिरावट का कारण केवल मांग में गिरावट के कारण से नहीं है। साथ ही, जैसा कि संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच में पाया गया है, प्रवंचना की प्रक्रियाओं का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा था और प्रवंचना वाले आयातों से भी घरेलू उद्योग की मात्रा संबंधी गिरावट में योगदान दिया गया है।
82. उपरोक्त तथ्य इस तर्क को नजरअंदाज नहीं करते कि पाटित आयातों और प्रवंचना की गैर-मौजूदगी में मात्रा संबंधी निष्पादन बेहतर होता।
83. साथ ही, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मूल जांच में महत्वपूर्ण मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत जांच की अवधि
क्षमता	मी.टन	16560	16560	16560	16560
उत्पादन	मी.टन	4439	5127	5433	8318
क्षमता उपयोग %	मी.टन	26.26	36.82	61.84	49.85
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	4542	3517	2605	5201

84. मूल जांच में और वर्तमान समीक्षा में मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच एक तुलना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि जिस निष्पादन में शुल्क लगाने के बाद सुधार आया था, उसमें एक बार पुनः वर्तमान समीक्षा की जांच की अवधि तक गिरावट आई है। यद्यपि आर्थिक मंदी और महामारी के कारण मांग में एक अस्थायी गिरावट है, जिसने ऐसी गिरावट में आंशिक योगदान दिया है, लेकिन निरंतर पाटन और मौजूदा

उपायों की प्रवंचना ऐसी गिरावट के लिए प्राथमिक योगदान दे रही है। इस बात की संभावना है कि उपायों के समाप्त हो जाने की स्थिति में, संबद्ध आयातों की संभावित महत्वपूर्ण मात्रा के कारण घरेलू उद्योग के लिए कीमत के प्रतिकूल प्रभाव अथवा बाजार अंश में नुकसान की संभावना होगी, जिसमें से किसी भी कारण से घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों, व्यापार अंश, इत्यादि पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ख) मांग में बाजार अंश

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
चीन जन.गण. से आयात (संबद्ध देश)	मी.टन	3,426	4,352	2,228	800
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	65	23
अन्य देशों से कुल आयात	मी.टन	0	0	0	0
देश में कुल आयात	मी.टन	3,426	4,352	2,228	800
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	55	30
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	10	3
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	35	17
निम्नलिखित के संबंध में भारतीय मांग में हिस्सा					
चीन जन.गण. से आयात (संबद्ध देश)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	187	136
अन्य देशों से कुल आयात	%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
देश में कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	187	136
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	158	177
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	27	18

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का बाजार अंश और घरेलू उद्योग के अंश में भी आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के बाजार अंश में, यहां तक कि तब भी वृद्धि हुई है, जब मांग में गिरावट थी, जो मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बाद भी बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी दर्शाती है। यह भी नोट किया जाता है कि जैसा कि बताया गया है, संबद्ध वस्तुओं के आयात विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पूरी तस्वीर पेश नहीं करते, क्योंकि सीकेडी/एसकेडी की स्थिति में एक्सल पार्ट्स में विचाराधीन उत्पाद के आयात जारी रहे हैं ताकि लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हो। पाटित आयातों का वास्तविक बाजार अंश ऐसे प्रवंचना आयातों को ध्यान में रखकर भी अधिक रहा है जैसा कि संबद्ध वस्तुओं के संबंध में हाल की प्रवंचना रोधी जांच में पाया गया है।

ग) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ

86. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
लाभ/हानि	रु.कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	(19)	(112)
ब्याज और कर पूर्वलाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	रु.कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	7	(71)
नकदी लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	32	3
औसत नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	142	117
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	3	(18)
पाटनरोधी शुल्क सहित ब्याज और कर पूर्वलाभ/(हानि)(पीबीआईटी)	रु.कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	82	64
पाटनरोधी शुल्क सहित पीबीआईटी के साथ नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	रु.कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	31	17

87. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का लाभ वर्ष 2018-19 तक सकारात्मक रहा है और उसके बाद गिरावट आई और 2019-20 और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार की प्रवृत्ति नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी पाई गई है और नकदी लाभ जांच की अवधि के दौरान निचले स्तर पर रहे थे।

88. उपरोक्त तालिका में यह पता लगाने के लिए संगत आंकड़े भी निहित हैं कि यदि वे पाटनरोधी शुल्क लागू रहने का अपेक्षित लाभ लेने में समर्थ होते तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति क्या होती। उपरोक्त तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को लाभप्रदता और आरओसीई के बेहतर स्तर की प्राप्ति से रोका गया है, जो पाटनरोधी शुल्कों की मदद के बिना संभव नहीं होता और जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता से लागू पाटनरोधी शुल्क के लाभ दिखाई नहीं देते क्योंकि लागू पाटनरोधी के उपचारी प्रभाव, लागू प्रवंचना के उपायों के द्वारा न्यून हो गए थे। वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में हाल ही में पूरी हुई प्रवंचना रोधी जांच में यह पाया गया है कि:

पैरा 75. घ) जांचाधीन उत्पाद (पीयूसी) के आयात से दिनांक 29 नवंबर, 2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी उपायों के उपचारी प्रभाव न्यून हो गए हैं

89. यह नोट किया जाता है कि लागू उपायों की प्रवंचना सहित पहुंच कीमत से प्रतिकूल कीमत संबंधी प्रभावों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति जांच की अवधि तक खराब हो गई और घरेलू उद्योग का निष्पादन बेहतर होता, यदि पाटित आयातों से ऐसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते।

90. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट के प्रसंग में उत्पाद के लिए मांग में गिरावट, महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और साथ ही लागू पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना के प्रभावों को भी नोट करते हैं। जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है, पाटन के प्रभावों से रिकवरी पहले शुल्कों की प्रवंचना द्वारा निष्फल की गई थी, जो शुल्कों को लगाने के तत्काल बाद शुरू हो गई थी। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मूल मामले में इस प्रकार (मूल अन्तिम जांच परिणामों के अनुसार) रही है और इसकी वर्तमान स्थिति के साथ तुलना करके यह दर्शाया गया है कि कैसे घरेलू उद्योग की स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार आया है और वर्तमान जांच की अवधि तक पुनः गिरावट शुरू हो गई है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत जांच की अवधि
लाभ/हानि	प्रवृत्ति	100	(971)	(1266)	(316)
लाभ लाख	प्रवृत्ति	100	(750)	(725)	(360)
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	प्रवृत्ति	100	(949)	(1061)	(293)
नकदी लाभ	प्रवृत्ति	100	(325)	(325)	(135)

91. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर निरंतर पाटित आयातों के प्रभाव ऊपर दिए गए अनुसार स्पष्ट हैं।

घ) रोजगार और उत्पादकता

92. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार और उत्पादकता की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	84	85
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	78	47

93. यह नोट किया जाता है कि रोजगार स्तर और उत्पादकता, दोनों स्तरों में आधार वर्ष के दौरान जांच की अवधि तक गिरावट आई है और प्रमुख मात्रात्मक मापदंडों में स्थिति दशाई गई है।

ड.) पाटन मार्जिन की मात्रा

94. पाटन की मात्रा भारत में पाटित किए जा रहे आयातों की मात्रा तक का एक संकेतक है। जांच में यह दर्शाया गया है कि जांच की अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और महत्वपूर्ण है।

च) वस्तु सूचियां

95. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास वस्तु सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
वस्तु सूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	222	301	714

96. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास वस्तुसूचियों में, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है और यह तत्काल विगत वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण भी है।

छ. विकास

97. घरेलू उद्योग का विकास नीचे दी गई तालिका के अनुसार रहा है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	8.88	(40.08)	(38.85)
घरेलू बिक्रियों की मात्रा	%	-	12.74	(51.52)	(44.37)
क्षमता उपयोग	%	-	8.88	(10.12)	(38.85)
वस्तुसूची	%	-	122.27	35.31	137.41
रोजगार	%	-	8.79	(23.09)	2.10
प्रति कि. ग्रा. बिक्री कीमत	%	-	2.64	3.63	(0.65)
प्रति किग्रा. बिक्रियों की लागत	%	-	3.51	6.15	1.73
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	(40.04)	(95.22)	(745.07)
प्रति इकाई लाभ	%	-	(28.34)	(126.53)	(489.38)
प्रति इकाई पीबीआईटी	%	-	(31.20)	(89.15)	(1,056.82)

98. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में रोजगार को छोड़कर, जिसमें कि जांच की अवधि में अर्थात विगत वर्ष में मामूली सुधार आया है, महत्वपूर्ण क्षति मापदंडों में जांच की अवधि में नकारात्मक विकास दर्ज किया गया है।

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु पूंजी निवेश किया है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कुछ सुधारों के उपरांत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

100. सम्बद्ध देश की आयात कीमतों की जांच, लागत संरचना में हुए परिवर्तन, पाटित आयतों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि से ज्ञात होता है कि सम्बद्ध देश से हुए पाटित आयात का पहुँच मूल्य बिक्री की कीमत और विक्रय लागत से नीचे था, जिसके कारण कीमत कटौती हुई और कीमतों में दबाव आया, जिनसे घरेलू मूल्य प्रभावित हुए। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि सम्बद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट का रुख देखा जा रहा था, तथापि किए गए पाटनरोधी उपायों के उल्लंघन द्वारा कार्य निष्पादन और उपचारात्मक प्रभाव कम हो गया। इस प्रकार, यह ध्यान किया जा सकता है कि घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाला कारक सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

ज) क्षति की मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री की सीमा

101. प्राधिकारी ने अनुबंध-3 के साथ पठित यथासंशोधित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग हेतु क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण जांच की अवधि हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत एवं प्रेक्टिसरत लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/आंकड़ों द्वारा किया गया है। क्षति की मार्जिन की गणना के लिए सम्बद्ध देश से पहुँच लागत की तुलना हेतु क्षति रहित कीमत (एनआईपी) पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के दौरान कच्चे माल के श्रेष्ठतम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीज़ के लिए भी यही व्यवहार अपनाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय प्रभावित न किया जाए। क्षति रहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात करने के लिए

नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसम्पत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर समुचित आय (22% की दर से कर पूर्व) अनुमेय की गई है।

102. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देश के समस्त असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।
103. पहुँच कीमत और उपर्युक्त निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति की मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

क्षति की मार्जिन

क्रम सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी रुपए/किलोग्राम	पहुँच मूल्य रुपए/किलोग्राम	क्षति की मार्जिन रुपए/किलोग्राम	क्षति की मार्जिन का %	क्षति की मार्जिन के % की रेंज
1	चीन जन. गण.	गुवांगडांग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
2	चीन जन. गण.	क्रम सं. 1 पर उल्लिखित को छोड़कर कोई अन्य	***	***	***	***	20-30

104. उपर्युक्त क्षति की मार्जिन संबंधी तालिका से यह नोट किया जाता है कि सहकारी निर्माता के लिए क्षति मार्जिन पी. ओ. आई. के लिए नकारात्मक रहा है। तथापि, गैर-सहयोग करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चोट मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और यह पी. ओ. आई. के लिए सकारात्मक पाया गया है।
105. हाल ही में संपन्न प्रवंचनारोधी जांच में प्राधिकरण ने पाया कि सीकेडी/एसकेडी कंडीशन में पीयूसी के आयात के माध्यम से पीयूसी पर शुल्कों को दरकिनार किया जा रहा है। क्षति मार्जिन को दरकिनार आयात (पीयूआई के रूप में संदर्भित) के लिए अलग से और पीयूसी और पीयूआई के लिए संचयी रूप से भी निर्धारित किया गया है।

क) उल्लंघन वाले आयातों से क्षति की मार्जिन

पीयूआई का नाम (पीयूआई - जांचाधीन उत्पाद)	आयात (किलोग्राम में)	आयातों का सीआईएफ मूल्य	सीआईएफ कीमत	घरेलू उद्योग के मानदंड	प्रति किलोग्राम लागत
बीम	1,92,685	1,87,66,105	97.39	***	***
ब्रेक ड्रम	2,91,937	2,16,16,497	74.05	***	***
हब	1,50,897	1,30,30,932	86.36	***	***
ब्रेक शू	2,90,191	2,87,08,599	98.93	***	***
स्लैक एडजस्टर	1,34,273	1,60,85,584	119.80	***	***
कैम शाफ्ट	1,31,740	1,49,96,471	113.83	***	***
बेयरिंग	66	8,118	123.00	***	***
पीयूआई की सीआईएफ कीमत				रुपए/किलोग्राम	***
जोड़ें बी सी डी @10%				रुपए/किलोग्राम	***
जोड़ें सरचार्ज @10%				रुपए/किलोग्राम	***
लैंडेड पीयूआई				रुपए/किलोग्राम	***
जोड़ें : मूल्य वर्धन @24.02%				रुपए/किलोग्राम	***
पीयूआई आयातों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की संरचित पहुँच कीमत				रुपए/किलोग्राम	***

विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत				रुपए/किलोग्राम	***
क्षति की मार्जिन				रुपए/किलोग्राम	***
क्षति की मार्जिन				% रेंज	20 to 30

ख) पीयूसी + पीयूआई से क्षति की मार्जिन

पहुंच पीयूसी + पीयूआई (पीयूसी के समतुल्य)				रुपए/किलोग्राम	***
पीयूसी हेतु क्षति रहित कीमत				रुपए/किलोग्राम	***
क्षति की मार्जिन				रुपए/किलोग्राम	***
क्षति की मार्जिन				% रेंज	10 to 20

झ) कारणात्मक संबंध एवं अन्य कारक (नॉन-एट्रिब्यूशन विश्लेषण)

106. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक जांच करना भी अपेक्षित है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है, ताकि अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों का करना न माना जाए। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियाँ और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान रहा है।

(i) तीसरे देशों से हुए आयातों की मात्रा एवं मूल्य

107. क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुए थे। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसी कीमतों ने घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(ii) निर्यात निष्पादन

108. प्राधिकारी ने केवल अपनी क्षति के विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु आंकड़ों पर विचार किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों में मामूली वृद्धि हुई थी।

(iii) मांग में संकुचन, खपत के पैटर्न में परिवर्तन

109. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। साथ ही पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए विचाराधीन उत्पाद का आयात सीकेडी/एसकेडी की स्थिति में किया जा रहा है। इस प्रकार, वास्तविक मांग अधिक हुई होती। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जांच अवधि के बाद घरेलू बिक्री के आधार पर जांच अवधि के पश्चात मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी निवेदन किया है कि जांच अवधि के बाद की समस्त अवधि के आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी बिक्री में हुई वृद्धि मांग बढ़ने की द्योतक है।

अवधि	प्राइम मूवर्स की बिक्री (नग में)	यॉर्क द्वारा एक्सलस की घरेलू बिक्री (नग में)	यॉर्क द्वारा एक्सलस की घरेलू बिक्री (टन में)	यॉर्क द्वारा एक्सलस की घरेलू बिक्री (टन में) (सूचीबद्ध)
जांच अवधि	9,918	***	***	100
जनवरी-जून 21	10,093	***	***	198
जनवरी-जून 21 वार्षिकीकृत	20,186	***	***	198

(iv) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियाँ और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

110. सम्बद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। किसी भी सम्बद्ध पक्षकार ने यह बताए के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है। तथापि, प्रवचनकारी पद्धतियाँ यह प्रदर्शित करती हैं कि निर्यातक लागू शुल्कों से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं, जिससे लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का वास्तविक प्रयोजन निष्फल होता है।

(v) प्रौद्योगिकी का विकास

111. किसी भी सम्बद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रौद्योगिकी में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(vi) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

112. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और भारत में आयातित वस्तुएं तुलनीय हैं और अंतिम प्रयोक्ता इन वस्तुओं को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन ऐसा कोई कारक नहीं है, जिसने घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति पहुंचाई हो।

(vii) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन ने सम्बद्ध वस्तुओं के बारे में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के संबंध में किए गए प्राधिकारी के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी ने जिस सूचना पर विचार किया है, वह केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है।

(viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

114. प्रति कर्मचारी उत्पादकता, मात्रा संबंधी प्रमुख मानदंडों की स्थिति में परिलक्षित होती है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट, वस्तुतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई कारण नहीं है।

ज) पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना

115. टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन संबंधी करार, सीमाशुल्क एवं टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा पाटनरोधी नियमावली के माध्यम से उपबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक समीक्षा जांच में प्राधिकारी, भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना और यदि शुल्क हटा दिया जाता है, तो क्या इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा पुनः होगी, का निर्धारण करते हैं। संभावना का निर्धारण एक संदर्शी निर्धारण है। अन्य शब्दों में प्राधिकारी एक भविष्योन्मुखी विश्लेषण करते हैं और इस बात का समाधान करने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा यदि शुल्क समाप्त कर दिये जाएं।
116. प्रस्तुत जांच सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या लगाया गया शुल्क आशयित प्रायोजन को सिद्ध कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य कारकों, जिनका प्रभाव पाटन जारी रहने अथवा इसके पुनः होने की संभावना पर पड़ेगा, तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की भी जांच की है।
117. यू एस – इम्स की पैनल ने अनुच्छेद 11.1 की अपेक्षा का वर्णन किया है, जिसके द्वारा पाटनरोधी शुल्क “एक सामान्य आवश्यक अपेक्षा” के रूप में केवल उस समय तक और आवश्यक सीमा तक ही लागू रहेंगे।
118. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह यह निर्धारण करे कि शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है। इस प्रकार, अनुच्छेद 11.3 में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह यह अभिनिश्चित करे कि शुल्क समाप्त किए जाने और पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने के बीच कोई इस प्रकार का संबंध (अथवा सांठगांठ) है कि शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन एवं क्षति हो।

119. यू एस – कोरोजन रेजीस्टेंट स्टील निर्णायक समीक्षा में अपीलीय निकाय ने नोट किया था कि चूंकि इस संभावना का निर्धारण एक संदर्शी निर्धारण है अतः “प्राधिकारियों को को अभिगामी विश्लेषण करना चाहिए और इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, क्या होने की संभावना है”।
120. यद्यपि, समीक्षा करते समय उक्त कारकों के बारे में पाटनरोधी करार के माध्यम से कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गए हैं, तथापि उक्त नियमावली के अनुबंध-2 के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है, जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, अर्थात:-
- भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर, जो अत्यधिक वर्धित आयातों की संभावना का द्योतक है;
 - निर्यातक की क्षमता में अत्यधिक मुक्त रूप से अतिरिक्त वृद्धि अथवा आसन्न वृद्धि, जो अतिरिक्त निर्यातों को आमेहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों में अत्यधिक पाटित निर्यातों का द्योतक है;
 - क्या आयातों का प्रवेश उन कीमतों पर हो रहा है, जिनका घरेलू कीमतों पर मंदी अथवा दबाव का प्रभाव होगा तथा और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
 - जांचाधीन वस्तु की मालसूचियाँ।
121. इस मामले में प्रासंगिक संभावना के मानदंडों की जांच निम्नानुसार है:-
- वर्तमान समीक्षा में सम्बद्ध वस्तुओं के निरंतर आयातों एवं पाटन की दर और मूल जांच में तथा प्रवंचनारोधी जांच में आयातों की संभावना प्रदर्शित करते हुए उनकी स्थिति।
122. मूल जांच में यह पाया गया था कि चीन जन. गण. से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और ऐसे आयात पाटित स्तर पर किए गए थे, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा थे। यह भी स्पष्ट था कि चीन जन. गण. के निर्यातकों ने पाटन द्वारा मांग में अपने बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि कर ली थी।
123. प्रस्तुत मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि सम्बद्ध वस्तुओं का पाटित दरों पर निरंतर आयात हुआ था, हालांकि जांच की अवधि के दौरान मात्रा में गिरावट आई थी। यद्यपि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। इस प्रकार, पाटित आयातों की निरंतर मांग रही और पाटन बंद नहीं हुआ है। इस समीक्षा में चीन जन. गण. के सहयोगी निर्यातकों के मामले में भी पाटन मार्जिन अत्यधिक पाई गई है। यह भी नोट किया जाता है कि आयात की मात्रा को मौजूदा शुल्कों की प्रवंचना के माध्यम से किए गए आयातों की मात्रा के साथ जोड़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाते हैं, सम्बद्ध आयात भारतीय बाजार में उपस्थित रहेंगे। यह भी नोट किया जाता है कि यू एस – ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर गुड्स (ओटीसीजी) डब्ल्यूटी/डीएस 282/एबी/आर में पैनल ने भी समुक्ति की थी कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 का संभावित मानक पाटन और क्षति के संबंध में समग्र निर्धारणों पर लागू होता है; तथापि पाटन और क्षति समग्र निर्धारणों में विचारित प्रत्येक कारक इसका लागू होना आवश्यक नहीं है।
124. इसके अलावा, मूल जांच के अंत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद प्राधिकारी ने स्वयं द्वारा की गई प्रवंचनारोधी जांच में पाया था कि विचाराधीन उत्पाद के व्यापार के पैटर्न में बदलाव आया है और ट्रेलरों के लिए एक्सल पार्ट के रूप में सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात सीकेडी/एसकेडी स्थिति में करके पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना की गई है। ऐसे आयात भी पाटित स्तरों पर भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे प्रवंचना आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए संस्तुतियां पहले ही की गई हैं। दिनांक 14.09.2021 को निष्पादित प्रवंचनारोधी जांच में निम्नलिखित पाया गया था:-

75. आयुक्त, न्हावा शेवा से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान जांच शुरू किए जाने और घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच के उपरांत तथा उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:-

(क) विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद तथा जांचाधीन उत्पाद के आयात के मामले में व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन आया है।

(ख) जांचाधीन उत्पाद (पूर्णतः नॉकडाऊन/सेमी नॉकडाऊन स्थिति में ट्रेलर हेतु एक्सल) को विचाराधीन उत्पाद (ट्रेलर के लिए एक्सल) में परिवर्तित करने के लिए मूल्यवर्धन, प्रवंचनारोधी नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा से बहुत कम है।

(ग) चीन जन. गण. से जांचाधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं।

(घ) जांचाधीन उत्पाद के आयात ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 54/2016-सी.शु. (एडीडी) दिनांक 29 नवंबर, 2016 द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लगे गए मौजूदा पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है।

125. इस जांच में पकड़े गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि आयातों में गिरावट आई है, जो लागू पाटनरोधी शुल्कों के संयमित प्रभाव का द्योतक है और कम मांग और प्रवंचना पद्धतियों के कारण विचाराधीन उत्पाद के आयात में कमी भी द्रष्टव्य है। इस तथ्य से कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित आयात जारी हैं और लागू शुल्कों से बचने के लिए प्रवंचना जैसी पद्धतियाँ भी मौजूद हैं, ऐसी प्रबल संभावना दिखाई देती है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाएं, तो आयातों की दर में अत्यधिक वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने पर अनुशासनात्मक प्रभाव के बावजूद जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में सम्बद्ध आयातों की निरंतर उपस्थिति, चाहे वह तुलनात्मक रूप से अल्प मात्रा में है, भारत में निरंतर निर्यात की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

ii. निर्यात अभिमुखीकरण सहित निर्यातक की क्षमता में अत्यधिक मुक्त रूप से अतिरिक्त वृद्धि अथवा आसन्न वृद्धि।

126. याचिकाकर्ता के अनुरोधों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के उत्पादकों ने सम्बद्ध वस्तुओं के लिए अत्यधिक बेशी क्षमता स्थापित कर ली है और उनकी क्षमता चीन जन. गण. की घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों से निम्नलिखित स्थिति देखी जा सकती है और निम्नलिखित दावों को गलत सिद्ध करने के लिए विरोधी पक्षकारों ने कोई प्रतिवाद नहीं किया है:-

अतिरिक्त क्षमता और निर्यात अभिमुखीकरण	नग
वार्षिक क्षमता	3100000
घरेलू बिक्री	2000000
समस्त देशों को निर्यात	328000
बेकार पड़ी क्षमता	772000
कुल क्षमता के प्रतिशत के रूप में बेकार पड़ी क्षमता	25%
घरेलू बिक्री के बाद अधिशेष एक्सल	1100000
घरेलू मांग की तुलना में अधिशेष एक्सल का प्रतिशत, जो निर्यात अभिमुखीकरण दर्शाता है	35%

127. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के पास इस उत्पाद के लिए बेकार पड़ी अथवा अप्रयुक्त अवस्था में क्षमता 25% है और यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसी लगभग 35% क्षमता का निर्माण निर्यात बाजार को लक्ष्य बनाकर किया गया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि चीन में घरेलू बिक्री केवल 20 लाख नग है, जबकि निवेदन किया गया है कि क्षमता लगभग 31 लाख नग है। उपर्युक्त बेकार पड़ी क्षमता निर्यात बाजार पर विचार करने के बाद है। नोट किया जाता है कि किसी और सूचना के अभाव में दावा की गई उपर्युक्त बेकार पड़ी क्षमता अत्यधिक है और व्यस्ततम भारतीय मांग से बहुत अधिक है। उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि वर्तमान शुल्क समाप्त हो जाने पर ऐसी बेकार पड़ी क्षमता भारत के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी और ऐसी बेकार पड़ी क्षमता तथा बेशी क्षमता के उपयोग के लिए अन्य बाजार उपलब्ध है।

128. उपर्युक्त सूचना यह भी दर्शाती है कि चीन जन. गण. में ट्रेलर एक्सल उद्योग भारतीय बाजार की तुलना में बहुत बड़ा है। चीन के उत्पादकों के पास पड़ी अप्रयुक्त क्षमता का अत्यधिक स्तर दर्शाता है कि चीन के उद्योग द्वारा उत्पादन में वृद्धि किए जाने की संभावना है, परंतु घरेलू मांग सीमित होने के कारण उत्पादक निर्यात बाजारों को लक्ष्य बनाएंगे। ऐसी स्थिति में चीन जन. गण. के उत्पादक भारत में सम्बद्ध वस्तुएं उल्लेखनीय मात्रा में भेजेंगे और चीन से सम्बद्ध आयातों की मात्रा, दोनों रूपों में अर्थात् निरपेक्ष तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में तुलनात्मक रूप से वर्तमान उपायों के अभाव में अपेक्षाकृत अधिक होगी। इस उदाहरण से इस बात को बल मिलता है कि उपायों के बावजूद भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तुओं के आयात उपस्थित हैं और दरअसल, शुल्क की बाध्यता से बचने के लिए चीन के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रवंचना पद्धतियां पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयात की निरंतरता के कानूनी मानक की द्योतक हैं।
129. उपर्युक्त के बावजूद प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक अर्थात् गुवांगडांग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड की अप्रयुक्त क्षमता की स्थिति को निम्नानुसार नोट किया है:-

विवरण	यूनिट	2017	2018	2019	जांच अवधि
संस्थापित क्षमता	नग	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन की मात्रा	नग	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	83	85	83
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	83	85	83

130. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि गुवांगडांग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के पास सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए ***** लाख यूनिट की क्षमता है, जो क्षति की अवधि और जांच अवधि के दौरान इतनी ही थी। परंतु जांच अवधि के दौरान कंपनी के क्षमता उपयोग में गिरावट आई थी। यदि उत्पादक सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस अप्रयुक्त क्षमता में से ***** का उपयोग करता है, तो ऐसा उत्पादन भारत में व्यस्ततम मौसम में मांग की तुलना में अत्यधिक होगा, जो लगभग ***** होने का दावा किया गया है। निर्यातक द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार कंपनी के पास मूल जांच के समय ***** नग की क्षमता थी, जो वर्ष 2017 तक बढ़कर ***** नग हो गई थी। निर्यातक के पास पड़ी ***** अप्रयुक्त क्षमता के साथ ऐसी वर्धित क्षमता दर्शाती है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के मामले में निर्यातक द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं को भारत भेजे जाने की प्रबल संभावना है।

iii. और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि दर्शाने वाला मंदी अथवा दबाव का प्रभाव

131. प्राधिकारी ने मूल जांच में यह पाया था कि पाटित आयातों की पहुँच कीमत ने भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित किया था, जैसा कि ऐसे आयातों के कारण कीमत कटौती और कम कीमत पर हुई बिक्री से स्पष्ट है। सम्बद्ध आयातों की पहुँच कीमत ने कीमत, जो घरेलू उत्पादक प्राप्त कर सकते थे, के स्तर का सीमा निर्धारण कर दिया था और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग क्षति रहित स्तर से का कीमत पर बिक्री के लिए विवश हुआ, जिसके परिणामतः कम कीमत पर बिक्री की स्थिति उत्पन्न हुई।
132. वर्तमान मामले के तथ्यों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध आयातों के कारण कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क के बिना सकारात्मक थी और पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम थी, जिसके कारण कीमत में वृद्धि नहीं हुई, जो अन्यथा होती, जिसके परिणामस्वरूप कीमत पर दबाव की स्थिति बनी। घरेलू उद्योग की कीमत से कम कीमत पर पाटित आयातों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप पाटित आयातों में और वृद्धि होगी। यह भी नोट किया जाता है कि आयातक भी प्रवंचना जैसी पद्धतियों में लिप्त हो रहे हैं, ताकि लागू पाटनरोधी शुल्क से बचा जा सके और ऐसी स्थिति में जब शुल्क समाप्त हो रहा है, तब आयात बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

133. सम्बद्ध आयातों की संभावित अत्यधिक मात्रा को देखते हुए ऐसी कीमत कटौती और कीमतों पर दबाव के प्रभाव से घरेलू उद्योग द्वारा बाजार हिस्सा गवाएं जाने अथवा बाजार हिस्सा बचाए रखने के प्रयास में लागत को कवर करने के लिए मूल्यवृद्धि का अधित्याग किए जाने की संभावना है, जैसा कि मूल जांच के समय था। ऐसी स्थिति में सम्बद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों अत्यधिक दबाव अथवा मंदी का प्रभाव होगा एवं/अथवा यदि वर्तमान उपाय समाप्त किए जाते हैं, तो वे घरेलू उद्योग की कीमत पर बाजार हिस्सा प्राप्त कर लेंगे।

iv. जांचाधीन वस्तु की मालसूची

134. यद्यपि, चीन जन. गण. में मालसूची (इनवेंटरी) के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि बेकार पड़ी अत्यधिक क्षमता कुछ मालसूचियों की भी परिचायक है। तथापि, सहयोगी निर्यातक के पास मालसूची के रुझान को निम्नानुसार नोट किया गया है, जो जांच अवधि तक मालसूची में वृद्धि दर्शाता है।

विवरण	यूनिट	2017	2018	2019	जांच अवधि
मालसूची	नग	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	230	247	127

135. तथापि घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में वृद्धि हुई है, जो आयातों में वृद्धि होने के मामले में इनमें वृद्धि की संभावना दर्शाता है।

v. पटनरोधी शुल्क की उपस्थिति में आयातों की मात्रा

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अवधि में सम्बद्ध देश से उल्लेखनीय आयात हुए थे, हालांकि जांच अवधि तक इनकी मात्रा में गिरावट आई थी। भारतीय मांग में पाटित आयातों का हिस्सा उल्लेखनीय था। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आयातों की समग्र मात्रा में कमी आई है, तथापि ऐसी मात्राओं को प्रवंचना आयातों के आलोक में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, लागू शुल्कों के बावजूद निरंतर आयात और प्रवंचना जैसी पद्धतियाँ इस बात की द्योतक हैं कि शुल्क समाप्त किए जाने के मामले में आयातों में और वृद्धि होने की संभावना है।
137. शुल्क की उपस्थिति में निरंतर पाटन से इस विचार को बल मिलता है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिये जाएं, तो ऐसा पाटन और क्षति जारी रहेगी। यदि कंपनियाँ मौजूदा शुल्क के साथ पाटन करती रहीं तो यह मानने की गुंजाइश है कि पाटन जारी रहेगा, यदि शुल्क हटा भी दिया जाए। ऐसी संभावनाओं को नकारने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

vi. बाजार में निर्यातकों की निरंतर उपस्थिति और घरेलू उद्योग की कमजोरी

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निरंतर पाटित आयात और प्रवंचनारोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में पाये गए तथ्य दर्शाते हैं कि उपाय लगाए जाने के बावजूद चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास किया था। मौजूदा शुल्क की प्रवंचना यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लागू हो तो निर्यातक घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं हैं और अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए उन्हें प्रवंचना का सहारा लेना पड़ा था। यह दर्शाने के लिए कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो निर्यातक पाटन जारी रखने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे, उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

vii. वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने के मामले में संभावित क्षति की मार्जिन

139. जैसा कि उपर्युक्त विवेचन में नोट किया गया है, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति की मार्जिन नकारात्मक है। तथापि, जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है, यदि प्रवंचना आयातों पर भी विचार किया जाए, तो यह अत्यधिक सकारात्मक है।

क्षति मार्जिन – पीयूसी + पीयूआई (जांच अवधि के दौरान)

लैंडेड पीयूसी	रुपए/किलोग्राम	113.27
पीयूसी हेतु क्षति रहित कीमत	रुपए/किलोग्राम	***
क्षति की मार्जिन	रुपए/किलोग्राम	***
क्षति की मार्जिन	% रेंज	10 to 20

140. चूंकि जांचाधीन उत्पाद का आयात और कुछ नहीं, बल्कि मौजूदा उपायों की प्रवंचना के लिए सीकेडी/एसकेडी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद का आयात है, अतः वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावित क्षति की मार्जिन की जांच करते समय विचाराधीन उत्पाद तथा जांचाधीन उत्पाद दोनों की क्षति की मार्जिन पर विचार करना उपयुक्त होगा। उपर्युक्त सकारात्मक क्षति की मार्जिन ऐसी संभावित स्थिति दर्शाता है कि वर्तमान शुल्क के अभाव में विचाराधीन उत्पाद का आयात क्षतिकारी स्तर पर होगा।

viii. भारतीय बाजार को किए गए निर्यात की तुलना में तीसरे देशों को किए गए निर्यात और उसका आकर्षण

141. प्राधिकारी, सहयोगी निर्यातक अर्थात् गुवांगडांग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड द्वारा तीसरे देश को किए गए निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार नोट करते हैं और इसकी तुलना उक्त कंपनी द्वारा भारत को किए गए सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात से की गई है:-

विवरण	यूनिट	2017	2018	2019	POI
निर्यात बिक्री – भारत	आरएमबी/नग	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	111	130	132
निर्यात बिक्री – अन्य देश	आरएमबी/नग	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	92	100	102
निर्यात बिक्री – भारत	नग	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	140	63	21
निर्यात बिक्री – अन्य देश	नग	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	124	108	78

142. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि गुवांगडांग फुवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड ने जहां विचाराधीन उत्पाद की ***** यूनिटों का निर्यात भारत को ***** आरएमबी/यूनिट की कीमत पर किया था, वहीं उक्त कंपनी ने तीसरे देशों को ***** यूनिटों का निर्यात ***** आरएमबी/यूनिट की कीमत पर किया था। यह दर्शाता है कि फिलहाल तीसरे देशों को किए गए निर्यात की मात्रा भारत को किए गए निर्यातों से काफी अधिक है और भारत की तुलना में कम कीमत पर है।
143. हाल ही में समाप्त हुई एक प्रवंचनारोधी जांच में, प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रभावोत्पादकता और घरेलू उद्योग पर इसके हानिकारक प्रभाव के क्षरण को स्थापित किया है। उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों द्वारा वर्तमान शुल्क के अभाव में कम कीमत वाले निर्यातों को भारत भेजने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ix. वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने के संभावित प्रभाव

144. उपर्युक्त विवेचन में प्रदर्शित तथ्यों से यह नोट किया जाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने पर सम्बद्ध आयातों की मात्रा अत्यधिक होने की संभावना है और सम्बद्ध आयातों का अत्यधिक कीमत प्रभाव होने की संभावना है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, रोजगार, इनवेंटरी के स्तर आदि पर सम्बद्ध आयातों की अत्यधिक संभावित मात्रा तथा कीमत प्रभाव का अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन कारकों में संभावित गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है।

ड. प्रकटन के उपरांत टिप्पणियां

145. प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 20.10.2021 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें उठाए गए अधिकांश मामले पहले ही उठाए जा चुके हैं और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल भी किया जा चुका है। संगत पाए गए अतिरिक्त अनुरोधों की जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

ड.1 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

146. प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अपने विचारों तथा साथ ही घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक के आधार की भी पुष्टि कर सकते हैं। प्रतिवादी पक्षकार उत्पाद के दायरे की समीक्षा की जरूरत को दर्शाने के लिए किसी वास्तविक साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही, प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा अप्रमाणित दावे करने के अलावा आवेदक के स्थायी दावों को अस्वीकृत करने के लिए कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
147. यह बात पुनः दोहराई जाती है कि योर्क ने प्रमुख मूवर्स के संबंध में सियाम (एसआईएम) से उपलब्ध प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन के अनुमानों के आधार पर आधार के संबंध में दावे किए हैं, जिसमें कि संबद्ध वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं और उसे देखते हुए प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा दिए गए कतिपय अन्य उत्पादकों के नामों का कुल भारतीय उत्पादन और आधार के संबंध में तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है।
148. यथा प्रकट तथ्य यह दर्शाते हैं कि निरंतर पाटित आयात और लागू उपायों की प्रवंचना, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से कुछ सुधार होने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट के लिए मुख्य कारक रही हैं। पाटनरोधी शुल्क जारी रहना, घरेलू उद्योग के लिए समान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है क्योंकि लागू पाटनरोधी शुल्क का अपेक्षित प्रयोजन, उपायों की प्रवंचना और साथ ही, पाटन के जारी रहने के कारण विफल हो गया है, जिससे घरेलू उद्योग पर गंभीर कीमत संबंधी प्रभाव पड़े हैं, जिनके चलते क्षति जारी रही है।
149. यथाप्रकट तथ्य विचाराधीन उत्पाद के आयातों के मामले में काफी पाटन मार्जिन दर्शाते हैं, जो हमारे अनुरोध को यह आधार प्रदान करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो पाटन की पूरी संभावना है, । प्राधिकारी अन्तिम जांच परिणाम में भी निर्धारण के आधार की पुष्टि कर सकते हैं।
150. यथा प्रकट तथ्य यह दर्शाते हैं कि क्षति मार्जिन नकारात्मक हैं, यदि विचाराधीन उत्पाद के आयात केवल भारत में किए गए हैं। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रवंचना करके किए गए आयातों के साथ पहुंच कीमत, क्षति मार्जिन की सच्ची तस्वीर दर्शाती है और इसके लिए जो संगत हैं, वह प्रवंचना के आयातों को शामिल करने के बाद निर्धारित क्षति मार्जिन है अर्थात् सीकेडी/ एसकेडी की स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के आयात। प्राधिकारी प्रवंचना के आयातों पर विचार करते हुए भी पहुंच कीमत का निर्धारण कर सकते हैं।
151. यह अनुरोध किया जाता है कि नकारात्मक क्षति मार्जिन किसी निर्णायक समीक्षा जांच में एक प्रमुख निर्धारक है क्योंकि लागू उपायों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण की जरूरत है। यथाप्रकट तथ्य, शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना दर्शाते हैं। प्राधिकारी कुछेक विगत उदाहरणों का उल्लेख करते हैं, जिनमें कि शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की गई थी, चाहे एक निर्णायक समीक्षा में नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद ही हो और इस मामले में भी इसी प्रकार की अवधारणा है।

- i. चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कलर कोटेड/ ग्री-पेंटेड फ्लेट अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील उत्पादों” के आयातों के संबंध में दिनांक 8 अक्तूबर, 2021 की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जांच, जिसमें कि दोनों संबंधित देशों पर, यहां तक कि नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद भी उन्हें जारी रखने की सिफारिश की जाती है।
 - ii. पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयातों के संबंध में दिनांक 7 नवम्बर, 2019 की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जांच, जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से निर्यात पर शुल्क, यहां तक कि नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद भी मूल शुल्क स्तर पर जारी रहे।
 - iii. चीन जन. गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के संबंध में दिनांक 22.12.2012 की जांच, जिसमें कि चीन जन. गण. से नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद भी शुल्क जारी रहे थे।
 - iv. चीन जन. गण., थाइलैंड और यूएसए से पीवीसी सस्पेंसन ग्रेड रेजिन की दिनांक 18.7.2019 की जांच, जिसमें कि चीन जन. गण. और यूएसए से सहयोगी निर्यातकों से नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद भी शुल्क जारी रहे थे।
 - v. चीन जन. गण., मलेशिया, थाइलैंड, श्री लंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 6 एमएम अथवा अधिक की मोटाई के प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड की दिनांक 08.01.2021 की जांच, जिसमें कि थाइलैंड से सहयोगी निर्यातकों के संबंध में नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद भी शुल्क जारी रहे थे।
152. उपरोक्त के बावजूद, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में (दिनांक 23.2.2017 के आदेश) के तहत यह निर्णय दिया है कि नकारात्मक क्षति मार्जिन इस निर्धारण के लिए कोई आधार नहीं बनाता कि पाटन और/ अथवा क्षति की कोई संभावना नहीं है।
153. शानडोंग जिनसेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि. के उत्तर को अस्वीकार करना पूरी तरह से उचित नहीं है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कंपनी द्वारा सीकेडी/ एसकेडी की स्थिति में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की जा रही थी। प्रवंचना के आयातों का एक स्रोत अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है।
154. यथा प्रकट तथ्य सहयोगी निर्यातक से भी सूचना के आधार पर पाटित और क्षति संबंधी आयातों की सशक्त संभावना दर्शाते हैं। जबकि सहयोगी निर्यातक की क्षमता वही रही, लेकिन उत्पादन में गिरावट आई और वस्तुसूचियों में वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि निर्यातक के पास अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताओं की भरमार है, जिन्हें वर्तमान उपायों की समाप्ति की स्थिति में भारत को भेजा जाएगा। प्राधिकारी निर्यातक की तीसरे देश की निर्यात कीमत के आधार पर संभावित कीमत संबंधी प्रभावों की जांच कर सकते हैं, जिसे कि गोपनीय रखा गया है।
155. यह बात पुनः दोहराई जाती है कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने का प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है क्योंकि अन्तिम उत्पाद में संबद्ध वस्तुओं की लागत बहुत ही अपर्याप्त है, जो कि 2-3 प्रतिशत है। यहां जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्रवंचना जैसी गैर-कानूनी प्रक्रियाओं में लगे प्रयोक्ता/ आयातक, जिन्होंने लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रयोजन को विफल किया है, और शुल्क को किसी भी तरह से समाप्त किए जाने से ऐसे गैर कानूनी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित मिलेगा। लोक हित केवल लागू पाटनरोधी के अपेक्षित प्रयोजन के बाद ही पूरा हो सकता है न कि उस अवस्था में जब घरेलू उद्योग के वैध हित खराब हुए हैं।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

156. यह स्पष्ट है कि पाटन मार्जिन सबसे निचले स्तर पर है, जो कि 10-20 प्रतिशत है और क्षति मार्जिन नकारात्मक है, जिसका यह अर्थ है कि घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से आयातों के कारण किसी क्षति का सामना नहीं कर रहा है।

157. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 121 में सरप्लस क्षमता के बारे में निष्कर्ष सही नहीं है। गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. के पास सरप्लस क्षमताएं नहीं हैं। यह देखा जा सकता है कि फुवा 80 प्रतिशत से भी अधिक क्षमता पर लगातार प्रचालन कर रहा है, जो कि उद्योग के लिए ईष्टतम क्षमता उपयोग है। अतः फुवा के पास घरेलू उद्योग के दावों के लिए कोई अधिक्य क्षमता नहीं है।
158. प्रकटीकरण विवरण के अनुसार, प्राधिकारी ने “गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं., लि.” की बजाय “गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि.” नाम पर विचार किया है। अतः प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि अंतिम जांच परिणामों में “गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं., लि.” नाम पर विचार करें।
159. मौखिक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए रिज्वाइंडर के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की गई थी। तथापि, रिज्वाइंडर की प्रति हमें कभी भी प्रदान नहीं की गई थी। यह नियमों तथा विनियमों के भी विपरीत है।
160. प्रकटीकरण विवरण में विशेष रूप से पीयूआई/ पीयूसी के तहत आने वाले उत्पादों के लिए जांच की अवधि के दौरान अथवा विगत वर्षों में योर्क द्वारा किए गए आयातों के संबंध में कोई भी सूचना शामिल नहीं है।
161. प्रकटीकरण विवरण में प्रमुख मूर्स की बिक्रियों के आधार पर बाजार अंश की गणना करने के लिए नए फार्मूला को स्वीकार किया गया है। तथापि, दुर्भाग्यवश, समग्र उत्पादन डेटा को शामिल किया गया है, चाहे वे बेचे गए हों अथवा नहीं बेचे गए हों। तथापि, केवल प्रमुख मूर्स के लिए ही, बिक्री की गई वास्तविक संख्या पर विचार किया गया है न कि उत्पादित कुल संख्या पर। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धियों के लिए भी केवल वास्तविक बिक्री संबंधी आंकड़ों पर विचार किया गया है न कि कुल उत्पादन पर। इसके परिणामस्वरूप एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है कि योर्क घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।
162. कुल उत्पादन क्षमता पर विचार-विमर्श करते हुए, प्रकटीकरण विवरण में योर्क को उत्पादन शिफ्ट की घटाई गई संख्या के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी गई है। दुर्भाग्यवश, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि चीन की कंपनियों के पास अधिक उत्पादन क्षमता है कि चीन में उत्पादन कम करने पर विचार नहीं किया गया है। योर्क द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों को बिना किसी जांच के आंख मूंदकर स्वीकार कर लिया गया है।
163. यह बड़े खेद का मामला है कि प्रश्नावली के लिए जीएचएमएमसी के उत्तर पर केवल विलंब से दाखिल करने के आधार पर ही विचार नहीं किया गया है। हमने भारी पाटनरोधी शुल्क के कारण से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था, अतः यह सन्देह से परे है कि हमने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई थी।
164. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से योर्क के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी और इससे बनावटी कमी दिखाकर और ट्रेलरों के लिए महत्वपूर्ण एक्सल का अभाव उत्पन्न करके देश में ट्रांसपोर्टर स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

165. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के उस निवेदन को नोट करते हैं जिसमें उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि उतारे गए मूल्य पर दरकिनार आयात यानी सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी को शामिल करके विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए यह दृष्टिकोण अपनाया है। चूंकि यह दरकिनार उत्पाद पाटन और परिणामी क्षति की संभावना के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है, इसलिए, गैर-सहयुगी (अवशिष्ट) उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही दरकिनार आयात यानी सीकेडी/एसकेडी रूप में पीयूसी पर विचार करके पाटन और परिणामी क्षति की सीमा की गणना की है।
166. इन टिप्पणियों के संबंध में कि गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं., लि. के पास सरप्लस क्षमताएं नहीं हैं और यह 80 प्रतिशत के ईष्टतम स्तर पर प्रचालन कर रहा था, यह नोट किया जाता है कि कंपनी जांच की अवधि में 80 प्रतिशत के उपयोग पर प्रचालन कर रही थी। अतः ईष्टतम स्तर पर प्रचालन करने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए कंपनी की क्षमता का करीब 20 प्रतिशत जांच की अवधि के दौरान अप्रयुक्त रहा।

167. निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताओं की उपलब्धता और भारतीय बाजार का आकर्षण जो कि परिवर्चना की प्रथाओं के माध्यम से स्पष्ट हुआ है, पाटन के जारी रहने और भारतीय उद्योग को परिणामी क्षति की उच्च संभावना को स्थापित करता है।
168. गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं., लि. के सही नाम के संबंध में, इसे उपयुक्त स्थानों पर उल्लिखित किया गया है।
169. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक का रिज्वाइंडर अनुरोध प्रदान नहीं किया गया था, सतत प्रक्रिया के अनुसार, सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके बीच लिखित अनुरोध साझा करने का निदेश दिया गया था और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इसका पालन किया गया था। लिखित अनुरोधों को साझा करने का प्रयोजन, हितबद्ध पक्षकारों को, अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए दावों का खंडन करने की अनुमति प्रदान करता है। हितबद्ध पक्षकारों के रिज्वाइंडर अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में संगत पाए अनुसार विधिवत विचार किया गया है।
170. इस तर्क के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण में जांच की अवधि के दौरान अथवा विगत वर्षों में योर्क द्वारा किए गए आयातों के संबंध में कोई सूचना शामिल नहीं है, यह नोट किया जाता है कि याचिका में आवेदक द्वारा यह प्रमाणन शामिल है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया और उसे जारी किए गए प्रकटीकरण में भी दर्ज किया गया था।
171. इस तर्क के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण में प्रमुख मूवर्स की बिक्रियों के आधार पर बाजार अंश की गणना के लिए नया फार्मूला स्वीकार किया गया है लेकिन योर्क का समग्र उत्पादन डेटा शामिल किया गया है, चाहे वह बेचा गया हो या न बेचा गया हो, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। सियाम (एसआईएम) के डेटा के आधार पर निर्यातक द्वारा प्रस्तावित फार्मूला पर आधारित एक वैकल्पिक गणना भी याचिका में किए गए दावों के अलावा, प्रदान की गई थी। इसके साथ ही, नियम 2 (ख) के तहत कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा निर्धारित करने की आवश्यकता है न कि घरेलू बिक्रियों के संबंध में, जैसा कि तर्क दिया गया है। तथापि, प्रमुख मूवर्स की बिक्रियों पर विचार किया गया है ताकि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का आकलन किया जा सके। प्रमुख मूवर्स की बिक्रियों पर विचार करके संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग प्राप्त की गई है और पीछे की गणना करके, याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन निकाला गया है। मूल जांच में भी इसी प्रकार की अवधारणा अपनाई गई थी।
172. इस तर्क के संबंध में कि कुल उत्पादन क्षमता पर चर्चा करते समय, प्रकटीकरण विवरण में योर्क को उत्पादन शिफ्ट की घटाई गई संख्या के आधार पर आगे कार्यवाई करने की अनुमति दी गई है लेकिन चीन में उत्पादन में कटौती पर विचार नहीं किया गया है, अतः प्राधिकारी सहयोगी निर्यातक के उत्तर से यह नोट करते हैं कि कंपनी के पास करीब 20 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता है, और निर्यातक ने, जैसा कि तर्क दिया गया है, ऐसी किसी उत्पादन कटौती का दावा नहीं किया है।
173. गुआंगझोउ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चर कं. लि. के उत्तर को अस्वीकार करने के बारे में तर्कों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले को इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पहले ही शामिल किया जा चुका है। यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी ने यह कहा है कि उन्होंने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था। ऐसी परिस्थिति में कथित उत्पादक/ निर्यातक के लिए निर्यात कीमत नहीं निकाली जा सकी और इसलिए इस मामले में किसी व्यक्तिगत मार्जिन के लिए पात्र नहीं है। तथापि, उक्त निर्माता/निर्यातक पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत न्यू शिपर रिव्यू के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि उक्त नियम की अपेक्षाओं को पूरा किया जाए।
174. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से योर्क के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी, और इससे ट्रेलर के लिए महत्वपूर्ण एक्सल की बनावटी कमी और अभाव उत्पन्न करके देश में ट्रांसपोर्ट की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि सामान्यतया पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है।

ट) जनहित

175. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के इस जांच से उत्पन्न सरोकारों के व्यापक समाधान के लिए आयातकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की थी।
176. घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं के हित, अंतिम उत्पादों पर प्रभाव और शुल्क लगाए जाने के लाभों पर निवेदन प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तावित कीमतें समुचित हैं और पाटनरोधी शुल्क का अंतिम प्रयोक्ता पर बहुत मामूली प्रभाव होगा। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी दावा किया गया है कि अंतिम प्रयोक्ता के लिए सम्बद्ध वस्तुओं की लागत अंतिम उत्पाद की कुल लागत की 2-3% से अधिक नहीं होगी और ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का अंतिम उत्पाद पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा।
177. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनाई जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से सम्बद्ध देश से आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
178. यह मान्य किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से सम्बद्ध वस्तुओं का उपयोग करके विनिर्मित उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामतः इस उत्पाद की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से तब, जब पाटनरोधी शुल्क की राशि उस स्तर तक सीमित रखी जाए, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटित पद्धतियों से प्राप्त अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट रुकेगी और उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
179. इस संदर्भ में यह भी नोट किया जाता है कि सम्बद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से बचने की पद्धतियाँ मौजूद हैं और सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित हाल ही में की गई प्रवंचनारोधी जांच में यह पाया गया था कि विचाराधीन उत्पाद को ट्रेलर एक्सल के पुर्जों के रूप में सीकेडी/एसकेडी स्थिति में करके पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना की गई है और ऐसी पद्धतियों से मूलतः लगाए गए शुल्क का प्रभाव कम हुआ है। ऐसी पद्धतियों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव उपर्युक्त जांच में किए गए तथ्यों में परिलक्षित होता है और उक्त संदर्भ भी इस समीक्षा जांच के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।

ढ. निष्कर्ष

180. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :
 - i. आवेदक घरेलू उत्पादक, नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है और घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदक द्वारा दाखिल किया गया आवेदन नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंडों को पूरा करता है चूंकि यह एक प्रमुख अनुपात रखता है यानी ***%।
 - ii. शुल्क लागू रहने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक है और प्रवंचना करके किए गए आयातों पर विचार करने के बाद क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है।
 - iii. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और वर्तमान शुल्कों के अभाव में कीमत का प्रभाव भी अधिक होगा। आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव अधिक स्पष्ट है, क्योंकि पहले से लागू शुल्कों की प्रवंचना के लिए प्रवंचना की प्रक्रियाएं चल रही हैं।

- iv. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटित आयातों का बाजार अंश, यहां तक कि जब भारत में मांग में कुछ अस्थायी गिरावट रही तब भी यह भारतीय मांग में उसी स्तर पर जारी रही।
- v. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग हानियों का सामना कर रहा है। लाभप्रदता में सुधार, लागू पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना और पाटित आयातों के जारी रहने के साथ एक बार पुनः गिरावट की स्थिति में आ गया।
- vi. घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल अर्जित कर रहा है जो कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद विगत वर्षों में सकारात्मक था।
- vii. सहयोगी निर्यातक का उत्तर जांच की अवधि में 20 प्रतिशत की निष्क्रिय क्षमता दर्शाता है, जो कि आधार वर्ष में केवल 3 प्रतिशत के करीब थी। सूचना में भी निर्यातक के पास वस्तुसूची में वृद्धि दिखाई गई है। ये तथ्य यह दर्शाते हैं कि निर्यातकों के पास, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को हटा लिया जाता है, तो एक अल्प समय में पाटित स्तरों पर निर्यातों में वृद्धि करने की संभावना है।
- viii. जैसा कि सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दाखिल उत्तर से नोट किया गया है, वर्तमान में तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा भारत को निर्यातों से काफी अधिक है और साथ ही यह कमतर कीमतों पर भी है, यदि भारत से तुलना की जाती है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क उत्पादक/ निर्यातक की अनुचित प्रक्रियाओं के अवरोधक के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को हटा लिया जाता है तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना पर विचार करते हुए, जो पहले ही हाल के जांच परिणामों के ज़रिए स्थापित हो चुकी है, पूरी संभावना है कि संबद्ध वस्तुएं कमतर कीमतों पर और भारी मात्रा में भारत को भेजी जाएगी।
- ix. यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्कों के बाद भी पाटित आयात जारी रहें और लागू शुल्कों की अपवंचना के लिए प्रवंचना जैसी प्रक्रियाएं हैं, जो एक सशक्त संभावना की स्थिति दर्शाती है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को हटा लिया जाता है तो आयातों की दर में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।
- x. तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अवस्था में शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ण. सिफारिशें

181. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करने तथा जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार पाटनरोधी शुल्क को सूर्यास्त समीक्षा के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जारी रखा गया है/ लगाया गया है।
182. इन परिस्थितियों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी इसे उपयुक्त समझते हैं और संबद्ध देश में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से पांच साल की और अवधि के लिए जारी रखने की अनुशंसा करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	गुआंगडोंग फूवा हैवी इंडस्ट्रीज कं., लि.	0.16	कि. ग्रा.	यूएस डॉलर
2	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	क्र. सं. 1 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	0.31	कि. ग्रा.	यूएस डॉलर
3	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक	0.31	कि. ग्रा.	यूएस डॉलर

183. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का क्रमांक 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें इस अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

त. आगे की प्रक्रिया

184. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

Final Findings

New Delhi, the 27th October, 2021

CASE No. (SSR) 07/2021

Subject : Sunset Review investigation of Anti-Dumping duties concerning imports of ‘Axle for Trailers’ originating in or exported from China PR

F. No. 7/7/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 (hereinafter also referred to as ‘the Rules’) as amended from time to time thereof, M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd. (hereinafter also referred to as the petitioner or the applicant or the domestic industry or York) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) on behalf of the domestic industry for initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed

A. BACKGROUND OF THE CASE

a. The Original investigation

2. WHEREAS, the Authority, in an antidumping investigation, vide its Final Findings Notification No 14/17/2015-DGAD dated 30.9.2016, had recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of “Axle for Trailers” originating in or exported from China PR the (PUC or the Subject goods), and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 54/2016-Customs (ADD), dated the 29.11.2016.

b. The Anti-circumvention investigation

3. WHEREAS, the Authority had received information from the Commissioner of Customs (Imports), Nhava Sheva that the aforesaid anti-dumping duty was being circumvented from the subject goods subjected to anti-dumping duty were being imported in CKD/SKD as parts of Axle for Trailers and thereafter being assembled to form the PUC. By taking cognizance of the information provided by the Commissioner of Customs as per sub rule 3 of Rule 26 of the Anti-dumping rules, the Authority initiated an anti-circumvention investigation vide Notification F. No. 4/11/2020-DGTR- dated 15th September, 2020 to determine the existence and effect of the alleged circumvention of the anti-dumping duties levied on the subject goods and to consider recommendation of the extension of existing antidumping duty also on such imports of PUC in CKD/SKD condition from China PR, in accordance with relevant AD Rules. The Authority vide its final findings dated 14.9.2021 recommended extension of existing antidumping duty on the import of PUC in CKD/SKD condition from China PR on finding circumvention.

c. Present Sunset Review investigation

4. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by the domestic industry or on its own initiative, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Based on the prima facie evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury given in the petition filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No.7/7/2020-DGTR dated 19th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of the present anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

6. Following the initiation of the sunset review, the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 46/2021-Customs (ADD), dated the 25th August, 2021 extended the existing anti-dumping duties up to and inclusive of 28.01.2022 pending the outcome of the present sunset review investigation.

B. PROCEDURE

7. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation.
- i. The Authority notified the Embassy of China PR about the sunset review investigation in accordance with the Customs Tariff Act read with Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.
 - ii. The Authority, issued a public notice dated 19th April, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject sunset review investigation concerning imports of the PUC from China PR.
 - iii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, all the known exporters, importers and user associations in India as per the information available on records.
 - iv. The Authority wrote to all the known exporters/ producers, importers and user associations and requested them to file their responses in the prescribed questionnaire and to make their views known in writing within the time limit prescribed. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassy of China PR, along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/ producers to respond to the Authority within the prescribed time and if there is any other exporter/producer of the PUC in the subject country which is not known to the Authority or due to incorrect e-mail ids of the known exporters/producers of the PUC, the communication of the Authority may not have reached, the same may be intimated so as to enable them to file their responses within the prescribed time
 - v. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - a) Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co., Ltd.
 - b) Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.
 - c) Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.
 - vi. Responses were received from below mentioned exporters/producers within the timeline prescribed by the Authority:
 - a) Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. (hereinafter also referred to as Fuwa)
 - b) Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd. (hereinafter also referred to as Shandong)
 - vii. It is noted that M/s. Guangzhou Huajing Machine Manufacturer Co. Ltd., a producer/exporter in China PR has filed legal submissions within the deadline. However, the said exporter filed its questionnaire response much after the deadline. In such a scenario, the Authority is unable to accept the questionnaire response of the said producer/exporter from China PR as per Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. The response filed at such belated time is rejected as per Rule 6(8) of Anti-Dumping Rules, 1995, which states that “*in case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances*”. The said Rule is a replica of Article 6.8 of Anti-Dumping Agreement which casts an obligation on the interested party to submit their response within the reasonable period of time provided by the Authority and in the subject investigation, the Authority has given 37 days’ time from the date of the communication of the subject initiation enclosing the requisite questionnaire for the ease of the interested parties to submit their response to enable the Authority to reach to fair and appropriate conclusions. It is further noted that while the other three producers/exporters from

the subject country have submitted their questionnaire response within the deadline provided by the Authority, M/s. Guangzhou Huajing Machine Manufacturer Co. Ltd. was able to submit only their legal submissions and the response to the questionnaire was submitted much after the stipulated timeline. Accordingly, the above-mentioned producer/exporter from China PR is being treated as non-cooperative in this investigation to the extent of their submissions of data/information in the form of questionnaire response. However, the Authority has considered their legal submissions to the extent found relevant.

- viii. Questionnaires were also sent to the following known importers/users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
- a) King Kaveri Trading Company
 - b) H.D. Trailers Pvt. Ltd.
 - c) Satrac Engineering Private Limited
 - d) Safetech Trailer Parts LLP
 - e) Synergic Trailer and Auto Solutions Pvt. Ltd.
 - f) Shivam Motors Pvt. Ltd.
 - g) Black Diamond Motors Pvt. Ltd.
 - h) Vandana Trailors & Body MFG (P) Ltd
 - i) MS Trailer Parts LLP
- ix. In response to the initiation notification the following importers/users filed their letter of interest to participate in the investigation, however, none of them filed their responses;
- a) H.D. Trailers Pvt. Ltd.
 - b) Road on Axles India Pvt. Ltd.
 - c) H.J. Axle India Pvt. Ltd.
- x. An importer, M/s Road on Axles India Pvt Ltd., has only filed the legal submissions and an incomplete response. In such a scenario as per Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules, 1995, the response of the said importer also cannot be accepted being incomplete. However, the legal submissions filed by the said importer have been considered and examined to the extent found relevant.
- xi. Initiation notification was also sent to the following other known producers of the subject goods in India as per the available records;
- a) TATA Motors Ltd.
 - b) Ashok Leyland Ltd.
 - c) JOST India Auto Component Pvt. Ltd.
 - d) G.S. Auto International Ltd.
- xii. The other known producers have neither supported nor opposed the present investigation.
- xiii. The Authority made available a non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties to the other parties by way of directions to exchange the submissions via e-mail as physical verification of the 'Public File' is not possible on account of the ongoing pandemic. Submissions made by all the interested parties during the course of the investigation to the extent relevant have been addressed appropriately at relevant paras of these final findings.
- xiv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xv. Further information was sought from the interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the domestic industry and the cooperating producers/exporters of China PR was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xvi. Investigation has been carried out for the period starting from 1st January, 2020 to 31st December, 2020 (12 months) (hereinafter referred to as the “period of investigation” or “POI”). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from, 2017-18, 2018-19, 2019-2020 and the POI.
- xvii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the details of imports of the PUC during the last four years, including the period of investigation, and the same was received by the Authority. The Authority has used the DGCI&S imports data for computation of the volume and value of imports and injury analysis.
- xviii. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding producers in the subject countries was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.
- xix. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as ‘NIP’) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xx. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held through Video Conferencing on 9th of August, 2021. All the parties were requested to submit their written submissions and rejoinders to the written submissions following the oral hearing.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 20th October, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observations on the basis of the facts available.
- xxiii. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1USD=Rs. 74.99.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION LIKE ARTICLE

C.1. Product Under Consideration

- 8. The product under consideration in the present sunset review investigation is the same as the product under consideration defined in the original investigation i.e., “Axle for Trailers” originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the PUC or the subject goods). It falls under Customs Tariff 87169010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975.

9. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles have been covered in the scope of the PUC. All such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.

C.2. Views of the Domestic Industry

10. The domestic industry has made following submissions with regard to the scope of product under consideration and the like article:
- i. present investigation being a sunset review, the scope of the PUC and the Like Article should remain the same as found in the original investigation. The original definition was not assailed in any appeal and the finding has reached its finality.
 - ii. There are no new facts supported with evidence brought on record in this case to revisit the scope of the PUC and Like Article as found in the original case.
 - iii. It has been contended by Guangzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd that single piece axles imported from China PR are different products and not like article to the axles produced by the domestic industry. This submission has no factual or legal basis.
 - iv. Single piece axle has been part of the PUC in the original investigation also. Axle for Trailers manufactured out of a single piece beam or a welded beam is a comparable product and is clearly a like article to one another within the meaning of Rule 2 (c) of Indian AD Rules. The difference at the best is in the process/technology but the end uses remain the same and there are no technical or other factors which makes them two different products.
 - v. Single piece axle is a perfect substitute for welded axle technically and commercially and the consumers are using it so. Even the argument of the non-cooperative exporter that technology and process is different hence they are different product also cannot hold any ground because it is already settled by Hon'ble CESTAT in ATMA vs DA matter that a difference in process or technology cannot be a ground to dispute the like article test under the Indian a Anti-Dumping rules.
 - vi. The cooperating exporter who is understood to be exporting single piece axle has not disputed the PUC and only a non-cooperative exporter has disputed the scope of the PUC which has no factual or legal substance and the contentions should be rejected.

C.3. Views of the Opposing Interested Parties

- i. The product under consideration is not comparable. The Axles produced by York are made by welding at 4 places. On the other hand, the Axles exported from China PR are single piece axles.
- ii. The domestic axles are weak and unstable and susceptible to breakdowns. The Axles imported are mainly a unique single piece axle produced by Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.
- iii. The Chinese manufacturing technology is undoubtedly superior and more efficient. In view of such differences, the imported axles for trailers and that produced in India cannot be compared.

C.4. Examination by the Authority

11. The present investigation is a sunset review investigation concerning anti-dumping duties imposed on imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR. Hence, the product under consideration in the present investigation is also "Axle for Trailers" originating in or exported from China PR.
12. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles have been covered in the scope of the PUC. All such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.

13. The subject goods fall under Customs Tariff Head 87169010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975. However, the said classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
14. It is also noted that 'Axle for Trailers' have been getting imported in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) condition by declaring it as 'parts of trailer axles' post imposition of anti-dumping duties and the Authority vide an Anti-circumvention investigation concluded on 14.9.2021 and recommended for extension of anti-dumping duties on the import from China PR on imports of 'Axle for Trailers' in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) conditions also which are being imported by declaring them as 'parts of Trailer Axles'.
15. The Authority notes from the information on record that the product under consideration produced by the domestic industry is "like article" to the goods imported from the subject country. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country is comparable in terms of technical specifications, functions or end-uses product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
16. With regard to the contention of the opposing party that Axles by York are produced by welding at 4 places and the Axles exported from China PR are single piece axles, the Authority notes from the facts available that the said single piece beam axle cannot be considered as a different product from the PUC. Axle for Trailers manufactured out of a single piece beam or a welded beam have similar uses and are comparable products which can be substituted by one another. While Guanzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd has contended that Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd has been exporting single piece axles, the responding exporter namely Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd. has not made any such contentions with regard to the product scope. A similar contention was raised in the recently concluded anti-circumvention investigation by some other parties wherein also it was found that single piece axles imported and the axles produced by the domestic industry are comparable products.
17. With regard to the contention that the technology and process is different in the production of single piece and welded axle and the same should be considered as a ground to differentiate the imported and domestic product, it is noted that difference in process or technology cannot be considered as a ground to differentiate the product as the end uses of the imported product and that domestically produced are same and consumers are using the two interchangeably.
18. Thus the Authority holds that the scope of the present sunset review investigation remains the same as the original investigation. The PUC in the present investigation is, therefore, "Axle for Trailers" as was determined in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the Domestic Industry

19. M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd has made following submissions with regard to the domestic industry and standing;
 - a. M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd is the largest producer of Axle for Trailers in India and holds a major proportion in total Indian production. York has been the domestic industry in the original investigation and York alone has been cooperating as domestic industry in the anti-circumvention investigation initiated *suo motu* by the Authority.
 - b. York has estimated the total Indian production of subject goods based on Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) data pertaining to the production of prime movers, which was a method found reasonable in the original investigation also, as production by the other individual producers is not known. Estimated total Indian production of the subject goods based on such data shows a substantial share of York in the total Indian production the subject goods.
 - c. Another producer namely Automotive Axles Ltd have also expressly supported the petition. Also, York has not imported the subject goods from China PR during the POI and its related parties in China PR have not exported the subject goods to India during the POI.

- d. The contention that York do not hold majority share in the Indian production has no substance. The contention that there are other producers of the product in India namely Kross Manufacturers Pvt Ltd, ADR Axles, BPW, HOV, Valent, Jamna Automart, Reliance Forge, Leytech etc. is also not substantiated as the claimant exporter and has not submitted any production detail of such producers along with the total Indian production to dispute the claims of York.
- e. York has provided its claims of the total Indian production supported by factual evidences as available from the SIAM and also provided the names of other producers known to it separately for the information of the Authority.
- f. The total Indian production estimated and claimed by the petitioner in the petition is the total estimated Indian production irrespective of the number of known producers in India.
- g. The other parties have not disputed or proved the total Indian production claimed by the petitioner wrong. The mere claim that there are other producers alone cannot disprove the claims of standing by York.
- h. The reason why York has estimated the total Indian production based on a publicly available third-party data itself is that the details of all producers and producer wise total production of the subject goods in India is not available from any official sources.
- i. It has also been the contention of the non-cooperative exporter that it is wrong to claim 10% trailers have been using single axle. It is submitted that even if the $1\% \times 1 + 19\% \times 2 + 80\% \times 3$ formula proposed by the opposing party is adopted, still York holds major proportion in the Indian production on its own with *** share as below.

Particulars	Volume. in Nos. (Annual)
Prime Mover Sales	9,918
1% are Single Axle	99
19% are 2 axles	3,769
80% are 3 Axles	23,803
Total	27,671
Less Imports in to India	3,230
Demand met by Indian producers	24,441
York's Production	***
York's share (Range)	80% to 90%

- j. The claim of HD Tailers Pvt Ltd to treat them as producer of subject goods should not be accepted. Importers like HD Trailers are being probed for circumvention practices by the Authority.

D.2. Views of the other Interested Parties

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the standing and the scope of domestic industry;
 - a) There are other producers of the product in India namely Kross Manufacturers Pvt Ltd, ADR Axles, BPW, HOV, Valent, Jamna Automart, Reliance Forge, Leytech etc. York has not shared the details of such producers with the Authority.
 - b) York Transport Equipment (I) Pvt. Ltd is only an Axle assembly unit in India. York Transport Equipment (I) Pvt. Ltd does not hold any major share in the Indian production and the claims of the petitioner on standing are not correct. The data constructed by York to show market share in production is false and are with ulterior motive.

- c) Guangzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd. submits that it absolutely agree with SIAM data regarding the number of prime movers sold in India. However, if a formula is to be reached it can only be considered by sampling data from RTO regarding type of trailers registered by their respective RTO offices or by sampling data from trailer manufacturers regarding Single axle (1), Double Axle (2) and Triple Axle (3) Trailer manufactured and sold by them during the POI. The company said that it is confident that the closest formula derived will be $1\%*1+19\%*2+80\%*3$.
- d) Automotive Axles Ltd cannot be termed as a supporter in the present investigation since no data or documents is provided by the company. This is in violation of Trade Notice No 13 and 14 of 2018 which requires supporter to provide complete response in the prescribed format.
- e) HD Trailers Pvt Ltd. should be treated as a producer of the subject goods in this matter.

D.3. Examination by the Authority

21. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

22. The Application has been filed by M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd. The applicant accounts for 93% of total Indian production as per the claims in the petition. The Authority notes that there are other manufacturers of the subject goods in India as per the petition. However, none of such producers have come before the Authority and neither supported nor registered opposition to the petition except Automotive Axles Ltd, who has expressly supported the petition. The Applicant has also certified that even though the applicant has related parties in the subject country, the applicant has not imported the PUC from such related parties in the subject country and also such related parties in the subject country have not exported the PUC to India in the POI.
23. With regard to the contention that there are many other producers of the subject goods in India other than what has been listed out in the petition, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the initiation notification was published in the Gazette of India and was also available on the website of the DGTR. The opposing exporter has claimed that KROSS Limited, RSB, HOV Auto Limited and Reliance Forge are known to be manufacturing the subject goods, ADR Axles India Pvt Ltd., and BPW Trailer are known to be assembling the product and the status of Jamna Auto Industries as a producer of subject goods is marked as unknown to the exporter. However, no such alleged other producers have made themselves known to the Authority. It is also noted that the claimant exporter and opposing parties have not provided any information about production of subject goods by such alleged other producers. Thus, the claims are unsubstantiated and such claims alone are not sufficient to reject the submissions of the of the petitioner as eligible domestic industry which is based on information from SIAM.
24. The Authority also notes the rebuttal of the applicant that even if the petitioner has missed out on the names of any other Indian producers, the same has no impact on the estimation of total Indian production as the share claimed by the petitioner is based on estimates of total Indian production of subject goods based on production of prime movers published by SIAM and wherein the subject goods are used. It is noted that the total Indian production of the subject goods estimated by the petitioner inter alia covers production by all the producers of the subject goods in India whether they have been included or not in the list of producers provided along with the petition.
25. With regard to the contention that York Transport Equipment (I) Pvt Ltd does not hold any major share in Indian production and the claims of the petitioner on standing are not correct, the Authority notes from estimated total Indian production that York Transport Equipment (I) Pvt. Ltd. alone holds a major proportion (93%) as required under Rule 2 (b) and the petition is also supported by another producer namely Automotive Axles Ltd.

26. With regard to the contention that the formula i.e., $10\%*1+80\%*2+19\%*3$ considered to estimate the total Indian production of subject goods by the petitioner is not correct, the Authority notes that such a formula was found reasonable and adopted in the original investigation and a similar view is adopted in the present investigation. The opposing party has suggested that a formula of prime mover production i.e. $1\%*1+19\%*2+80\%*3$ must be adopted. It is noted in this regard that even if such a formula is adopted, the petitioner holds a major share (**%) which still fulfils the standing requirements for the domestic industry as per the Rules.
27. With regard to the contention that M/s York Transport Equipment (I) Pvt. Ltd. is only an Axle assembly unit in India, it is noted that the company was considered as a domestic industry after due verification in the original investigation and a similar status was found in the recently concluded anti-circumvention investigation. It is also noted from the submissions made by M/s York that the company undertakes about 12 manufacturing processes starting from shot blasting of the beams prior to the assembly stage which covers about 14 further processes.
28. With regard to the contention that Automotive Axles Ltd. cannot be termed as a supporter in the present investigation since no data or documents is provided by the company, it is noted that the Company has expressly supported the petition by providing the details of production which is considered for the determination of standing only. However, the injury examination is done based on the complete data provided by the petitioner alone after due verification/table study of such data.
29. With regard to the claim of M/s HD Trailers Pvt. Ltd. to treat them as the producer of the subject goods in India, it is found in the recently concluded anti-circumvention investigation that the company is not a producer of subject goods and have been only assembling imported PUC in CKD/SKD condition. There are no facts submitted in this investigation by the party that necessitated the Authority to revisit the said finding. It is further noted that M/s HD Trailers filed importer questionnaire response in the original investigation and thereafter the said importer claimed to be the producer of the subject goods in the recently concluded anti-circumvention investigation, wherein the Authority concluded that the said importer adds less than 35% of value to the imported product. In addition to all the above, the Authority through digital video conferencing discussed and verified the submissions of M/s HD Trailers wherein through the said discussion it emerged that M/s HD Trailers is in the process of becoming the domestic producer and is currently still holding a nature of an importer rather than the domestic producer of the subject good.
30. Information on record shows that the production by M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. constitutes a major proportion of total Indian production and is an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and further considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. In view of the above, M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. is held as the eligible domestic industry for the purpose of present investigation.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions on confidentiality by the domestic industry

31. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:
- The responding exporters have adopted excessive confidentiality in Exporter Questionnaire response (EQR) and indexation also have been provided at limited places making it difficult to understand the claims of the exporters in any fair manner.
 - Responding exporters have not provided any indexation or range in questionnaire response whereas the nature of data is such that indexation or a range is clearly possible for the key information filed by them.
 - Such information is relevant in the evaluation of likelihood aspects and such excessive use of confidentiality has impacted rebuttals by York.
 - The petitioner has claimed confidentiality on certain information including costing as permissible in the rule but indexation was provided to the extent possible and directions of trade notices were fully complied. It is in fact the exporters who have resorted to extreme confidentiality.

E.2. Submissions on confidentiality by the opposing parties

32. The exporters/importers have made the following submissions with regard to confidentiality.
- i. The non-confidential version of the petition does not give a reasonable understanding of the allegations contained therein.
 - ii. The petition fails to meet the standards of Rule 7 and also trade notice no 1/2013 dated 9th December, 2013.
 - iii. The petitioner has claimed excessive confidentiality with regard to annual accounts and balance sheet. This is when such information for the POI is available in the public domain and can be obtained from the website of MCA on payment of fees.
 - iv. Petition also violates trade notice no 10/2018 dated 7th September, 2018 as the petitioner failed to provide actual information as applicable based on the said trade notice.

E.3. Examination by the Authority

33. Various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality/disclosure of information and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
34. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows: -

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in subrules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

35. The Authority had made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all other interested parties in the form of an e-file through e-mail containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
36. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The interested parties were advised to share their non-confidential versions of responses/submissions with the other interested parties through email.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions on certain other issues by the domestic industry

37. Views of the domestic industry with regards to other issues are as follows:
- i. Guangzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd. should be treated as a non-cooperative party as it has not filed the required responses and its submissions need outright rejection for such non-cooperation. The foreign producers/exporters who wish to cooperate are supposed to file Exporters Questionnaire and also Sunset Review Part II questionnaire in an SSR which is prescribed to elicit relevant information, but the party failed to file both.

- ii. It has been contended that the investigation was initiated without any substantive evidence. The claim has no merit. The petition contained evidences to justify present initiation and also continuation of duties.
- iii. It has been contended that the petitioner exaggerated the imports. The contention is in total malice. The import data has been considered as per DGCI&S and imports for PUC were correctly identified.

F.2. Submissions on certain other issues by the exporters/importers

38. Views of the other interested parties on other issues are as follows:

- i. DGTR should not have initiated the present investigation on the basis of the information contained in the petition.
- ii. The petition did not contain sufficient evidences to justify the initiation. The requirement is that the petition must contain sufficient evidences on likelihood of dumping and injury.
- iii. The petitioner has exaggerated the imports to show a case of likelihood.

F.3. Examination by the Authority

39. The Authority has examined the comments of all the interested parties as under:

- i. With regard to the contention of the petitioner that Guangzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd should be treated as a non-cooperative party, the Authority notes that the submission of the party to the extent found relevant and supported by evidence are considered and addressed. This issue has already been addressed at the relevant paras.
- ii. With regard to the contention of the interested parties that the petition did not contain sufficient evidence to justify the present initiation, the Authority notes that the case was initiated based on sufficient *prima facie* evidence to justify the present sunset review investigation. Further, upon initiation all the interested parties were advised to submit their data and views. The same have been considered by the Authority to the extent relevant in the present final findings.
- iii. With regard to the contention that the petitioner has exaggerated the imports, it is noted that the petition contained imports as per DGCI&S data. The Authority has also relied upon import information collected from DGCI&S on transaction basis.

G. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMALVALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the domestic industry

40. Views of the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin, are as follows:

- i. The information as provided in the petition clearly shows that dumping of the subject goods has continued, and the dumping as claimed has been significantly positive during the POI.
- ii. Such dumping during the POI when the anti-dumping duty (ADD) is in force signifies the fact such dumping will only continue if the ADD is allowed to expire at this juncture.
- iii. Dumping margin during the POI establishes likely dumping also in the event of expiry of the present duties.
- iv. China PR should be treated as Non-Market Economy (NME) country for the purpose of the present investigation and Normal Value in case of Chinese producers should be determined as per the provisions of Para 7 of Annexure-I. The normal value should be determined based on the information supplied by the petitioner. The contentions of the exporters with regard to NME treatment of China PR are baseless and have been consistently rejected by the Authority.
- v. Chinese producers were found operating in NME conditions in the original investigation of the present matter itself. Also, the cooperating producers in the present matter has not rebutted the presumption of NME by filing the applicable questionnaire.

G.2. Submissions by the exporters/importers

41. Views of the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin, are as follows:
- i. The exporter from China PR is surprised to note that the Indian investigating Authority has issued a separate questionnaire to exporters from China PR seeking voluminous information with regard to claims of Market Economy status.
 - ii. China PR had been treated as a Non-Market Economy country by India in the past. It is submitted that in accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-Dumping actions is lacking in multilateral legal basis since 11th Dec, 2016.

G.3. Examination by the Authority

A) NORMAL VALUE

42. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

43. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have filed the response in the prescribed exporter questionnaire responses:

- i. Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd
- ii. Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd

A MARKET ECONOMY STATUS FOR CHINESE PRODUCERS

44. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) "In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following Rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture,

production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

- (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
 - (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
 - (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
 - (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*
45. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to the relevant questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure-I of the Rules.
46. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

B NORMAL VALUE FOR ALL PRODUCERS IN CHINA PR

47. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure-I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

48. The Authority notes that normal value could not be determined on the basis of prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the export prices from such a third country to other countries, as the relevant information has neither been made available by the applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. Since there are no imports from other countries into India, it would not be possible to consider price from market economy third country to India as a basis of normal value. Thus, the last resort that is left for determination of normal value is on the basis of the price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The Authority has thus constructed the normal value based on the optimised cost of production, considering prices of major raw materials and other costs paid in India, as per facts available. Further, reasonable profit has been added to the cost of production for the purpose of determination of normal value. The normal value has been determined for all producers and exporters from China PR, and are mentioned in the dumping margin table.

B) DETERMINATION OF EXPORT PRICE FOR COOPERATING PRODUCERS AND EXPORTERS

Export Price

i. Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd

49. From the exporters' questionnaire response of Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd, who is the producer and exporter of subject goods, it is noted that during the POI the company has exported *** MT, however it is found that out of *** MT of goods exported to India, *** MT was not a part of the PUC/subject goods to India. The Authority has verified the data through desk verification and other supporting documents. The producer / exporter has claimed adjustments on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, bank charges, and port charges, and the same have been allowed. Accordingly, the export price is provided in the dumping margin table.

ii. Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd

50. Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd, also filed the EQR wherein it was claimed that they have exported *** pcs. of PUC exported to India during the POI. However, during the verification of the data and the supporting documents through desk verification, it emerged that the descriptions of the exported items were that of the parts of the PUC (viz. axle without hub cap, axle beam, axle tube, axle without brake, etc.) rather than the PUC itself. In view of the same, the individual export price of the said exporter for the PUC could not be arrived at.

C) DETERMINATION OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE FOR ALL NON-COOPERATING PRODUCERS AND EXPORTERS IN CHINA PR

51. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR has been calculated as per facts available and the same is mentioned in the dumping margin table.

D) DUMPING MARGIN

52. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject country is as under:

Dumping Margin Table

S.No.	Country	Producer	Normal Value US\$/ Kg	Net Export Price US\$/ Kg	Dumping Margin US\$/ Kg	Dumping Margin %	Dumping Margin (Range %)
1	China PR	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd	***	***	***	***	10-20
2	China PR	Any other than serial no. 1	***	***	***	***	40-50

Dumping Margin- Original Investigation

S.No.	Country	Producer	Dumping Margin (Range %)
1	China PR	M/s Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co., Ltd, (Producer and Exporter) Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd (Producer and Exporter)	30-35
2	China PR	Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	35-40
3	China PR	All other Producers/Exporters	55-60

53. As can be seen from the above table that dumping margin was found to be substantial in the original investigation. However, despite imposition of anti-dumping duties, the margins continue to remain positive showing all the likelihood that once the duties are removed the margins may rise up to the same or even beyond the levels of the original investigation. The similar approach was taken by the WTO Appellate body in US-CORROSION STEEL RESISTANT case wherein the panel observed that future possibilities are based on an assessment of present circumstances. Therefore, the above comparison shows that though the imposition of duties has helped to cut off the dumping margins but they still remain positive giving a clear indication of exporters' behaviour in case of cessation of ADD. The final finding issued in the Anti-circumvention investigation also showed significant dumping in case of imports of PUC in CKD/SKD condition. All these factors together show persistence of dumping of subject goods from China PR which indicate that dumping is very likely in the absence of current measures.

H. EXAMINATION OF INJURY AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY

H.1. Views of the Domestic Industry

54. The following submission were made by the domestic industry with regard to injury, causal link and likelihood of dumping and injury:

- i. The information as submitted by York in its petition clearly shows that expiry of the existing anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry as envisaged in Rule 23 (1B) of the Anti-dumping Rules which is sufficient to continue the ADD in the present matter for a further period of five years.
- ii. Even though the injury as suffered by the domestic industry during the POI cannot be linked to dumped imports fully due to the presence of other temporary reasons, such as COVID pandemic driven adversities, there are overwhelming facts which still show that dumping was one of the key reasons for such injury and any expiry of the existing ADD at this juncture will only help the exporters to dump further aggravating the injury situation of the domestic industry.

- iii. While continued dumping has been clearly one of the reasons of injury, circumvention practices to evade the duty also contributed to the injury and the same also should be counted as part of continued dumping.
- iv. Dumping continued at significant levels undercutting the price of the domestic industry, if considered without ADD, and such dumped imports have been one of the causes of deterioration in overall performance of the domestic industry and material injury during the POI.
- v. Chinese producers of the subject goods are heavily export oriented and hold huge unutilized capacities and such unutilized capacities will be unleashed on India afresh in case of expiry of the present ADD. China PR has unutilized capacity to the tune of about 8 Lakh Pieces whereas the peak Indian demand as found during the base year was not more than 1 to 1.5 Lakh Pieces.
- vi. The exporters from China PR along with importers in India have been engaged in circumvention practices to evade the duty and such practices also show the extra ordinary inclination of the exporters of subject goods in China PR to export the subject goods to India. Expiry of duty will only increase the dumped imports.
- vii. It could be seen that imports declined from 3426 MT in the base year to 800MT in the POI. But at the same time there have been imports by way of circumvention.
- viii. The domestic industry did well in terms of almost all parameters for about 2 years after the levy of ADD in 2016. However, the situation first started to deteriorate when the circumvention started. In the later period especially during the POI, the domestic industry has witnessed fall in demand for the product due to COVID pandemic and also due to slow down in the economy. But what is notable is that even when the demand declined, dumped imports persisted and such dumped imports held substantial share in the Indian demand in the range of 10-15%.
- ix. Even prices were at undercutting level without ADD putting price pressure and suppressing effects on the domestic industry.
- x. In the absence of such dumped imports, the domestic industry would have produced and sold more at a higher price reducing the losses even in a situation of some fall in demand. But the continued and persistent dumped imports prevented such opportunities. The domestic industry, due to all such factors suffered injury in terms of both volume and price parameters and the profitability parameters have been significantly negative during the POI.
- xi. The demand is on a strong path of recovery and any expiry of the duty at this juncture will be taken as a golden opportunity by the exporters to dump more material in the Indian market as they are saddled with readily available huge unutilized capacities.
- xii. The effects of continued dumped imports were minimal due to the presence of ADD in force. The expiry of the same in such a situation signifies very strong likely effects and the facts shows likelihood of dumping and injury in this matter.
- xiii. The Rule does not provide for any specific methodologies to gauge the likely effects in the event of expiry of duties. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules, inter alia provide for factors which are required to be taken into consideration and all such factors are met in the facts of the present case.
- xiv. The dumped imports have been taking place in the entire injury period and such dumped imports continued even when there was a fall in demand.
- xv. Though the imports declined, without taking into account the circumvented imports, in absolute terms, the share of the dumped imports in demand was about 10-15% which suggests the imports will increase substantially when the demand situation gets better. Thus, there is a significant likelihood of increase in demand if the present duties expire and significant level of imports continued even after levy of ADD.
- xvi. China PR has a capacity of about 31 Lakh Pieces to produce the subject goods out of which 14 Lakhs pieces pertains to Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd. as provided in their

- website itself. Against such capacity, the estimated sales in China PR, both export and domestic, stood at 23.28 Lakhs which shows an excess capacity of about 7.72 Lakh units.
- xvii. What is notable here is that the highest demand in India during the injury period was about 1 to 1.20 Lakh and such excess capacity can be diverted to absorb the entire Indian demand in no time should the duties expire.
- xviii. The data shows high export orientation of capacity available in China PR. Against a capacity of about 31 Lakh Pieces, China PR has a domestic demand of about 20 Lakhs only which means the export orientation is in the range of 11 Lakh pieces or 35% which is very substantial. There is a huge potential for future exports also from such highly export oriented capacities.
- xix. In fact, even 15-20% of such estimated unutilized capacities can grab the entire market share in India which is a major pressure on the domestic industry.
- xx. It is very clear from the injury information that imports have been entering at prices below the net sales realization of the domestic industry without anti-dumping duties, which prevented price increase which would have taken place in the absence of such undercutting, leading to suppressing effect on domestic prices and such price effects will only get aggravated if the duties are allowed to expire. Expiry of duties is likely to lead to increase in demand for further imports at such dumped and undercutting levels.
- xxi. The inventories in China PR of the article being investigated also appears very significant even though the actual production details in China PR are not available. The unutilized capacity of about 7.72 Lakh pieces must have been either largely idle or substantial part of that must have been in inventory after production.
- xxii. The Authority may examine the likelihood aspect also based on third country price and exports by the cooperating exporters. All the volume information concerning capacity, sales, inventory etc. in China PR relevant for likelihood also be corroborated with responses for fair conclusions.
- xxiii. The information in the petition shows that volume parameters such as production, capacity utilization and sales declined by the POI which is partly due to other reasons as explained, however, a number of other indicators relating to the financial situation of the domestic industry, namely profitability, return on investment, cash profit etc. once again turned negative in the POI from a positive situation in the previous years.
- xxiv. When the domestic industry has incurred losses when the anti-dumping duty is in force, any expiry of the same will lead to an aggravated situation of losses and injury.
- xxv. The fact that the injurious effect of such dumping was mitigated to great extent with the help anti-dumping duty in force, in fact shows the need for continuation of such duties in this review also.
- xxvi. The domestic industry is still vulnerable to such dumped imports and level playing field is still not established in the Indian market for the subject goods and the domestic industry needs the help of the anti-dumping duty to survive amidst such unfair competition from dumped imports.
- xxvii. The petitioner has claimed positive injury margin in the present case. However, in case any determination of NIP by the Authority leads to a negative injury margin situation, it does not rule out injury or likely injury as injury margin is not even a parameter of injury.
- xxviii. Injury margin is required for the quantification of ADD whereas in the present matter ADD is already in force and the consideration is about its extension or revocation only.
- xxix. Unlike a fresh investigation, negative injury margin in an SSR cannot lead to any termination of the investigation. As per rule 23, current injury is not mandatory and in that scenario absence of injury itself has no effect on the continuation of duties and continuation of duties is determined based on likely parameters.
- xxx. The Authority must not adopt optimization while determining the injury to the domestic industry and injury must be determined based on the prevailing condition of the domestic industry during the POI as held by Hon'ble CESTAT in Nippon Zeon matter.

- xxxi. The factual evaluations shows that there is a strong likelihood of dumping and injury in the event of expiry of the present duties and extension of duties are very essential in this matter to provide adequate protection as warranted under the AD Rules.

H.2. Views of Other Interested Parties

55. The opposing interested parties have made the submissions as under with regard to injury, causal link and likelihood of dumping and injury:
- i. During the POI 67,658 Units of Axles were produced by Guangzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd. The company has submitted that its capacity has been reduced to 75,000 units during the POI.
 - ii. The Authority may investigate the after-sales service support and Free of cost replacement of parts offered by York in its extended warranty period for promotion of products in India. This has serious implication on its profit margins.
 - iii. York has extensive network of aftersales service in almost every region which offers free after sales support and warranty replacements in India. The cost of this extra service is included in price of all components sold by York. However, this additional cost is not included in sales of the PUC from China.
 - iv. York is also an exporter of the PUC to related parties, this should also be investigated for price manipulation particularly for newly added SAF Holland global network.
 - v. Since the preliminary investigation, exchange rate has adversely impacted imports in India. The Indian Rupee has depreciated by 20% against the USD from 62.13 to the current rate of 74.99 INR. Also, shipping freight has made the situation more unfavourable - from 500-700 USD per container during the preliminary investigation to 1700-2100 USD during the current POI. Hence the assumption of dumping is completely wrong.
 - vi. Increase in price of steel in the post POI period is to be evaluated carefully. It has severely affected the export price of trailer components from China. However, during the same period York has absorbed a major proportion of increase in price to its leading customers in India. The same can be evaluated by examining the selling price to any of the top 3 customers of York in India.
 - vii. York claimed that there is excess capacity available with manufactures in China. York strongly supported the theory of unutilised capacity of Chinese manufacturer while York conveniently reduced the production capacity of its own by reducing the number of shifts. If York and Chinese Manufactures deal in production of like products, then how can York adopt double standards for capacity utilisation.
 - viii. The huge presence of increased capacity in domestic axle manufacturing capacity is not considered by York in its petition. It considers itself to be a major player but in fact it is struggling to compete with the likes of KROSS and TATA.
 - ix. The Authority may conduct forensic audit of York's books of accounts and act against York for restricting growth of Indian trailer industry.
 - x. ADD is used by York to restrict entry of other trailer axle manufacturer to India, which will generally adopt a similar pattern as York did in 2012. To start by marketing its CBU (Completely Built Units) product, gradually shifting to CKD and SKD for assembly of the product in domestic market and in final stage to manufacturing and producing all major components in house.
 - xi. Information shows that imports from China PR did not cause any injury to the domestic industry during the injury period of investigation. During the POI demand has come down and accordingly imports also have come down. Major share of demand is enjoyed by the domestic industry only which shows no injury from imports.
 - xii. The price undercutting was negative in 2018-19 and lowest during the POI. In such a scenario there can be no losses.

- xiii. Selling price has not declined in the entire injury period and the POI. Landed price have been increasing continuously in the said period. There is no price suppression/depression in such a situation.
- xiv. The volume parameters of the domestic industry decreased by the POI due to sharp decline in demand during the POI. Thus, the decline in these parameters including capacity utilisation is not due to imports.
- xv. As per the annual report of the company, COVID-19 impacted the performance of the company.
- xvi. Though the petitioner claimed financial losses, the annual reports show profits. Productivity declined in the POI though employment increased. Increase in inventory should not be taken as a point of injury in isolation.
- xvii. The petition deliberately fails to address other causes of injury. Such issues provided in the annual report is not included in the petition. The other factors in this case may include weakened demand, subdued pricing environment, corona virus impact, disproportionate fall in realisations, adverse stock valuation rate, increase in foreign exchange loss, etc.
- xviii. The other producer of the product namely Automotive Axles Ltd. did not suffer any injury as can be seen from their annual report.

H.3. Examination by the Authority

- 56. The Authority has taken note of the various submissions of the domestic industry and other interested parties and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses various submissions made by the interested parties.
- 57. Rule 11 of the Anti-dumping Rules, read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like article and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.
- 58. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. For examining price effect of dumped imports, the Authority investigates whether there has been a price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- 59. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity, utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submission made by the interested parties.

I. Volume Effect of Dumped Imports on the domestic industry

a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

- 60. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed has been as follows.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	3,426	4,352	2,228	800
Trend	Indexed	100	127	65	23
Total Imports from Other Countries	MT	0	0	0	0
Total Imports into the Country	MT	3,426	4,352	2,228	800
Domestic Sales of Petitioner	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	55	30
Domestic Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	10	3
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	35	17

61. As can be seen from the above table, demand for the subject goods in India have been on a declining trajectory and was at the lowest levels during the POI. It has been submitted by the petitioner that the fall in demand was on account of the pandemic and also the slowdown in the demand for the prime movers wherein the PUC is used. The fall in demand is also attributable to the circumvention of the PUC being done by the exporters. It has also been submitted that demand is back to a growth trajectory in the post POI period based on post POI sales by the domestic industry.

62. While the impact of fall in demand in the injury claimed by the domestic industry cannot be ruled out fully, the Authority takes note of the fact that imports moved in tandem with the demand situation and any revival in demand may lead to an increase in import also. It is also noted that the Authority has found that the PUC has been getting imported in CKD/SKD condition as parts for trailer axles to circumvent the duties and the actual imports of the PUC would have been higher if such circumvention was not taking place. It is further noted that the PUC is still in demand in the market and none of the parties have submitted this fall is permanent in nature.

b) Import Volumes from subject country

63. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	3,426	4,352	2,228	800
Share of Subject Country in total imports	%	100	100	100	100
Share of other Countries in total imports	%	Nil	Nil	Nil	Nil

64. It is seen that the imports of the subject goods from the subject country have decreased from 3426 MT in the base year to 800 MT in the POI. The fall is in line with the fall in demand for the product. However, these numbers do not cover the import of the PUC in CKD/SKD condition imported to circumvent the existing duties. Had it not been the case as established in the recently concluded anti-circumvention investigation, the actual imports would have been higher. The import of PUC and PUC in CKD/SKD condition have been as follows;

Particulars	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Imports from China -PUC (MT)	6,300	4,396	3,426	4,352	2,228	800
Imports of PUC from China in CKD/SKD Condition as Axle Parts (MT)	0	1,527	3,513	5,007	1,779	1,396

c) Subject Country Imports in relative terms

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Total Imports from Subject Country	MT	3,426	4,352	2,228	800
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	35	17
Production of Domestic industry (domestic industry)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	65	40
Imports from subject country relative to Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	187	136
Imports from subject county relative to production of domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	100	59

65. It is noted that while the imports have declined in absolute terms and also relative to the production of the domestic industry, imports from the subject country increased in the POI over the base year in relation to demand though slightly declined in the POI over the immediate previous year. This is when the demand for the product was at the lowest level during the POI which shows the persistent share of dumped imports even when the anti-dumping duty is in force.

66. While assessing the demand and volume effects of dumped imports during the injury period and POI of present review, the Authority also noted the situation found in the original investigation with regard to market share of dumped imports and the domestic industry in demand. Considering the same in the context of the present review will show that dumped imports have been continuously present in the Indian market moving in tandem with the changes in demand in India which indicate a likely scenario that demand for dumped imports may continue further if the duties are expired with every uptick in demand. The market share of dumped imports and domestic industry in the original investigation was as follows;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Demand	MT	16902	13923	8785	16684
Imports from China PR	MT	4,917	4,433	3,066	6,600
Market share of domestic industry	%	26.88	25.26	29.65	31.17
Market share of China PR	%	29.09	31.84	34.90	39.56

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Market Share of other countries	%	3.11	0.06	-	-
Sale of other Indian producers	%	40.92	42.84	35.44	29.27

67. It can also be noted from the above table that there was a decline in imports commensurate with decline in demand during 2013-14 which was part of the injury period of the original investigation and the imports thereafter significantly increased in tandem with a significant increase in demand during the original POI. This indicate that any fall in import in tandem with demand cannot be considered as a factor ruling out any likely import and dumped imports persisted when the demand situation has been benevolent. Factors as gathered indicate that dumped imports are likely to hold a significant market share in Indian demand for the subject goods in the event of expiry of duties.

d) Price Effect of the imports on the domestic industry

68. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

i. Price Undercutting

69. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Net Sales Realization	Rs. / Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	106	106
Landed Price (LV)	Rs. / Kg	113.09	126.01	121.28	128.12
Price Undercutting	Rs. / Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	% Of LV	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	5-15	-5-5	5-15	0-10

70. It is noted from the above table that imports from subject country have been entering Indian market at a price below the net sales realization of the domestic industry without considering the anti-dumping duty in place, resulting in positive price undercutting except for 2018-19. It is further noted that though the landed price of imports had increased over the years, the gap between landed price of imports and net sales realization of the domestic industry once again turned positive during 2019-20 and during the POI from a negative situation in the year 2018-19. This analysis also establishes the fact that had the anti-dumping duty would not have been in place, such undercutting would have created higher price effects on the domestic industry.

ii. Price Suppression/Depression

71. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared in light of the landed price of dumped imports as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of Sales	Rs. / Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	104	110	112
Domestic Selling Price (NSR)	Rs. / Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	103	106	106
Landed Value without ADD	Rs. / Kg	113.09	126.01	121.28	128.12
	Indexed	100	111	107	113
Landed Value with ADD	Rs. / Kg	123.52	137.34	132.74	140.12
	Indexed	100	111	107	113

72. It is observed that while the cost of production has increased from 100 indexed points in the base year to 112 indexed points in the POI, the selling price of the domestic industry has increased from 100 indexed points to 106 indexed points only by the POI. It is further noted that the landed price of imports has been below the cost and price of the domestic industry during the POI. Such landed price prevented increase in price commensurate with the increases in cost. Therefore, it is noted that the imports of subject goods from subject country are suppressing the selling prices of the domestic industry as the increase in cost of sales is more than the increase in selling price of the domestic industry.

73. The table as above also contain landed price situation with and without anti-dumping duties. It can be noted that the landed price along with the duty in force have allowed the domestic industry to sell at a higher price but the lower landed price and also effects of circumvention practices as found, suppressed the price significantly and there is all the likelihood that the price suppression would have been even higher had there been no ADD. It was found in the anti-circumvention investigation that:

*71. PUC landed in India after payment of applicable anti-dumping duties, whereas PUI were imported without any anti-dumping duties. It can be noted that while PUC landed in India at a price of Rs. 132.74/- per Kg, PUI landed in India at a price of Rs. 98.79/ Kg and considering a value addition thereafter of about **%, the landed price of assembled PUI remained at Rs.122.51/Kg. Such difference in landed price of PUC and PUI shows the effect of evasion of anti-dumping duties and circumvention of applicable anti-dumping duties is evident due to such price differences. Further, such activities by the importers have undermined the efficacy of the ADD measures*

74. It is noted based on the above facts that the price suppression has been very evident during the POI and it is also noted that lower landed prices of dumped imports coupled with practices to evade the prevailing anti-dumping duties has been evidently causing such price suppression effects.
75. The Authority notes the price undercutting and price suppression/depression situation in the original investigation as below. Considering such findings in the context of price effects in the current injury period would show that the dumped imports have been creating adverse price effects for quite some time in the market and the situation is not corrected fully even after duties in place;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Cost of Sales	Indexed	100	115	118	108
Domestic Selling Price (NSR)	Indexed	100	100	98	102
Landed Value-Subject Country	Rs. Kg	95.35	105.80	110.09	109.73
	Indexed	100	110	115	115
Price undercutting	Range	15-20	5-10	1-5	5-10

76. The Authority found significant undercutting and price suppression from dumped imports in the original investigation. Price undercutting without ADD and price suppression is also evident in the present review even though the domestic industry realised better prices immediately after the imposition of ADD and such effects of ADD was undermined by circumvention practices as noted. Thus, the landed price of dumped imports is also likely to cause the domestic industry to lower prices to match the dumped price or forgo price increases so as to retain market share in the future also since price undercutting and suppression have been continuing even after duties. A collective reading of the situation in the original investigation and in the present review signifies the fact that the Authority cannot rule out undercutting and suppressing or depressing effects from landed price of dumped imports from subject country to affect the price of the domestic industry in the absence of the present measures.

J.ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

77. Annexure-II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

78. While discussing the essential facts on injury and causal link, the Authority has also examined the injury parameters objectively taking into account various submissions made by all the interested parties so far in this investigation so as to address all such submissions as well.

a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

79. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	67	67
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	65	40
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	98	60
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	55	30

80. It is noted that the key volume parameters such as production, capacity utilization and sales decreased over the injury period and was at the lowest levels during the POI. However, it is also noted that the domestic industry has been working in reduced shift and as a result effective capacity declined though the installed capacity remained the same.
81. It is further noted in this regard that the fall in volume of the domestic industry is in line with the fall in demand. However, as noted herein above, the dumped imports increased its market share in demand even in a falling demand scenario thus the cause of decline in volume parameters is not fall in demand alone. Also, as found in the Anti-circumvention investigation concerning the subject goods, circumvention practices had an impact on the performance of the domestic industry and the circumvented imports also contributed to the volume declines of the domestic industry.
82. The above facts do not rule out the contention that in the absence of dumped imports and circumvention, the volume performance would have been better.
83. Also, the Authority notes the performance of the domestic industry on key volume parameters in the original investigation as follows;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Capacity	MT	16560	16560	16560	16560
Production	MT	4439	5127	5433	8318
Capacity Utilisation %	MT	26.26	36.82	61.84	49.85
Domestic Sales	MT	4542	3517	2605	5201

84. It is noted based on a comparison between the performance of the domestic industry on volume parameters in the original investigation and present review that the performance which had improved after the imposition of duties has once again deteriorated by the POI of the present review. While a temporary fall in demand due to economic slowdown and pandemic has contributed partially to such deterioration, continued dumping and circumvention of existing measures have been contributing primarily to such deterioration. It is likely that in the event of expiry of measures, the likely significant volume of subject imports would likely result in significant adverse price effects or loss of market share for the domestic industry, in either case leading to a significant adverse impact on the production, capacity utilisation, sales, market share etc of the domestic industry.

b) Market Share in Demand

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	3,426	4,352	2,228	800
Trend	Indexed	100	127	65	23
Total Imports from Other Countries	MT	0	0	0	0
Total Imports into the Country	MT	3,426	4,352	2,228	800
Domestic Sales of Petitioner	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	55	30
Domestic Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	10	3
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	35	17
Share in Indian Demand that of;					
Imports from China PR (Subject Country)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	187	136
Total Imports from Other Countries	%	Nil	Nil	Nil	Nil

Trend	Indexed	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Imports into the Country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	187	136
Domestic Sales of Petitioner	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	158	177
Domestic Sales of Other Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	67	27	18

85. The Authority notes that the market share of the subject imports and also the domestic industry has increased between the base year and POI. The increase in market share of dumped imports even when there was a fall in demand shows the persistence of dumped imports in the market even after existing anti-dumping duties. It is also noted that the imports of subject goods as reported do not show the complete picture of imports of PUC as there have been import of the PUC in CKD/SKD condition as axle parts to circumvent the anti-dumping duties in force. The real market share of dumped imports must have been higher taking such circumvented imports also into consideration as found in the recent anti-circumvention investigation concerning the subject goods.

c) Profitability, return on investment and cash profits

86. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Profit/Loss	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	(19)	(112)
Profit/(Loss) before Int. & Tax (PBIT)	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	7	(71)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	32	3
Average Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	142	117
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	3	(18)
Profit/(Loss) before Int. & Tax (PBIT) including ADD	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	82	64
Return on Capital Employed with PBIT including ADD	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	31	17

87. From the above table, it is noted that the profit of the domestic industry has been in the positive line till 2018-19, and then declined and turned negative through 2019-20 and the POI. Similar trend is observed in Return on Capital Employed also and the cash profits were at the lowest level during the POI.

88. The above table also contain relevant data to ascertain what would have been the profitability situation of the domestic industry if they were able to take the intended benefit of the ADD in force. The Authority notes from the above table that the domestic industry has been prevented from achieving a better level of profitability and ROCE which would not have been possible without the

help of ADD, and the profitability during the POI do not reflect the benefits of ADD in force as the remedial effects of ADD in force were undermined by way of circumvention of measures in force. It was found as follows in the recently concluded anti-circumvention investigation concerning the present anti-dumping duties;

Para 75. d) The import of the PUI has undermined the remedial effects of existing Anti-dumping measure on PUC imposed vide Custom Notification No.54/2016-Customs (ADD) dated 29th November, 2016

89. It is noted that the profitability situation of the domestic industry deteriorated by the POI as a result of adverse price effects from landed price including circumvention of measures in force and the performance of the domestic industry would have been better had there been no such adverse effects from dumped imports.
90. The Authority notes the decline in demand for the product, adverse effects of pandemic and also the effects of circumvention of anti-dumping duties in force in the context of fall in profits of the domestic industry. As contended by the petitioner, the recovery from effects of dumping was first vitiated by circumvention of duties which commenced immediately after imposition of duties. The profitability of the domestic industry has been as follows (as per the original final findings) in the original case and comparing the same with the present situation have shown how the situation of the domestic industry improved after the imposition of anti-dumping duties and once again started deteriorating by the present POI;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Profit/Loss	Trend	100	(971)	(1266)	(316)
Profits Lakhs	Trend	100	(750)	(725)	(360)
Return on Capital Employed	Trend	100	(949)	(1061)	(293)
Cash Profits	Trend	100	(325)	(325)	(135)

91. The effects of continued dumped imports on the profitability of the domestic industry are evident as provided above.

d) Employment and Productivity

92. Employment and productivity situation of the domestic industry over the injury period are given in the table below;

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	84	85
Productivity per employee	MT/Person	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	78	47

93. It is noted that both employment levels and productivity declined by the POI over the base year and reflected the situation in major volume parameters.

e) Magnitude of Dumping Margin

94. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

f) Inventories

95. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	222	301	714

96. It is noted that inventory with the domestic industry increased by the POI in comparison to the base year and also significantly in comparison to the immediate previous year.

g) Growth

97. The growth of the domestic industry has been as given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	%	-	8.88	(40.08)	(38.85)
Sales Volume Domestic	%	-	12.74	(51.52)	(44.37)
Capacity Utilization	%	-	8.88	(10.12)	(38.85)
Inventory	%	-	122.27	35.31	137.41
Employment	%	-	8.79	(23.09)	2.10
Selling Price Per KG	%	-	2.64	3.63	(0.65)
Cost of Sales Per KG	%	-	3.51	6.15	1.73
Return on Capital Employed	%	-	(40.04)	(95.22)	(745.07)
Profit per Unit	%	-	(28.34)	(126.53)	(489.38)
PBIT Per Unit	%	-	(31.20)	(89.15)	(1,056.82)

98. It is noted that key injury parameters registered negative growth in the POI except employment which improved marginally in the POI viz. previous year.

h) Ability to raise capital investments

99. The Authority notes that the domestic industry has made capital investments to set up the plant to produce the subject goods. However, the performance of the domestic industry has deteriorated during the injury period after some improvements post imposition of anti-dumping duties.

i) Factors affecting domestic prices

100. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and cost of sales, causing price undercutting, and price suppression affecting the domestic prices. It is also noted that though the demand for the subject goods was showing declining trend, the performance and remedial effects of anti-dumping duties in place were undermined by the circumvention of anti-dumping measures in place. Thus, it can be noted that the factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from subject country.

j) Magnitude of Injury Margin/Price Underselling

101. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

102. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.

103. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority.

Injury Margin

S. No.	Country	Producer	NIP Rs/Kg	Landed Value Rs/Kg	Injury Margin Rs/Kg	Injury Margin %	Injury Margin % Range
1	China PR	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd	***	***	***	***	NEGATIVE
2	China PR	Any other than serial no. 1	***	***	***	***	20-30

104. It is noted from the Injury Margin table as above that the injury margin for the co-operative producer has been negative for the POI. However, for non-cooperating producers/exporters, the injury margin has been determined on the basis of facts available and is found to be positive for the POI.

105. In the recently concluded anti-circumvention investigation, the Authority found that the duties on PUC were being circumvented by way of imports of PUC in CKD/SKD condition. The injury margin has been determined in case of circumvented imports (referred to as PUI) separately and also cumulatively for PUC and PUI.

a) Injury Margin considering PUI

Name of the PUI (PUI-Circumvented Imports)	Imports in (KG)	CIF Value of imports	CIF Price	Norms of DI	Cost per KG
Beam	1,92,685	1,87,66,105	97.39	***	***
Break drum	2,91,937	2,16,16,497	74.05	***	***
Hub	1,50,897	1,30,30,932	86.36	***	***
Break Shoe	2,90,191	2,87,08,599	98.93	***	***
Slack adjuster	1,34,273	1,60,85,584	119.80	***	***
Camshaft	1,31,740	1,49,96,471	113.83	***	***
Bearing	66	8,118	123.00	***	***
CIF Price of PUI				Rs./KG	***
Add BCD @10%				Rs./KG	***
Add Surcharge @10%				Rs./KG	***
Landed PUI				Rs./KG	***
Add: value addition @24.02%				Rs./KG	***
Constructed Landed price of PUC based on PUI imports				Rs./KG	***
NIP for PUC				Rs./KG	***
Injury Margin				Rs./KG	***
Injury Margin				% Range	20 to 30

b) Injury Margin considering PUC+PUI

Landed PUC+PUI (equivalent to PUC)				Rs./KG	***
NIP for PUC				Rs./KG	***
Injury Margin				Rs./KG	***
Injury Margin				% Range	10 to 20

K. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

106. As per the Anti-Dumping Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

i. Volume and price of imports from third countries

107. There were no imports from countries other than the subject country in the injury period. Thus, such prices cannot be considered to have adversely impacted the domestic industry.

ii. Export Performance

108. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. However, it is noted that the exports made by the domestic industry marginally increased by the POI.

iii. Contraction in demand Changes in pattern of consumption

109. It is noted that the demand of the subject goods has declined over the injury period. At the same time, the PUC has been getting imported in CKD/SKD condition to circumvent the anti-dumping duties. Thus, the actual demand would have been higher. Also, the petitioner has claimed that the demand has improved significantly in the post POI period based on the domestic sales in the post POI period as provided below. The petitioner further submitted that import data for the complete post POI period considered is not available yet the increase in sales indicates improvement in demand;

Period	Prime mover's sales (In Nos)	Domestic Sales of Axle by York (In Nos)	Domestic Sales of Axle by York (In MT)	Domestic Sales of Axle by York (In MT Indexed)
POI	9,918	***	***	100
Jan-June 21	10,093	***	***	198
Jan-June 21 Annualised	20,186	***	***	198

iv. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

110. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change. However, the circumvention practices shows that the exporters have been looking for ways to circumvent the duties in force which has undermined the intended purposes of the anti-dumping duties imposed.

v. **Developments in technology**

111. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

vi. **Changes in pattern of consumption**

112. The subject goods produced by the domestic industry and that imported into India are comparable and the end users find these goods interchangeable. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

vii. **Performance of the domestic industry with respect to other products**

113. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performances concerning the subject goods. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

viii. **Productivity of the domestic industry**

114. Productivity per employee also reflected the situation in major volume parameters. Thus, the Authority notes that deterioration in productivity per se has not been any cause of injury to the domestic industry.

L. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

115. Consistent with the guidance provided through the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade, Customs and Tariff Act, 1975 and the AD Rules, in a review investigation, the Authority makes its determination on the likelihood or continuation or recurrence of dumping of the subject goods into the Indian market and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed. The likelihood determination is a prospective determination. In other words, the Authority undertakes a forward-looking analysis and seeks to resolve the issue of what would be likely to occur if the duties are terminated.
116. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
117. The Panel in *US – DRAMS* described the requirement in Article 11.1 whereby anti-dumping duties "shall remain in force only as long as and to the extent necessary" to counteract injurious dumping, as "a general necessity requirement."
118. Article 11.3 of the Anti-dumping Agreement requires the Authority to determine that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Thus, Article 11.3 requires the Authority to ascertain whether there is a relationship (or nexus) between the expiry of a duty, on the one hand, and continuation or recurrence of dumping and injury, on the other, such that the former would be likely to lead to the latter.
119. The Appellate Body in *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review* noted that, as this likelihood determination is a prospective determination: "the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty were terminated"
120. Although, no guidance is provided through the Anti-dumping Agreement into the factors to be analysed while undertaking a Review, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

- ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- iv. Inventories of the article being investigated.

121. The examination of the parameters of likelihood relevant in this case is as follows:

- i. **Rate of continued imports and dumping of the subject goods in the current review and also situation of imports in the original investigation and during the anti-circumvention investigation indicating likelihood thereof.**

122. It was found in the original investigation that imports from China PR had increased substantially and such imports were at dumped levels injuring the domestic industry. It was also evident that by way of dumping, exporters from China PR increased their market share in demand substantially.

123. The facts of the present case show that there have been continued imports of the subject goods at dumped rates though the volume has declined during the POI. Even though the volume of imports has declined, the market share of the dumped imports increased in the POI over the base year. Thus, there have been continued demand for dumped imports and dumping has not stopped. Dumping margin is found to be significant even in the case of cooperating exporters from China PR in this review. It is further noted that the examination of the import volumes when clubbed with the volumes imported through circumvention of the existing duties explains a threshold finding that the subject imports would be simultaneously present in the Indian market if the anti-dumping duties are revoked. It is further noted that in *US-Anti-Dumping Measure on Oil Country Tubular Goods (OCTG) (WT/DS282/AB/R)*, the Panel also observed that likely standard of Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement applies to overall determinations regarding dumping and injury; it need not necessarily apply to each factor considered in rendering the overall determinations on dumping and injury.

124. Further, post imposition of anti-dumping duties at the end of the original investigation, the Authority based on a *suo-motu* Anti-circumvention investigation found that there was a shift in pattern of trade of the PUC and the anti-dumping duties have been circumvented by exports of the subject goods in CKD/SKD condition as Axle Parts for trailers. Such imports were also reaching India at dumped levels and recommendations have already been made for extension of anti-dumping duty to such circumventing imports also. It was found as follows in the Anti-circumvention investigation concluded on 14.9.2021;

75. Having initiated the present investigation based on inputs from the Commissioner, Nhava Sheva and after examining the contentions of the domestic industry and the other interested parties and on the basis of the analysis as above, the Authority concludes as under:

a) There has been a change in the pattern of trade in the case of import of the PUC and the PUI from China PR post imposition of Anti-dumping duties on the PUC.

b) The value addition in converting the PUI (Axle for Trailers in Completely Knock Down/Semi Knock Down condition) into the PUC (Axle for Trailers) is significantly less than the prescribed threshold in the Anti-circumvention Rules.

c) Imports of the PUI from China PR have been entering at dumped prices.

d) The import of the PUI has undermined the remedial effects of existing Anti-dumping measure on PUC imposed vide Custom Notification No.54/2016-Customs (ADD) dated 29th November, 2016.

125. The facts as captured in this investigation shows that imports have declined reflecting the restraining effect of the anti-dumping duties in force and also some reduction in import of the PUC is visible on account of reduced demand and also due to circumvention practices. The fact that the

dumped imports continued even after anti-dumping duties and there were practices like circumvention to evade the duties in place shows a strong likelihood situation that rate of imports may increase significantly if the existing anti-dumping duties are revoked. The continued presence of subject imports in the domestic market during the POI, notwithstanding the disciplining effects of the imposition of anti-dumping duties, albeit in comparatively small volumes, demonstrates a sustained interest in exporting to India.

ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter including export orientation.

126. The Authority notes from the submissions of the petitioner that producers in China PR have set up significant excess capacity for the subject goods and their capacities are much higher than the domestic demand in China PR. The submissions made by the domestic industry shows the following situation and the opposing parties have not adduced any rebuttals to disprove the below claims;

Excess Capacity and Export Orientation	In Nos
Annual Capacity	3100000
Domestic Sales	2000000
Exports to all countries	328000
Idle Capacity	772000
Idle Capacity as a Percentage of Total Capacity	25%
Surplus Axle after Domestic Sales	1100000
Surplus Axle % vs domestic demand showing export orientation	35%

127. It is noted from the above table that China PR has about 25% of its capacities for the product in idle or unutilised state and it is also stated that about 35% of such capacities are set up targeting the export markets. This is evident in the fact that the domestic sales in China were only 20 Lakh pieces whereas the capacity is about 31 Lakh pieces as submitted. The idle capacities as above are even after considering export market also. In the absence of any other information, the idle capacities as claimed above are noted as very significant and are much higher than the peak Indian demand. It is not shown by the producers/exporters that any such idle capacities will not be diverted to India in the event of expiry of existing duties or they have other avenues to dispose such idle and excess capacities.
128. The information as above also shows that that the Trailer Axle industry in China PR is very large compared to the Indian market. Significant level of unutilised capacities available with the Chinese producers shows that the Chinese industry will likely seek to increase their production but with the limited domestic demand, the producers will tend to target to export markets. In a such a situation, producers in China PR are likely to direct significant volumes of subject goods to India and the likely volume of subject imports from China, both in absolute and relative terms to production and consumption in India, shall be higher in the absence of current measures. This analogy achieves stronger weightage by the fact that the imports of subject goods have been present in the Indian market even after the measures and in fact the circumvention practise adopted to escape the duty liability by the Chinese exporters/producers satisfies the legal standard of import simultaneity in the absence of anti-dumping duties.
129. Notwithstanding the above, the Authority notes the unutilised capacity situation of the cooperating exporter namely Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd as follows;

Particulars	Unit	2017	2018	2019	POI
Installed Capacity	PCS	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Production Quantity	PCS	***	***	***	***
	Indexed	100	83	85	83
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Indexed	100	83	85	83

130. It is noted from the above table that Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd has a capacity of *** Lakh units to produce the subject goods which remained same during the injury period and POI. But the capacity utilisation of the company declined in the POI. If the producer utilizes this *** of the unutilized capacity to produce the subject goods, then such production will be significant vis-à-vis the peak Indian demand which is claimed to be about *** Lakh pieces. As per the submissions made by the exporter, the company had a capacity of *** pcs during the original investigation which has increased to *** pcs by 2017. Such increased capacity with *** unutilised capacity present with the exporter suggests that there is all likelihood of the exporter routing the subject goods to India in case of discontinuation of current anti-dumping duties.

iii. Depressing or suppressing effects of imports showing likely increase in demand for further imports

131. The Authority found in the original investigation that landed price of dumped imports had affected the prices of the subject goods in the Indian market as evident from the significant price undercutting and underselling found from such imports. Landed price of subject imports acted as a cap on the price levels that could be obtained by domestic producers, and as a result, domestic industry was constrained to sell at a price below the non-injurious level leading to underselling situation.

132. The Authority notes from the facts of the present case that price undercutting from subject imports have been positive without the anti-dumping duties and the landed price have been below the cost and price of the domestic industry preventing price increases which would have taken place otherwise leading to price suppression. Availability of dumped imports at a price a lower than the price of the domestic industry will lead to further increase in dumped imports. It is also noted that the importers have been engaging in practices like circumvention so as to avoid the applicable anti-dumping duties and the likeness for increased imports cannot be ruled out when the duty itself expires in such a situation.

133. Given the likely significant volume of subject imports, such undercutting and suppression effects would likely cause the domestic industry to lose market share or to lower prices or forgo price increases to cover costs in an effort to maintain market share as was the case in the original investigation. In such a situation, subject imports would likely have significant suppressing or depressing effects on prices of the domestic industry and/or would likely gain market share at the expense of the domestic industry, if the current measures are allowed to expire.

iv. Inventories of the article being investigated.

134. Though there are no actual information available about inventories in China PR, the significant idle capacity shows possibilities of some inventories as well. However, the trend of inventory with the cooperating exporter is noted as below which shows an increase in the inventory level by the POI;

Particulars	Unit	2017	2018	2019	POI
Inventory	PCS	***	***	***	***
	Indexed	100	230	247	127

135. The inventories with the domestic industry have, however, increased showing likely increases in the same in case of increases in imports.

v. Volume of imports in presence of anti-dumping duties

136. The Authority notes that there were significant imports from subject country in the present period though the volumes declined by the POI. Dumped imports constituted significant share in Indian demand. It is also noted that though the overall volume of imports has come down during the POI from the base year, such volumes should be seen in the light of the circumventing imports also. Thus, facts such as continued imports despite duties in force and practices like circumvention indicates that the imports are likely to increase further in the event of cessation of duties.
137. Continued dumping in the presence of duty bolsters the view that such dumping and injury is likely to continue if the duties are expired. If companies continue to dump with an existing duty, it is reasonable to assume that dumping would continue if the duties are to be removed. There are no facts submitted by the producers/exporters to rule out such possibilities beyond doubt.

vi. Persistent presence of exporters in the market and vulnerability of the domestic industry

138. The Authority notes that the continued dumped imports and the facts found in the final findings of the Anti-circumvention investigation shows that the producers/exporters from China PR attempted to maintain their presence in the Indian market even after imposition of measures. Circumvention of the existent duty shows that the exporters are not able to compete with the domestic industry if an anti-dumping duty is in place and had to resort to circumvention to retain their market share. There are no facts adduced by the producers/exporters to show that the exporters shall not be inclined to continue dumping if the duty expires.

vii. Likely injury margin in case of expiry of present duties

139. As noted herein above, the injury margin for the PUC in the present investigation is negative. However, the same is significantly positive, if the circumvented imports are also taken into consideration as presented below;

Injury Margin- PUC+PUI (During POI)

Landed PUC+PUI (converted to PUC)	Rs./KG	113.27
NIP for PUC	Rs./KG	***
Injury Margin	Rs./KG	***
Injury Margin	% Range	10 to 20

140. Since imports of PUI is nothing but imports of PUC in CKD/SKD condition to circumvent the existing measures, it is appropriate to consider injury margin of both PUC and PUI while examining the likely injury margin in the event of expiry of present measures. Positive injury margin as above indicates a possible situation that imports of the PUC in the absence of present duties is likely to occur at injurious levels.

viii. Exports to third countries vis-à-vis exports to Indian market and its attractiveness.

141. The Authority notes the third country export details of the cooperating exporter namely Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd as follows and the same is compared with the exports of subject goods to India by the Company;

Particulars	Unit	2017	2018	2019	POI
Export Sales – India	RMB/PCS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	130	132
Export Sales - Other Countries	RMB/PCS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	100	102
Export Sales – India	Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	140	63	21
Export Sales - Other Countries	Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	108	78

142. It is noted from the above table that while Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd has exported *** units of PUC to India at a price of RMB ***/Unit during the POI, the company has exported *** units to third countries at a price of RMB ***/Unit. This shows that currently the export volumes to third countries are much higher than exports to India and is also at lower prices when compared to India.
143. In a recently concluded anti-circumvention investigation, the Authority established the erosion of the efficacy of existing anti-dumping duties and its injurious effect on the domestic industry. Considering the above scenario, exporters diverting such lower priced exports to India in the absence of present duties cannot be ruled out.

ix. Likely effects of expiry of present measures

144. It is noted from the facts as discussed above that, upon revocation of the existing anti-dumping duties, subject import volume would likely be significant and subject imports would likely have significant adverse price effects. Based on the information on the record, it is further noted that the likely significant volume and price effects of the subject imports would likely have a significant adverse impact on the production, sales, market share, employment, inventory levels etc. of the domestic industry. The likely declines in these factors would, in turn, likely have a direct adverse impact on the domestic industry's profitability.

M. POST-DISCLOSURE COMMENTS

145. The Authority issued a disclosure statement on 20.10.2021 disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under.

M.1. Comments of the Domestic Industry

146. The Authority may confirm its views as disclosed in the subject disclosure on the PUC and like article and also standing of the applicant as domestic industry. The opposing parties could not adduce any factual evidences to show the need for review of product scope. Also, there are no facts submitted by the opposing parties to disprove the standing claims of the applicant other than making unsubstantiated claims.
147. It is reiterated that York made claims on standing based on estimate of total Indian production of subject goods based on the published data available from SIAM concerning prime movers wherein the subject goods is used and in view of the same, the names of certain other producers coined by the opposing parties have no consequences on the facts concerning total Indian production and standing.
148. The facts as disclosed show that the continued dumped imports and the circumvention of measures in force have been the key factors for the decline in performance of the DI after some improvement after levy of ADD. Continuation of ADD is essential to ensure level playing field for the DI as the intended purpose of ADD in place was gravely vitiated due to circumvention of measures and also continuation of dumping which created serious price effects on the DI leading to continuation of injury as well.
149. The facts as disclosed show significant dumping margin in case of imports of the PUC which bolsters our submission that dumping is likely in all certainty if ADD has to expire. The Authority may confirm the basis of determination also in the final finding.
150. The facts as disclosed show that the injury margin is negative in case of imports of the PUC alone into India. However, it is submitted that the landed price along with the circumvented imports shows the true picture of injury margin and what is relevant is the injury margin determined after inclusion of circumvented imports also i.e. imports of the PUC in CKD/SKD condition. The Authority may determine landed price by also considering circumvented imports.
151. It is submitted that negative injury margin is not a key determinant in an SSR investigation as the requirement is of determination of likelihood of dumping and injury in the event of expiry of measures in force. The facts as disclosed show likelihood of dumping and injury in the event of expiry of duties. The Authority may note a few past precedence wherein continuation of duties was

recommended even after negative injury margin in an SSR and a similar approach is relevant in this matter also;

- i. Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of “Colour Coated/Pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel” originating in or exported from China PR and European Union dated 8th October, 2021 wherein duties on both the subject countries are recommended to be continued even after negative injury margin.
 - ii. Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Clear Float Glass originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) dated 7th November, 2019 wherein duty on exporter from UAE was continued at original duty levels even after negative injury margin.
 - iii. Carbon Black used in Rubber Applications originating in or exported from China PR and Russia dated 22.12.2020 wherein duties were continued even after negative injury margin from China PR.
 - iv. PVC Suspension Grade Resin from China PR, Thailand and USA dated 18.07.2019 wherein duties were continued even after negative injury margin from cooperating exporters from China PR and USA.
 - v. Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm or more originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand, Sri Lanka dated 08.01.2021 wherein duties were continued even after negative injury margin on cooperative exporter from Thailand.
152. Notwithstanding the above, the Hon’ble Gujarat High Court in Nirma Limited vs. UOI (Order dated 23.2. 2017) ruled that negative injury margin cannot form the basis for determining that there is no likelihood of dumping and/or injury.
153. Rejection of response of Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd is fully justified as it becomes now evident that the company was supplying the PUC in CKD/SKD condition. One of the sources of the circumvented imports now becomes very clear.
154. The facts as disclosed show strong likelihood of dumped and injurious imports on the bases of information from cooperating exporter also. While the capacity of the cooperating exporter remained the same, production declined and inventories increased. This shows the exporter is saddled with excess unutilized capacities which will be diverted to India in the event of expiry of the present measures. The Authority may examine likely price effects based on third country export price of the exporter which is held confidential.
155. It is reiterated that the continuation of ADD has no significant impact on the users as the cost of subject goods in the end product is very insignificant at 2-3%. What is more important here is that the users/importers engaged in illegal practices like circumvention which has derailed the purpose of ADD put in place and any discontinuation of duty will amount to rewarding such illegal activities. Public interest may be considered only after the intended purpose of ADD put in place is met and not at this juncture when the legitimate interest of the DI stands vitiated.

M.2. Comments of the other interested parties

156. It is clear that the dumping margin is lowest ranging from 10-20% and the injury margin is negative which further implies that the domestic industry is not suffering from any injury due to the imports from China PR.
157. Conclusion about surplus capacity at para 121 of the disclosure statement is not correct. Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. does not have surplus capacities. It may be seen that Fuwa consistently operating at more than 80% capacity utilisation which is the optimum capacity utilisation for the industry. Hence, Fuwa does not have any surplus capacity against the claims of the domestic industry.
158. As per the disclosure statement, the Authority has considered the name as “Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd” instead of “Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.”. So, it is requested to the Authority to consider the name as “Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.” in the final findings.

159. Written application was made for a copy of the non-confidential version of the rejoinder filed by the Petitioner after the oral hearing. However, the rejoinder was never supplied to us. This is also contrary to the rules and regulations.
160. The disclosure statement does not include any information on imports made by York during the period of investigation or in the preceding years, especially for the products falling under PUI/PUC.
161. The disclosure statement has accepted the new formula for calculation of market share based on the sales of prime movers. Unfortunately, however, the entire York production data has been taken into account, whether sold or unsold. However, for prime movers only the actual numbers sold are considered, not the total number produced. Likewise, for competitors also, only the actual sales figures are considered and not the total production. This has resulted in creating an illusion that York represents the domestic industry.
162. While discussing the total production capacity the disclosure statement has permitted York to proceed based on reduced number of production shifts. Unfortunately, for concluding that Chinese companies have excess production capacity, the production cuts in China have not been considered. The figures supplied by York have been accepted blindly without any inquiry.
163. It is a matter of deep regret that response of GHMMC to the questionnaire is not considered only on the ground of late filing. We did not export the subject goods to India due to the heavy ADD, therefore it is established beyond any doubt that we did not cause any injury to the domestic industry.
164. Continuation of ADD will create a monopoly for York and it will seriously impact the transporter situation in the country by creating artificial scarcity and shortage of critical axles for trailers.

M.3. Examination by the Authority.

165. The Authority notes the submission of the domestic industry wherein it has submitted that the landed price should be considered by including circumvented imports i.e. the PUC in CKD/SKD condition. The Authority has adopted this approach for cooperating producer(s)/ exporter(s). Since this circumventing product is one of the major contributors of the likelihood of dumping and consequent injury, therefore, for non-cooperating (residual) producers/exporters, the Authority has computed the extent of dumping and consequential injury by considering the circumvented imports i.e. the PUC in CKD/SKD form only on the basis of facts available.
166. With regard to the comments that Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. does not have surplus capacities and was operating at the optimum level of 80%, it is noted that the company was operating at 80% utilisation in the POI whereas the capacity utilisation was 97% in the base year. Hence, the claim of operating at optimum level cannot be accepted. It is noted from the information provided by the company that about 20% of the capacity of the company is to produce subject goods and remained unutilised during the POI.
167. The availability of significant capacities with exporters and the attractiveness of the Indian market that has been evident through the practices of circumvention establish high likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the Indian industry.
168. With regard to the correct name of Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd, the same is incorporated at the appropriate places.
169. With regard to the contention that rejoinder submission of the applicant was not provided, as a matter of consistent practice, all the interested parties were directed to share the written submissions between them and the same was adhered to by all the interested parties. The purpose of sharing written submissions is to allow the interested parties to rebut the claims made by one another. The rejoinder submissions of the interested parties to the extent relevant have been duly considered by the Authority in these final findings.
170. With regard to the contention that the disclosure statement does not include any information on imports made by York during the period of investigation or in the preceding years, it is noted that the petition contained the certification by the applicant that they did not import the subject goods from subject country and the same was recorded in the disclosure statement issued as well.

171. With regard to the contention that the disclosure statement has accepted the new formula for calculation of market share based on the sales of prime movers but the entire York production data has been taken into account, whether sold or unsold, the Authority notes that no changes in the formula were made for the purpose of disclosure statement. An alternative calculation based on the formula proposed by the exporter based on SIAM data was also provided in addition to what has been claimed in the petition. Also, requirement under Rule 2 (b) is to determine major proportion in the total domestic production and not domestic sales as contended. However, sales of prime movers have been considered so as to estimate the production of the subject goods during the POI. By considering the sales of prime movers, demand for subject goods has been derived and by doing the back calculation, production of the subject goods by the petitioner has been derived. A similar approach was adopted in the original investigation also.
172. With regard to the contention that while discussing the total production capacity the disclosure statement has permitted York to proceed based on reduced number of production shifts but the production cuts in China have not been considered, the Authority notes from the response of the cooperating exporter that the company has about 20% unutilised capacity and the exporter have not claimed any such production cut as contended.
173. With regard to the contentions about rejection of response of Guangzhou Huajing Machine Manufacturer Co. Ltd, the Authority notes that the issue is already addressed at the relevant paragraph of these final findings. It is further noted that the company has stated that they did not export the subject goods to India. In such a scenario, the export price for the said producer/exporter could not be arrived at and thereby not eligible for any individual margin in this case. However, the said producer/exporter is free to file an application for New Shipper Review under Rule 22 of the AD Rules subject to fulfilment of requirements of the said Rule.
174. With regard to the contention that continuation of ADD will create a monopoly for York and it will seriously impact the transportation situation in the country by creating artificial scarcity and shortage of critical Axle's for trailers, it is noted that that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

N. PUBLIC INTEREST

175. The Authority issued a gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and exporters for a comprehensive redressal of concerns of various stakeholders emanating from this investigation.
176. The domestic industry has made submissions on producer's interest, impact on eventual end products and benefits of imposition of duties. Domestic industry has submitted that the prices being offered by it is reasonable and the Anti-dumping duty will have very minimal impact on the end user. It has also been claimed by the domestic industry that the cost of subject goods with the end user will not be more than 2-3% of the total cost of the end product and an ADD in such a situation will not impact the cost of the end product in any significant manner.
177. Keeping above in view, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
178. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly, if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, any imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

179. It is also noted in this context that there have been practices to evade the ADD imposed on the subject goods and it was found in the recently concluded anti-circumvention investigation concerning ADD on subject goods that the ADD on PUC have been getting circumvented by importing PUC in CKD/SKD condition as parts for Trailer axles and such practices have undermined the duties imposed originally. The adverse effects of such practices on the domestic industry are reflected in the facts as examined above and the said context is also very relevant for this review.

O. CONCLUSION

180. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- i. The applicant domestic producer constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by the applicant on behalf of domestic producers satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules as it holds a major proportion i.e. ***%
- ii. There is continued dumping of the subject goods from the subject country in spite of the duties in force. The dumping margin is positive and the injury margin is also positive after considering the circumvented imports.
- iii. The imports have been undercutting the price of the domestic industry and the price effects would have been higher in the absence of the present duties. Price effects of the imports is more evident as there has been circumvention taking place to evade the duties already in force.
- iv. The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have declined during the period of investigation. It is further noted that market share of the dumped imports continued at same levels in the Indian demand even when there has been some temporary fall in the demand in India.
- v. The profitability of the domestic industry has deteriorated, and the domestic industry is suffering losses. The improvement in profitability which started after the levy of anti-dumping duty has once again started to deteriorate with the circumvention of anti-dumping measures in force and also with the continuation of dumped imports.
- vi. The domestic industry is earning negative return on capital employed which was positive in the previous years after the levy of current anti-dumping duties.
- vii. The response of the co-operating exporter shows idle capacity to the tune of 20% in the POI which was only about 3% in the base year. The information also shows increase in inventory with the exporter. These facts show that the exporters have the potential to increase the exports at dumped levels in a short span of time if the existing anti-dumping duties are revoked.
- viii. As noted from the response filed by the cooperating producer/exporter, currently the export volumes to third countries are much higher than exports to India and is also at lower prices when compared to India which shows that at present the existing anti-dumping duties are acting as a barrier to the unfair practices of the producer/exporter but , if the current anti-dumping duties are revoked, there is all the likelihood that the subject goods will be diverted to India at lower prices and in huge volumes considering the circumvention of anti-dumping duties on the subject goods from the subject country that has already been established through the recent findings.
- ix. The fact that the dumped imports continued even after anti-dumping duties and there are practices like circumvention to evade the duties in place show a strong likelihood situation that rate of imports may increase significantly if the existing anti-dumping duties are revoked.
- x. The Authority accordingly concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties at this stage.

P. RECOMMENDATIONS

181. The Authority notes that the sunset review was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the sunset review into dumping, injury and causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on subject goods from subject country for the co-operating producer/exporters. The anti-dumping duty has accordingly been continued/imposed in accordance with the relevant provisions of sunset review.
182. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate and recommends continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below to be imposed from the date of notification issued in this regard by the Central Government for a further period of five years.

DUTY TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	87169010	Axle for Trailers	China PR	Any country including China PR	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.	0.16	Kg	US\$
2	87169010	Axle for Trailers	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1	0.31	Kg	US\$
3	87169010	Axle for Trailers	Any country other than China PR	China PR	Any producer	0.31	Kg	US\$

183. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

Q. FURTHER PROCEDURE

184. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority